राजस्थान विधान सभा

नवम् बैठक, सोमवार, दिनांक १२, मार्च सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में सायंकाल ४ बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३६

जनवरी १९५५ के पश्चात् आई. ए. एस. बनाये गये आर. ए. एस. कर्मचारी

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद किन-किन आर. ए. एस. कर्मचारियों को आई. ए. एस. बनाया गया ?

(ख) उक्त कर्मचारियों का सिलेक्शन करने में कौन-कौन व्यक्ति थे ?

(ग) राज्य सरकार की तरफ से किन-किन व्यक्तियों की सिफारिश की गई थी ?

(घ) आई. ए. एस का सिलेक्शन करने वाली समिति के समक्ष कौन-कौन नाम थे और उनके सीनियोरिटी लिस्ट में कौन-कौन से स्थान थे ?

(ङ) जिन व्यक्तियों का सिलेक्शन किया गया उनके सीनियोरिटी लिस्ट में कौन-कौन से स्थान हैं ?

(च) सिलेक्शन के लिये आधार क्या रखा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) १. श्री गोवर्धनसिंह।

२. श्री नारायण चन्द भटनागर।

३. श्री भीमसिंह।

४. श्री जगन्नाथसिंह मेहता।

[श्री चांदमल मेहता]

५. श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा ।

३. श्री मूलसिंह ।

(ख) इसमें से प्रथम तीन को सन् १६५१ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्पेशल रिक्यूटमेंट बोर्ड ने आई० ए० एस० में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों की द्वितीय सूची में चुना था। बाकी बचे हुए तीन का चुनाव जिस समिति द्वारा किया गया उसके सदस्य यह थे—

१.	श्री एन. के. सिद्धान्त, सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग।	सभापति
२.	श्री किशनपुरी, आई० ए० एस०, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।	सदस्य
३.	श्री भगवतसिंह मेहता, आई० ए० एस०, अतिरिक्त सचिव, राजस्थान सरकार।	सदस्य
४.	श्री केशरीसिंह रानावत, आई० ए० एस०, अध्यक्ष, राजस्व मन्डल।	सदस्य
५.	श्री हेतुदान उज्जवल, आई० ए० एस०, डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर।	सदस्य
६.	श्री दौलतसिंह, आई० ए० एस०, डिविजनल कमिश्नर, उदयपुर।	सदस्य

(ग) सर्व श्री गोवर्धनसिंह, नारायण चन्द भटनागर व भीम सिंह के नाम आइ० ए० एस० में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों की द्वितीय सूची में थे। सर्वश्री जगन्नाथसिंह मेहता, दुर्गाप्रसाद शर्मा व मूलसिंह को आई० ए० एस० में नियुक्त करने के लिये ऊपर बताई गई समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार ने भारत सरकार को सिफारिश की।

(घ) आवश्यक सूचना की सूची सदन की मेज पर रखी है।

(ङ) अन्तिम सूची के अनुसार ३५, ३७ व ६४।

(च) आई० ए० एस० के लिये योग्यता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—आई० ए० एस० के लिये क्या योग्यता निर्धारित है?

Page No 3

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्वालिफिकेशन के अलावा कार्य का अनुभव और उनके कार्य की रिपोर्ट इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट कमेटी में सिफारिश की जाती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने इस सिलेक्ट कमेटी के पास अपनी तरफ से नाम भेजे थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वे केवल सीनियोरिटी के आधार पर कुछ नम्बर तक नाम भेजे थे।

श्री चांदमल मेहता—कौन से कौन से नम्बर तक नाम भेजे गये थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे ठीक तो याद नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि आर. ए. एस. से १०० तक के नाम भेजे गये थे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस समिति के सामने जो सूची भेजी गई और मुझे दी गई है उसमें से लोगों को इन्टरव्यू के लिए कोई सूचना नहीं दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह आवश्यक नहीं है ?

श्री चांदमल मेहता—तो फिर क्या आवश्यक है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रेकॉर्ड देख कर अगर बोर्ड चाहे तो उनको इन्टरव्यू के लिये बुलाए।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिनको सरकार आर. ए. एस. के लिये सिलेक्शन में भेजना चाहती थी, उन्हीं का रेकार्ड भेजा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—१०० से ज्यादा व्यक्तियों का रेकार्ड भेजा गया और जिनको बोर्ड ने बुलाना चाहा बुलाया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो लिस्ट मुझे दी गई उसके अलावा भी और आदमियों के नाम भेजे गये थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं ठीक से नहीं कह सकता। लेकिन मेरा ख्याल है और इसके अलावा भेजे गये होंगे।

श्री चांदमल मेहता—इस लिस्ट में ८८ नाम ही हैं। १०० नाम भेजे गये, इसके अलावा १०, १२ नाम और भेजे गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने करीब १०० नामों के लिये कहा था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने इस संबन्ध में रिप्रेजेन्टेशन पेश किये कि हमारे नाम भेजे गये, मगर रेकॉर्ड नहीं भेजा गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे पास ऐसा कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं आया जिसमें कहा गया कि रेकॉर्ड नहीं भेजा गया और नाम भेज दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इसकी जांच करावेगी कि जिनके नाम भेजे गये उनके रेकार्ड क्यों नही भेजे गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह नियम के अनुसार भेज दिया जाना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—नियम के अनुसार भेज दिया जाना चाहिये था, मगर नहीं भेजा गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर आप अमुक आदमी का नाम बतावें तो जांच की जा सकती है जनरल जांच की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३७

राजस्थान के विभिन्न कॉलेजों में साइन्स के सामान के क्रय हेतु स्वीकृत धन राशि विशेषतया भीलवाड़ा में

श्री तेजमल बापना—Will the Minister for Education be pleased to state ;—

(1) What is the total amount allotted to various colleges in Rajasthan for the purchase of Science material and furniture ?

(2) Is it a fact that Rs. 25,000/- out of this have been allotted to inter College, Bhilwara ?

(3) Has the Government authorised the Director of Education or the Principal of the College to utilise this money ?

(4) If so, when ? It not, why not ? Will this money be utilised this year or allbwed to lapse ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(१) ४ लाख रुपया।

(२) यह सही है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(३) प्रिन्सिपल को ५,०००) तक का फर्नीचर खरीदने का अधिकार दिया गया है और हाई पॉवर कमेटी साइन्टिफिक इक्विपमेंट को २०,०००) तक खरीद करने का अधिकार दिया गया है।

(४) प्रिन्सिपल को २१-१-५६ को अधिकार दिया गया। ५०००) तक की कीमत के फर्नीचर प्रिन्सिपल द्वारा खरीदे जा रहे हैं और साइन्टिफिक इक्विपमेंट २०,०००) का हाई पॉवर कमेटी खरीद सकती है।

श्री चांदमल मेहता—यह कहां कहां कॉलेजों के लिये साइन्टिफिक इक्विपमेंट का सामान बजट में प्रोवाइड किया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—५० हजार रुपये की स्वीकृति दी गई, वे इतने कॉलेजेज़ हैं;

१. राजमहल गर्ल्स इन्टर कॉलेज, जोधपुर।

२. गवर्नमेंट इन्टर कॉलेज, सिरोही।

३. ,, भीलवाड़ा।

४. ,, किशनगढ़।

५. ,, सीकर।

६. महारानी गर्ल्स इन्टर कॉलेज कोटा।

७. एम. एस. कॉलेज, फोर वीमेन, बीकानेर।

८ हाडेन्द्र कॉलेज, बूंदी।

श्री चांदमल मेहता—इनमें कौन कौन से कॉलेजों का रुपया लेप्स हो गया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने उत्तर दिया कि लेप्स होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस वर्ष के अन्त तक इन्टर साइन्स का सामान खरीद लिया जावेगा और कोई रकम लेप्स नहीं होगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने कहा कि ५ हजार का फर्नीचर खरीदने का अधिकार प्रिंसीपल को २१-१-५६ को दे दिया गया है और वह खरीदा जा रहा है और ३० हजार का हाई पॉवर कमेटी खरीद कर रही है। सो रुपया लेप्स नहीं होगा और अगले साल में रुपया मिल सकेगा।

Page No 6

प्रश्न संख्या ३८

जनवरी १९५५ के पश्चात विभिन्न तहसीलों के किसानों के लगान में कमी करने के आवेदन पत्र

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद किन किन तहसीलों के किसानों ने लगान में कमी करने के लिए आवेदन-पत्र दिये ?

(ख) ऐसी कौन कौन सी तहसीलें हैं जहां लगान में कमी कर दी गई है ?

(ग) ऐसी कौन कौन तहसीलें हैं जिनके प्रार्थनापत्र सरकार के विचाराधीन हैं ?

(घ) उक्त प्रार्थनापत्र कब से सरकार के विचाराधीन हैं ?

(ङ) जिन तहसीलों में लगान कम किया गया है वहां पहले क्या क्या लगान था और अब कितने प्रतिशत कम किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—क. १ जनवरी, सन् १९५५ के बाद निम्नलिखित तहसीलों किसानों ने लगान में कमी के बाबत आवेदन-पत्र पेश किये थे :

१. जमवा रामगढ । २. फुलेरा । ३. देव । ४. दूनी । ५. टोडा रायसिंह । ६. फागी । ७. आमेर । ८. दांता रामगढ । ९. नीम का थाना । १०. श्री माधोपुर । ११. चाकसू दो गांव अकोड़िया निमोड़िया । १२. बैराठ (ठिकाना शाहपुरा) १३. लालसोट एक गांव । १४. नावां २९ गांव । १५. परबतसर का एक गांव । १६. नागोर । १७. मेडता । १८. खारची दो गांव ।

ख. सिवाय ठिकाना शाहपुरा तहसील बैराठ के और किसी तहसील के लगान की दरों में कमी नहीं की गई है ।

ग. जिन क्षेत्रों की सूची ऊपर दी गई है उन सब के आवेदन पत्र अभी विचाराधीन हैं ।

घ. यह सब आवेदन पत्र लगभग सात आठ महीनों से विचाराधीन हैं ।

ङ. ठिकाना शाहपुरा तहसील बैराठ का पहले कुल लगान २,०६,४२४ रु० था और अब १,८३,०७४ रुपये है और कमी करीब ११ प्रतिशत की है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ तहसील और रूपनगर के किसानों ने भी लगान कम करने के लिये आपके पास आवेदन पत्र भेजे थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में हैं कि ऐसे आवेदन पत्र सैकड़ों की तादाद में रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे गये और रजिस्ट्री की रसीदें उनके ऑफिस की तरफ से दस्तखत होकर उन किसानों के पास मौजूद हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—लगान कम करने की दरख्वास्तें नहीं आई थी। पचों के मिलने के संबंध में दरख्वास्तें आई। लगान कम करने के सम्बन्ध में गांव या तहसील की तरफ से कोई दरख्वास्तें नहीं आई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ तहसील के कई गांव व पूरे गांव की तरफ से मांग की गई कि हमारे यहां लगान बहुत ज्यादा है उसको कम किया जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जो सूचना मैंने आपको बताई है उसके सिवाय हमारे यहां कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इसकी जांच करने के लिये तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर माननीय सदस्य बतावेंगे तो उसकी जांच की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मालपुरा तहसील में लगान कम कर दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं। वहां बन्दोबस्त दुबारा हुआ है ?

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि जालोर और आहोर तहसीलों की तरफ से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसे बहुत सी जगह से आते हैं। काश्तकार इन्डीविजुअली भी पेश करते हैं, किसी में सोइल के क्लासिफिकेशन की उजरदारी है जो कि रिव्यूऑफ रेंट एण्ड रिवेलिडेशन एक्ट के अन्तर्गत देना चाहिए। जालोर से और आहोर से ऐसी कोई दरख्वास्तें आयी हों, मुझे जानकारी नहीं है।

चांदमल मेहता—जो आवेदन पत्र आये हैं उनको सात महीने तक पेन्डिग रखने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनकी जांच करनी पड़ती है, बन्दोवस्त के अधिकारी मौके पर जाकर उनकी जांच करते हैं कि रैटस ठीक हैं अथवा ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा होता है तो एक्ट के अन्दर जो प्रोसिजर दिया हुआ है उसके अनुसार गवर्नमेन्ट को भेजना पड़ता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय बतावेंगे कि प्रार्थना पत्रों में से कौन कौन फाइनल स्टेट पर आ गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया था कि एक शाहपुरा ठिकाना है जिसका लगान कम कर दिया गया, बाकी के विचाराधीन हैं। कई तो बोर्ड तक पहुंच गये।

श्री चांदमल मेहता—सरकार के सामने कोई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकार के सामने तो शाहपुरा का था जो मजूंर हो गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि परबतसर के लिए बताया नहीं था, सो रेवेन्यू बोर्ड से सिफारिश होकर आ गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—परबतसर के एक गांव की शिकायत थी। वह अभी सरकार के पास नहीं आई।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्टस, **श्री चांदमल मेहता**।

प्रश्न संख्या ३६

जिलों के पुनर्निर्माण हेतु सरकार द्वारा समिति की स्थापना

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिलों के पुनर्निर्माण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा क्या कोई समिति बनाई गई है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति कब बनी और उसके कौन २ सदस्य हैं ?

(ग) उक्त समिति के रिपोर्ट को पेश करने की अन्तिम तिथि कौनसी थी ?

(घ) उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) समिति ३१ मार्च, १९५५ को बनी और उसके निम्न लिखित सदस्य हैं—

१. मुख्य सचिव

२. अतिरिक्त मुख्य सचिव

३. अध्यक्ष, राजस्व मंडल

४. गृह स

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

५. राजस्व सचिव

६. उप सचिव, योजना विभाग ।

कुल ६

(ग) क्योंकि समिति को बहुत विस्तृत सामग्री इकट्ठी करनी थी, रिपोर्ट पेश करने के लिये कोई तारीख निश्चित नहीं की गई थी ।

(घ) उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी पेश नहीं की है ।

श्री चांदमल मेहता—कोई मयाद निर्धारित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे उत्तर में इसके जवाब का समावेश है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि वे सदन में कोई तिथि घोषित कर चुके हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने कहा था कि जल्दी हो जायगा । आप किशनगढ़ के बारे में कीन (Keen) थे, एस. आर सी की रिपोर्ट आ जाने से उपयुक्त नही समझा गया ।

श्री चांदमल मेहता—आखीर मई तक जिलों के पुनर्निर्माण के बारे में अवधि मुकर्रर करके घोषणा कर चुके हैं, क्या यह जानकारी में है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने कहा था कि मई के अन्त तक रिपोर्ट आ जायगी । लेकिन एस. आर. सी. और दूसरी चीजों के सामने आ जाने के कारण अभी उसका फाइनल डिसिजन करना मुश्किल है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि ऐसा आदेश दिया गया कि राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट का इन्तजार है इसलिए पुनर्निर्माण के बारे में कोई फैसला नहीं किया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे याद नहीं पड़ता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सदन में दुबारा मई तक की घोषणा करने के बाद भी समिति की कोई अवधि मुकर्रर नहीं की गई उसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जैसा मैंने अर्ज किया उस समिति को इस बारे में काफी मैटीरियल इकट्ठा करना था और एस. आर. सी. की रिपोर्ट आ जाने के कारण बाद में फैसला कर लिया जायगा ।

श्री चांदमल मेहता—यह सारी कठिनाई तो सदन में घोषणा करने के वक्त भी थी और जब सदन में घोषणा की गई तो वह सोच-समझ कर ही आयी होगी। इसका कोई विशेष कारण है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कई कठिनाइयां सामने थीं इसलिए रिपोर्ट पेश नही हुई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ऐसी कठिनाइयां सामने आयीं और एस. आर. सी. की रिपोर्ट जल्दी आने वाली थी इसलिए ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये कि इसको पेन्डिंग रखो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि ऐसे आदेश जारी नहीं किए गये। जहां तक मेरी जानकारी में है रिपोर्ट पेश न की जाय।

श्री चांदमल मेहता—पेश नहीं किया जाय तो यह कहा गया कि एस. आर. सी. को रिपोर्ट तक इसको पेन्डिंग रखो ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं जितना स्पष्ट कर चुका हूँ उससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री भोपालसिंह !

प्रश्न संख्या ४०

तहसील मेडता डेगाना में सन् १९५३–५४–५५ व ५५–५६ में किये गये कार्य

श्री भोपालसिंह—क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील मेडता व डेगाणा में सन् ५३–५४ व ५४–५५ व ५५–५६ में कितनी कितनी लागत के क्या क्या काम कहां कहां किये गए हैं ?

(ख) क्या यह काम समाप्त हो चुके हैं और उनका हिसाब पेश हो गया है ?

(ग) क्या सरकार इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) तहसील मेडता व डेगाणा में सन् ५३–५४, ५४–५५ व ५५–५६ में जो जो विकासीय कार्य किए गए तथा जितनी लागत के हुए उनकी फहरिस्त संलग्न है।

(ख) तहसील डेगाणा के विकासीय कार्य जो ५४–५५ में किए गए उनमें से, २३ गांवों का कार्य समाप्त हो चुका है, दो गांवों का काम अभी चल रहा है तथा २१ का हिसाब पेश

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हो चुका है। तहसील मेडता में ५३–५४, ५४–५५ में किए गए कार्य समाप्त हो चुके हैं व हिसाब भी पेश हो गया है। सन् ५५–५६ के अभी दो कार्य बाकी हैं व उनका हिसाब अभी पेश नहीं हुआ।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भोपालसिंह—डेगाना के दो गांवों के ५४–५५ के हिसाब पेश नहीं हुए हैं, उसका क्या कारण है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इतनी विस्तृत जानकारी मैं नहीं दे सकता, हिसाब मांगे जा रहे हैं, जल्दी ही आ जावेंगे।

श्री भोपालसिंह—उनके नाम क्या हैं जिनके हिसाब पेश नहीं हुए हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे उन दो गांवों के नाम का अभी पता नहीं है, बाद में सूचना दे दूंगा।

श्री भोपालसिंह—इस सूची में लिखा हुआ है कि ५४–५५ के साल में २ हजार रुपये मिले और ५५–५६ में एक ही गांव के लिए वर्क है या तमाम गांवों के लिए है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस लिस्ट में एक ही गांव का नहीं है, कई गांवों का है।

श्री भोपालसिंह—पुनलोता को दो साल से रकम मिलती रही है जब कि दूसरे गांवों को एक दफा भी नहीं मिली है, इसका क्या कारण है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वहां काम ज्यादा होंगे।

श्री भोपालसिंह—वहां की आबादी के लिहाज से काम ज्यादा नहीं है लेकिन सिफारिश के हिसाब से किया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डेवलप्मेन्ट कमेटी ही तैयार करती है सरकार नहीं।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—जिन दो गांवों के हिसाब नहीं आये हैं, उनका क्या कारण है?

Page No 12

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने निवेदन किया कि जांच करेंगे, मुझे नहीं मालूम है कि क्यों नहीं आये।

श्री भैरूसिंह—जिन अधिकारियों के मातहत ये काम हो रहे हैं उनकी जानकारी ली होगी कि क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—लिस्ट बहुत लम्बी-चौड़ी है इसलिए निवेदन किया था कि बाद में दे दूंगा।

श्री भोपालसिंह—जिनके हिसाब नहीं आये हैं आपको चिन्ता होगी। सरकारी अधिकारियों ने की होगी, अथवा आपने की होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जिन गांवों के हिसाब नहीं आये हैं उस सम्बन्ध में निवेदन किया कि मैं बाद में दे दूंगा, एक एक डवलप्मेन्ट वर्क के हिसाब के सम्बन्ध में मिनिस्टर को पूरी जानकारी रहे, यह जरा सम्भव नहीं है। मुझको नहीं मालूम कि हिसाब क्यों नहीं आए ?

श्री भोपालसिंह—तो कमेटी ने क्या एक ही गांव के लिए कर दिया और दूसरों की सुनवाई नहीं की ? इस कमेटी में समान रूप से सदस्य होने चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—डवलप्मेन्ट कमेटी में एम० एल० ए० हैं, एम० पी० हैं, कलेक्टर हैं जो कि चेयरमेन हैं उस कमेटी के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य हैं, उसमें फिर बेलेन्स कैसे रहेगा ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि अमुक मेम्बर उस कमेटी की मीटिंग में नहीं पहुँचे तो डवलप्मेन्ट कमेटी की बैठक पोस्टपोन हो जाती है क्योंकि अमुक एम० एल० ए० वहां नहीं पहुँचा है और खास तौर से कांग्रेस के सदस्य और यदि ऑपोजिशन की तरफ का कोई सदस्य हो और वह न पहुँचे तो कार्यवाही शुरू और निर्णय भी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी हमने हिदायत जारी नहीं की है।

श्री भैरूसिंह—क्या डवलप्मेन्ट कमेटी का निर्णय बहुमत के आधार पर तय होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४१

जनवरी १६५५ के पश्चात् एक से अधिक बार स्थानान्तरित तहसीलदार

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, १६५५ के बाद राजस्थान में कुल कितने तहसीलदारों के तबादले किये गये ?

(ख) ऐसे कौन कौन तहसीलदार हैं जिनका तबादला एक से अधिक बार १ जनवरी, १६५५ के बाद किया गया है ?

(ग) उक्त तहसीलदारों के तबादले कितने कितने समय बाद होते रहे हैं ?

(घ) ऐसे कौन कौन तहसीलदार हैं जिनके तबादले चार्ज लेने के पहले ही मंसूख कर दिये गये ?

(ङ) ऐसे कौन कौन तहसीलदार हैं जो चार्ज लेने पहुँच गये लेकिन उनके तबादले मंसूख कर दिये गये ?

(च) उक्त तहसीलदारों पर टी. ए. व डी. ए. का कितना खर्चा लगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, इस सवाल को नेक्स्ट टर्न पर ले लिया जाय क्योंकि इसका जवाब पूरा नहीं आया है।

कुं० श्री जसवंत सिंह—रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की यह खास बीमारी है कि वहां से जवाब समय पर नहीं मिलते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—४०० नामों की लिस्ट है।

श्री चांदमल मेहता—४०० नाम नहीं मांगे हैं। मैंने तो उनके नाम मांगे हैं जिनका दुबारा तिबारा तबादला किया गया है।

श्री अध्यक्ष—कल रख दें।

श्री दामोदरलाल व्यास—टाइप हो रहे हैं, कल दे दूंगा।

प्रश्न संख्या ४२

जनवरी १६५४ के पश्चात् भारत सरकार की सेवा में, त्यागपत्र देकर, गये हुए उद्योग विभाग (राजस्थान) के कर्मचारी

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;—

[श्री चांदमल मेहता]

(१) १जनवरी, १९५४ के बाद उद्योग विभाग के कितने कर्मचारी त्यागपत्र देकर भारत सरकार की सेवा में चले गये ?

(२) ऐसे कौन कौन कर्मचारी हैं जिन्होंने राजस्थान सरकार के मारफत यूनियन पब्लिक सरविस कमिशन को आवेदन पत्र प्रेषित किये हैं ?

(३) किन किन के प्रर्थना-पत्र राजस्थान सरकार द्वारा रोक लिये गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—(१) कोई नहीं।

(२) इस विभाग में निम्न कर्मचारियों ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास प्रार्थना पत्र प्रेषित किये हैं :—

१. श्री ए. सी. दास गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर इन्डस्ट्रीज एन्ड कोमर्स, राजस्थान, जयपुर।
२. श्री एम. एस. नारायणन् डिप्टी डायरेक्टर, शीप एन्ड वूल, बीकानेर
३. श्री के. बी. डंगायच्, असिस्टेन्ट डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज एन्ड कोमर्स, भरतपुर
४. श्री सी. एल. कपूर ,, ,, ,,
५. श्री पूरणसिंह ,, ,, ,,
६. श्री आर. के. केशोट, डिप्टी डायरेक्टर हैन्डलूम।
७. श्री के. डी. शर्मा, असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज एन्ड कोमर्स, कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट।
८. श्री बी. के. व्यास, मार्केटिंग आफिसर
९. श्री के. एन. टिक्कू, मार्केटिंग आफिसर
१०. श्री आर. एस. खूटेटा, पाम गुड ऑर्गेनाइजर
११. श्री गुरुदत्त, शीप रिसर्च आफिसर

(३) निम्नलिखित कर्मचारी टेक्निकल योग्यता प्राप्त हैं और इस विभाग के लिये इनकी सेवायें अति आवश्यक हैं, अतः इनके प्रार्थना पत्र कमीशन को भेजना उपयुक्त नहीं समझा गया।

१. श्री एम. एल. नारायणन्, डिप्टी डायरेक्टर शीप एन्ड वूल
२. श्री के. बी. डंगायच्
३. श्री बी. के व्यास, मार्केटिंग आफिसर
४. श्री के. डी. शर्मा, एसिस्टेंट डाइरेक्टर ऑफ हैन्ड लूम कम कॉम्यूनिटी प्रोजेक्ट
५. श्री गुरुदत्त, शीप रिसर्च ऑफिसर

Page No 15

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है इन लोगों ने यह मांग की थी कि हमको वेतन में तरक्की दी जाय और अगर तरक्की न दी जाय तो हमारे प्रार्थना-पत्र यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को फोर्वर्ड कर दिये जांय।

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां; वहां जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि श्री दास गुप्ता त्यागपत्र देकर भारत सरकार की सेवा में चले गये हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं, जैसा कि मैंने पहले बतलाया यह आपका ख्याल गलत है।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या श्री दास गुप्ता राजस्थान सरकार की सर्विस में हैं और अगर हैं तो कौनसे पद पर ?

श्री पंड्या—उनको दो साल के लिये भेजा है डेपुटेशन पर।

श्री चांदमल मेहता—क्या उनको राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से डेपुटेशन पर भेजा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—भारत सरकार ने मांग की थी इसीलिये राजस्थान सरकार ने उन्हें डेपुटेशन पर भेजा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि श्री दास गुप्ता ने एडीशनल डाइरेक्टर ऑफ कोमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज बनाने की मांग की थी। जब उनकी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई तब उन्होंने भारत सरकार की सेवा में डेपुटेशन पर जाना मुनासिब समझा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—दुनियां के सभी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि उन्होंने ऐसी मांग की हो तो कोई बड़ी बात नहीं।

श्री चांदमल मेहता—दुनिया के सभी लोग यह चाहते हैं कि तरक्की मिले, किन्तु राजस्थान सरकार वाजिब तरक्की भी देना नहीं चाहती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार जहां जिसको जितनी तरक्की देना आवश्यक समझती है उतनी दी जाती है और अगर कोई अधिक की आशा करता है तो उसको उतनी मिल नहीं सकती।

श्री चांदमल मेहता—जब आप तरक्की भी देना नहीं चाहते तो फिर इनके आवेदन पत्र को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नहीं भेजने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसलिये नहीं भेजे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हमें इनसे काम लेना है। जब हमने इनको ट्रेन्ड किया है तो यहां का काम रुक जावे और दूसरे स्थान पर जाने के लिये कैसे इजाजत दी जा सकती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के पास कोई ऐसे नियम हैं जिनके अनुसार उनके हक को मारा जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हक के मुताबिक तरक्की दी जायगी।

श्री चांदमल मेहता—जब उनको हक की तरक्की नहीं दी गई तभी तो वे यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन में जाना चाहते हैं, तो क्या आप उनको रोके रखेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कौनसे नियम हैं जिनके मुताबिक आप उन्हें रोक सकते हैं ? क्या कोई केबिनेट ने इस प्रकार ठहराव किया है ?

श्री अध्यक्ष—नियम नहीं पूछे जाते, वस्तुस्थिति पूछी जाती है।

प्रश्न संख्या ४३

श्री अध्यक्ष-श्री विश्वम्भर नाथ जोशी

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या ४४

जयपुर जिले में कोयला बेचने का डीलर व उसके द्वारा लगाई गई विक्रय दर

श्री चांदमल मेहता—क्या रसद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. जयपुर जिले में कोयला बेचने के लिये कौन कौन डीलर मुकर्रिर किये गये हैं ?

२. उक्त डीलर को किस किस स्थान पर किस किस रेट से कोयला बेचने की इजाजत है ?

३. ऐसे कौन कौन स्थान हैं जहां कोयला नहीं मिलने या अधिक रेट पर देने की सरकार के समक्ष शिकायतें आई हैं ?

४. कोयला वितरण की पिछली व्यवस्था में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—१. जयपुर जिले में कोयला वेचने के लिये श्री रूघलाल व सावितिया १. ४. ५५ से ३१. ३. ५६ तक की अवधि के लिये टेन्डर के द्वारा कन्ट्रेक्ट सिस्टम पर मुकर्रर किया गया है।

उक्त डीलर के साथ निम्न स्थानों पर कोयला बेचने की शर्त है :—

१. सांगानेर, २. सांभरझील, ३. दौसा, ४. किशनगढ़, ५. सरवाड़, ६. फुलेरा, ७. चौमू, ८. बस्सी।

कोयला डिप्टी कोल कमिश्नर, कलकत्ता के द्वारा कोल कन्ट्रेक्टर को मिलता है जिसकी रेट की फलावट की डिटेलस इस प्रकार है।

१. कीमत कोयला बीजक के अनुसार, २. रेल भाडा, ३. सेल्स टेक्स, ४. मिडिलमेन का कमिशन, ५. भारत सरकार द्वारा मन्जूर शुदा, ६. ठेकेदार का कमिशन जो जयपुर जिले के लिये दो आना हार्ड कोक, ३ आना सोफ्ट कोक और २ आ० ६ पा० स्टीम कोल प्रतिमन है।

जयपुर जिले में केवल किशनगढ ही एक स्थान है जहां से मौजूदा कोल ठेकेदार को हटाकर श्री हीरालाल शर्मा जिनको पहले कोयला वितरण के लिये मिलता था उसी को फिर से दिये जाने की बाबत प्रार्थना करते हुये मौजूदा ठेकेदार के द्वारा किशनगढ़ का कोयला जयपुर लेजाकर बेचने आदि की शिकायत है जिसको स्थानीय अधिकारियों के पास जांच के लिये भेजा गया है।

कोयला वितरण की पिछली व्यवस्था में जो कि स्थानीय अधिकारियों की सिफारिश थी पर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्थान के लिये दिया जाता था। परिवर्तन करने के निम्न कारण हैं:—

१. स्थानीय अधिकारियों के द्वारा कोयले की पूर्ति की सिफारिश कई व्यक्तियों से नाम जिले के मुकर्रर शुदा कोटे से बहुत अधिक तादाद में की जाती थी जिसके कारण सिफारिश किये हुये व्यक्तियों से कोयले के कोटे के वैगनों की तादात बहुत कम होती थी और यह निश्चय करना कठिन होजाता था कि किसको कोयला दिया जाय।

२. ऐसे व्यापारी कोयला का भाव निश्चत नहीं करवाते थे और मनमाने भाव पर कोयला बेचते थे। कोयला पूरे जिले में एक ही भाव पर बिके, इसी दृष्टिकोण से कांट्रेक्ट सिस्टम अमल में लाया गया है और इस व्यवस्था में परिवर्तन करना या नहीं करना गवर्नमेन्ट के विचाराधीन है। जिले के तमाम जिलाधीशों की राय भी इस विषय में ली गई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस युग में भी कंट्रोल की व्यवस्था लागू करना ठीक समझती है?

Page No 18

श्री भोगीलाल पण्ड्या—सरकार कन्ट्रोल हटाने के लिये भरसक प्रयत्न करती रही है, यह आपको भी मालूम है लेकिन किसी चीज की कमी हो जाय तो उसकी व्यवस्था भी तो सरकार को ही करनी पड़ती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की यह जानकारी में है यह कमी मौजूदा कन्ट्रोल के कारण एक व्यक्ति को एकाधिकार देने की वजह से पैदा हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो आपका ख्याल है। कोयले की कमी के पूरे होते ही कन्ट्रोल हटा दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि इस तरह का कन्ट्रोल राजस्थान के आस पास जितने भी प्रोविन्सेज हैं किन्हीं में नहीं हैं तो पहले पहल राजस्थान में यह कन्ट्रोल की पद्धति क्यों अपनाई गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह खयाल आपका ठीक नहीं है। जहां जहां जिस चीज की कमी होती है वहां उसकी उचित व्यवस्था करने के लिये ही कन्ट्रोल लगाया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—तो आप यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के अलावा किन किन जगहों पर इस प्रकार की कन्ट्रोल पद्धति कायम है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ से जो शिकायत आई है वह कितने समय से पेन्डिग हैं और अभी तक कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कागज कभी पेन्डिग नहीं रहा करता है यह माननीय सदस्य को विदित होना चाहिये। ११-१-५६ को प्रार्थना-पत्र आया था उसकी जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम हुआ कि वहां ज्यादा कोयला था और जयपुर में उसकी कमी हो गई तो यहां मंगा लिया गया, इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट द्वारा वह कोयला यहां मंगा लिया गया और यहां जयपुर में बेचा गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की यह जानकारी में है कि किशनगढ़ का कोयला जयपुर मंगा कर बेचना किशनगढ़ के अधिकारों को छीनने की कार्यवाही नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो होता ही है। यदि किशनगढ़ में किसी चीज की कमी होती है और वह जयपुर में अधिक होती है तो वह वहां भी भेजते है, उसी प्रकार वहां कोयला ज्यादा था और जयपुर में आवश्यकता थी तो उसको मंगा लिया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि शिकायत जाने के बाद भी माननीय मंत्री महोदय ने किशनगढ़ कोयला भेजने का ख्याल नहीं किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप विश्वास रखिये, बहुत कोयला वहां पहुंच जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कोयले की रेट इतनी कम रखी गई है कि जिसकी वजह से ठेकेदार ब्लेक मार्केट करना चाहता है और कोयला पूरा बेचना नहीं चाहता ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बाकायदा अगर टेन्डर नहीं मांगे जाते तो आप यह कह सकते थे बाकायदा टेन्डर इनवाइट करते हैं, टेन्डर आते हैं, उसको सरकार मंजूर करती और सरकार बिकवाती है। यदि ब्लेक मर्केट करेगा और ज्यादा कीमत लेगा तो उसका नाम ब्लेक लिस्ट में आ जायगा और उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मौजूदा व्यवस्था ही काला बाजार करने के लिये प्रोत्साहन नहीं देती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मौजूदा व्यवस्था आज से नहीं काफी समय से चली आ रही है।

श्री चांदमल मेहता—मुकर्रर शुदा रेट से बेचने की व्यवस्था कितने समय से चालू है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब से राजस्थान बना है तब से।

श्री चांदमल मेहता—वे रेट क्या थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह आप अलग से पूछिये जब से इतिहास बना है तब से जानकारी प्राप्त करके बता दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—इस वर्ष तो यह व्यवस्था थी, इससे पहले टेन्डर इन्वाइट करने के लिये सरकार क्या कार्याही करती थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिस आदमी के लिए आपने लिखा हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैंने लिखा नहीं।

श्री भोगीलाल पंड्या—उस आदमी से टेन्डर मांगे गये उसने टेन्डर नहीं दिया। गवर्नमेन्ट हमेशा ध्यान रखती है और जो लोएस्ट टेन्डर होता हैं उसी को मंजूर करते हैं उस आदमी ने टेन्डर नहीं दिया तो हमें दूसरे आदमी को ठेका देना पड़ा। इस सम्बन्ध में पहले ही मैं बता चुका हूँ हीरालाल शर्मा ने टेन्डर नहीं दिया है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता क्या हूँ और जवाब क्या मिल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि यह व्यवस्था जो आपने शुरू की इस साल की या पहले भी थी और जवाब दिया जाता है टेन्डर का।

श्री अध्यक्ष—यह कोयले का व्यापार ही ऐसा है।

(हंसी)

श्री चन्दनमल बैद—जिसमें मन्त्रियों के हाथ काले हो रहे हैं।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—व्यापार और मन्त्रियों के काम दोनों एक किस्म के हैं।

(हंसी)

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं दो बार बता चुका हूँ कि जब से राजस्थान बना है तब से है।

श्री चांदमल मेहता—यह व्यवस्था करने से पहले भी टेन्डर इन्वाइट किये गये थे?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसकी जानकारी प्राप्त करके बता सकूंगा। कन्ट्रोल, जब से राजस्थान बना तब से है।

श्री चांदमल मेहता—मैं जितना चाहूँ उतना ही उत्तर मुझे चाहिये। क्या यह सही नहीं हैं कि यह मौजूदा व्यवस्था सरकार ने इस वर्ष बिलकुल नई की है टेन्डर इन्वाइट करके किसी को एकाधिकार देने की?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, इसमें एकाधिकार की कोई बात नहीं। यह तो टेन्डर जिसका कम आया उसको दिया गया। इसके सिवाय और कोई उचित रास्ता सरकार के पास इसकी व्यवस्था का नहीं था। अगर टेन्डर नहीं इन्वाइट करते और किसी को दे देते तो आप कहते कि पक्षपात किया और इन्वाइट करते हैं टेन्डर तो यह बात कहते हैं।

श्री चांदमल मेहता—कमी होने की शिकायत किस-किस जिले से आई?

श्री भोगीलाल पंड्या—सारे राजस्थान भर से।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह समझा जावे कि सारे राजस्थान के जो भी जिलाधीश है उन्होंने सबने इस प्रकार की शिकायत एक ही तिथि को दी थी?

श्री भोगीलाल पंड्या—तिथि कोई नहीं होती है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है, ख्याल की कमी है। इतना नहीं देख पाते हैं कि जगह जगह इस चीज की कमी हैं, जो कि किसी को भी पूछ लीजिये वह ही बता देगा और क्योंकि हमें पूरा मिलता नहीं है इसलिये कन्ट्रोल करना पड़ता हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पूरा नहीं मिलता है इसलिये इसका एकाधिकार जो दे दिया जाता है इससे यह ब्लेक मारकेट में चला जाता है और वहां अच्छे दामों पर बिकता है?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब कन्ट्रोल करते हैं तो टेन्डर तो इन्वाइट करने ही होते हैं और उसके वितरण का भार सरकार अपने पर लेती है। अगर कमी नहीं हो तो न तो कन्ट्रोल की जरूरत है और न सरकार को इसे अपने हाथ में लेकर वितरित करने की आवश्यकता ही रहती है। अब टेन्डर इन्वाइट करना बहुत जरूरी हो जाता है और यह एक मामूली सी बात है जो किसी के समझ में आ सकती है। मामूली सी बात है, यह भी समझ में नहीं आये तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—समझ में नहीं आये, वह नहीं आये, यह युक्ति संगत बात नहीं है। प्रश्न करना सदस्य का अधिकार है और उसका उत्तर आप दें तो सही ढंग से दें, मुद्दे पर दें यह आपका काम है। समझ में नहीं आया यह कहना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपने उत्तर में बता चुका हूँ कि चीज की कमी थी, इसलिये उसके वितरण का भार सरकार को लेना पड़ा और इसके लिये टेन्डर इन्वाइट किये। इसमें अब कौनसी चीज बेजा हुई, यह मैं जानना चाहता हूँ। अगर इसमें खामी आई हो तो आप बतावें।

श्री चांदमल मेहता—खामी यह है कि जो अभी तक भी समझ में आई नहीं है। वहां जो कोयला किशनगढ़ में आया, वह एकाधिकार की वृत्ति होने से और किसी को कोई परमिट से वगैरह से या कन्ट्रोल से दिया जाता हो यह बात तो है नहीं, वह कोयला जयपुर में आकर ब्लेक मारकेट में बिक गया। अगर इसको आप ठीक कर दें तो ठीक है।

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर आप मेरा उत्तर सुन लेते तो यह सब प्रश्न करने की जरूरत नहीं होती। मैं कह चुका हूँ कि वहां पर कमी थी और शिकायत आ रही थी इसलिये यहां यह इन्तजाम कराना पड़ा। अब अगर इस इन्तजाम के खिलाफ कोई कुछ करता है तो वह बात ध्यान में आएगी तो उसका भी इन्तजाम किया जावेगा। अगर ब्लेक मारकेट में बिक गया या कर गया तो उसका भी इन्तजाम किया जायगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—रसद विभाग के पास अब क्या केवल यह कोयले का बटवारा करना ही रह गया है ?

श्री अध्यक्ष—अब सप्लीमेन्टरीज की बारी आई।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य—यह कोटा का कोयला है साहब।

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि यह अक्सर देखने में आता है कि पॉवर हाउस से डिब्बे के डिब्बे कोयले के गायब हो जाते हैं तो क्या यह कोयला इन जगहों पर भेजा जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सप्लाई विभाग में तो गायब होने की शिकायत आई नहीं है। आप जानकारी दे रहे हैं यह बात अलग है। वैसे सप्लाई विभाग का पावर हाउस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न संख्या ४५

श्री अध्यक्ष—श्री विश्वम्भर नाथ जोशी।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या ४६

सन् ५१ की जनगणना की रिपोर्ट का प्रकाशन

श्री भोपालसिंह—क्या राजस्वमन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान राज्य की १९५१ की जनगणना की रिपोर्ट गांववार अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं की गई है, जब कि दूसरी जनगणना एन करीब है ?

(ख) अब कब तब प्रकाशित कर दी जावेगी ?

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री)— (क) राजस्थान की जनगणना की गांव वार सूची डिसिट्रिक्ट एण्ड सेशन्स हैण्ड बुक पार्ट सैकिन्ड में है। यह २५ जिलों की तैयार करके सन् १९५२ में राजकीय मुद्रणालय में छपने के लिये भेज दी गई। कुल २५ जिलों की २५ जिल्दों के १२०० कुल पृष्ठों में है। इसमें से कुल २५० पृष्ठ का प्रूफ बाकी है। गांवों के नाम हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में हैं व आंकड़े अंग्रेजी में हैं। मुद्रणालय में काम ज्यादा होने से यह अब तक नहीं प्रकाशित हुई।

(ख) अब अगस्त सन् १९५६ तक प्रकाशित होगी।

श्री भोपालसिंह—५२ से लेकर ५६ तक इन चार सालों में भी इसको छापने की फुरसत नहीं मिली प्रेस को ?

श्री सम्पतराम—अब जल्दी ही छप जायगी। काम की अधिकता होने से छापी नहीं जा सकी।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार इसको इनफीसियेन्सी की हद नहीं मानती है ?

श्री सम्पतराम—काम की अधिकता होने से यह कार्य अब तक नहीं हो पाया। इसमें अनएफीसीन्सी की कोई बात नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—जब काम की अधिकता से दूसरा मैटीरियल भी सरकार दूसरे प्रेसों को देकर करा सकती है तो इसकी दूसरी जगह छपाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ।

श्री सम्पतराम—यह व्यवस्था ही की गई है ।

श्री श्रीदास गोयल—यह कब की गई ?

श्री सम्पतराम—मेरे पास निश्चित तारीख तो नहीं है ।

श्री कु० जसवन्तसिंह—चार वर्ष तक छपने का बन्दोबस्त नहीं किया गया इसका क्या कारण ?

श्री सम्पतराम—गांव वार इतनी लम्बी चौडी सूची बन रही हैं । इतने बड़े काम में समय तो लगता ही है ।

श्री श्रीदास गोयल—ईसरदा ग्राम पंचायत में इस प्रकार की सूची उपलब्ध न होने से चुनाव न हो सका, क्या सरकार को यह भी मालूम है ?

श्री सम्पतराम—पंचायतों में वोटर लिस्ट होती ही नहीं है ।

श्री श्रीदास गोयल—चार साल में बीच बीच में इसकी प्रोग्रेस की जांच भी सरकार ने कभी की ?

श्री सम्पतराम—यह अलग से सवाल है ।

श्री श्रीदास गोयल—इन गावों का इस सूची से ही सम्बन्धित प्रश्न है । हरेक व्यक्ति इसको जानने को बडा उत्सुक है । यह सूची मिले तो इससे संख्या मालूम हो सके । इसके बिना हरेक चुनाव में बड़ी अड़चन पडती है । क्या सरकार ने इस बात को कभी सोचा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि यह वोटर लिस्ट नहीं है । इसमें मुगालता फिर हो रहा है । पंचायतों के चुनावों में इससे कोई वास्ता नहीं ।

श्री श्रीदास गोयल—मेरा निवेदन करना यह है कि इसका वहां सम्बन्ध इस तरह से है कि इससे इतने व्यक्ति प्रति गांव के हिसाब से तमाम चुनाव क्षेत्र बनते हैं और अगर तमाम संख्याएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होती तो इससे कई गांव अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं ।

श्री सम्पतराम—अब शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न किया जा रहा है कि यह छप जावे ।

श्री भोलानाथ—क्या माननीय मन्त्री के कहने की यह मंशा है कि जो पंचायतों के चुनाव कराये गये वे ५१ की जनगणना के अंकों के आधार पर नहीं कराये गये ?

Page No 24

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी, ये चुनाव सन् ४१ की गणना के आधार पर हुए है।

श्री भोलानाथ—फिर केन्द्र कैसे कायम किये गये ? ये भी इसी ४१ की गणना के आधार पर किये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या इस बात की आशा की जावे कि यह लिस्ट सन् ६१ तक तो छप जावेगी ?

श्री सम्पतराम—मैंने अभी बताया कि अगस्त ५६ में निश्चित तौर से आपके पास पहुँच जावेगी।

श्री कु० जसवन्तसिंह—कौनसी तारीख को यह छपने को भेजी गई ?

श्री सम्पतराम—सन् ५२ में भेजी गई थी।

श्री कु० जसवन्तसिंह—कौनसी तारीख और नम्बर से भेजी गई ?

श्री सम्पतराम—निश्चित तारीख और नम्बर इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्री भैंरूसिंह—किस वर्ष और किस महीने में यह मालूम हुआ आपको कि यह प्रेस छपाई नहीं कर सकेगा ?

श्री सम्पतराम—जब प्रेस ने कहा तब मालूम हुआ।

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार ने स्वयं भी कोशिश की चार वर्षों में बीच में कभी कि इसकी क्या प्रोग्रेस है ?

श्री सम्पतराम—यह तो वे खुद देखते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—Reply must be accurate and there must be some sagacity in the reply.

(विपक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री भैंरूसिंह—ये जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव होते रहते हैं, इनमें भी क्या ४१ की गणना आधार रही या ५१ की गणना ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसका सम्बन्ध दूसरे से है।

श्री भैंरूसिंह—५२ से ५६ के बीच यह सूचना कब मिली कि यह छापाखाना इसे छापने का काम नहीं कर रहा है ?

श्री दामोदर लाल व्यास—वक्त वक्त पर प्रोग्रेस रिपोर्ट आती रहती है। हम भी ताकीद करते हैं रहते। पर काम ज्यादा है इसलिये जल्दी छपाई नहीं हो सकी। अब हमने इसके लिए शीघ्र छपने की व्यवस्था कर दी है।

श्री अध्यक्ष—But then it is a very serious question. The general elections are ahead and the Hon'ble Members are very keen to have the population. Four years have elapsed and members are entitled to know, when it will be printed and when it was sent.

(विपक्ष द्वारा हर्ष ध्वनियां)

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कौन से गवर्नमेन्ट प्रेस के पास छपने को भेजी गई थी? अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट प्रेस के सिलसिले में उत्तर दिया जा रहा है कि छपने को भेजी गई थी। मैं पूछता हूँ उसके कम्पोज किये हुए प्लेट्स पड़ी हैं या नहीं। क्या स्थित है?

श्री अध्यक्ष—बताया न अभी कि २५० पेज बाकी हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बाकी के काम के सिलसिले में समय समय पर प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगाई गई थी उसकी क्या सूचना है सरकार के पास?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस प्रकार की एक्जेक्ट सूचना तो नहीं है। पर अब इसकी अहमियत को समझते हुए जल्दी से जल्दी छपने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री भोपालसिंह—क्या यह सही है जो कि जनगणना विभाग से मुझे सूचना मिली है कि १२ डिस्ट्रिक्ट्स की ३ महिने पहले वहां से छापेखाने को भेज दी गई थी और वह छपकर आगई हैं और बाकि की अभी २–३ महिने से भेजी हैं?

श्री अध्यक्ष—आप सूचना दे रहें हैं या ले रहे हैं?

श्री भोपालसिंह—जो सूचना मुझे मिली है वह मैं कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—आप यह सूचना दे रहे हैं आपकी सूचना कोई वेल्यू नहीं रखती है।

श्री भोपालसिंह—सूचना नहीं दे रहा हूँ....

श्री अध्यक्ष—Order please! Next.

प्रश्न संख्या ४७

अलवर शहर के वार्ड नं० ६ में मेहताबसिंह के नोहरे नजूल की भूमि का किराया

श्री भवानी सहाय शर्मा—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अलवर शहर में वार्ड नं० ६ में मेहताबसिंह के नोहरे के पीछे नजूल की जमीन है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी है और अब वह किसके अधिकार में है और ६ महीने पहले किसके अधिकार में थी ? छः महीने पहले का किराया तथा वर्तमान किराया क्या है और ज्यादा किराया देने वाले को क्यों हटाया गया ?

(ग) क्या इस जमीन को बेचने का सरकार इरादा रखती है ?

(घ) क्या यह जमीन पहले नीलाम हो चुकी है ? यदि हां, तो नीलाम में कितनी बोली लगी थी ?

(ङ) क्या इस जमीन को लोग पुनः नीलाम करने की मांग कर रहे हैं और नीलाम कराने की दरख्वास्तें भी दी जा रही हैं ?

(च) सरकार इसे कब नीलाम करेगी ?

श्री संपतराम (उप मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) इस जमीन का रकबा ४५४, १।२ वर्ग गज है। ६ महीने पूर्व तथा इस समय में यह जमीन राजस्व विभाग के अधिकार में है। ६ महीने पूर्व का किराया १।।। रु० मासिक था और इस समय २ रुपये मासिक है। ज्यादा किराया देने वाले को हटाये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) बेचने तथा न बेचने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा इस जमीन के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) राजस्व विभाग द्वारा यह जमीन कभी नीलाम नहीं की गई।

(ङ) नीलामी के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र पेश नहीं हुआ।

(च) नीलाम करने का अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

श्री भवानी सहाय शर्मा—क्या पहले उसका किराया ५ रुपये महीने था ?

श्री संपतराम—नहीं नजूल डिपार्टमेन्ट ने कभी किसी को ५ रु० मासिक पर नहीं दी।

श्री भवानी सहाय शर्मा—क्या वह पहले ३ हजार रुपये में नीलाम हो चुका है ?

श्री संपतराम—इसका मैं निश्चित जवाब दे चुका हूं कि इस जमीन को कभी नीलाम नहीं किया गया।

श्री घासीराम—क्या वह जमीन कभी कमेटी की तरफ से किराये पर दी गई है ?

श्री संपतराम—यह बिल्कुल अलग सवाल है, म्युनिसिपेलिटी से ताल्लुक रखता है।

श्री घासीराम—क्या यह सही है कि वह जमीन नजूल की है लेकिन कमेटी अलवर ने किराये पर दी है। क्या कमेटी अलवर ने उसको किराये पर दी है ?

श्री संपतराम—नजूल डिपार्टमेन्ट की जमीन का म्युनिसिपेलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री घासीराम—क्या इसके कागज कलेक्टर के यहां नहीं चल रहे हैं ?

श्री संपतराम—कलेक्टर जिले का बहुत बड़ा अफसर होता है, उसके यहां कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है तो यह निश्चित होगा कि उसके यहां कागज चलें।

श्री घासीराम—क्या कलेक्टर साहब मौके पर नहीं गये हैं ?

श्री संपतराम—यह सम्भव हो सकता है।

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—क्या यह सही है कि इस जमीन का किराया कभी दो रुपये ज्यादा रहा है ?

श्री संपतराम—मैंने पहले ही कहा है कि बहुत दिनों से वह १॥। रुपये मासिक पर दी थी और उसका किराया अब २ रुपये है।

श्री घासीराम—क्या वहां के रहने वाले किसी के द्वारा दरख्वास्त स्पेशल तौर पर पेश की गई है कि वे इस जमीन को लेने के लिए, खरीदने के लिए तैयार हैं ?

श्री संपतराम—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं। यह जमीन बहुत दिनों तक रामप्रतापजी पंडित के कब्जे में चली आ रही है। यह नजूल की जमीन है। उनके मरने के बाद यह उनके लड़के के कब्जे में रही। बीच में यह हुआ कि माननीय घासीरामजी गुप्ता के भाई उमराव सिंह जी ने यह दरख्वास्त दी कि यह जमीन खाली पड़ी है, मुझे दे दी जाय और उन्होंने ५ रु०

[श्री सम्पतराम]

मासिक पर वह जमीन म्युनिसिपेलिटी से ले ली। म्युनिसिपेलिटी का जमीन से कोई ताल्लुक नह था। इस पर बाबूलालजी ने यह दरख्वास्त दी कि जमीन मेरे पास बहुत दिनों से थी और यह जमीनीं नजूल की है। इसके बाद नजूल डिपार्टमेन्ट और म्युनिसिपेलिटी में बहुत दिनों तक लगातार पत्र-व्यवहार चलता रहा और उससे यह स्पष्ट हो गया कि जमीन नजूल डिपार्टमेन्ट की है। इसके बाद में वह जमीन नजूल डिपार्टमेन्ट के कब्जे में है।

श्री भवानीसहाय शर्मा—क्या वह जमीन तीन हजार में नीलाम नहीं की गई ?

श्री संपतराम—मैं पहले ही बहुत स्पष्ट कह चुका हूं कि नीलाम नहीं हुई।

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—जिस समय घासीरामजी के भाई को जमीन म्युनिसिपेलिटी से मिली थी उस समय म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन कौन थे ?

श्री संपतराम—यह अलग सवाल है।

श्री भैरूसिंह—आपने बताया कि म्युनिसिपेलिटी ने दे दी थी तो उस समय म्युनिसिपेलिटी के कौन चेयरमेन थे ?

श्री संपतराम—उस समय श्री गोपाल नारायणजी चेयरमेन थे।

श्री घासीराम—घासीरामजी के भाई को जो जमीन दी तो उसका कब्जा उन्हें मिला था या नहीं ?

श्री संपतराम—कब्जा देने या लेने का सवाल ही नहीं उठता। कब्जा बहुत दिनों से नजूल डिपार्टमेन्ट का है। म्युनिसिपेलिटी का कब्जे से कोई ताल्लुक नहीं था।

एक माननीय सदस्य—तो क्या वह जमीन म्युनिसिपेलिटी ने गैरकानूनी तरीके से दी है।

श्री संपतराम—यह अलग सवाल है। अलग से प्रश्न पूछियेगा, उत्तर दे दिया जावेगा।

श्री घासीराम—अब जो जमीन दी गई है वह कमेटी ने दी है या नजूल ने दी है ?

श्री संपतराम—नजूल डिपार्टमेन्ट ने दी है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४८

श्री अध्यक्ष—महाराज श्री केसरीसिंह ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा परस्पर बातें करने पर)—Private affairs should not be discussed here.

प्रश्न संख्या ४९

भू० पू० अलवर राज्य के नायब तहसीलदार मोतराम व कन्हैयालाल का
राज्य सेवा में रहते एल. एल. बी. परीक्षा पास करना

श्री भवानी सहाय शर्मा—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) भू० पू० अलवर राज्य की सेवा के नायब तहसीलदार (१) मोतराम व (२) कन्हैयालाल जो अब तहसीलदार नियुक्त हो गये हैं की योग्यताएं राज्य की नौकरी में आये थे तब क्या थीं और अब क्या हैं ?

(ख) क्या इन्होंने एल. एल. बी. की परीक्षा राज्य की नौकरी में रहते हुए पास की है ?

(ग) क्या इन्होंने परीक्षा काल की छुट्टी ली थी ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री संपतराम (उप मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इसकी हमारे पास निश्चत इनफॉर्मेशन नहीं आई है इसलिए मेरी अर्ज है कि उसको नेक्स्ट टाइम पर रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या ४९ अनिश्चित रहा ।

श्री भवानी सहाय शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि प्रश्न बहुत साफ है । इसका रेकार्ड सब जगह रहता है कि तहसीलदार ने छुट्टी ली है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट टर्न में लिया जाय । वह तैयार होकर आ जायेंगे और आप भी ।

श्री जसवन्तसिंह—अनिश्चित सा जवाब दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—निश्चित सा जवाब लीजिये ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

Well, I may infrom that we have received the reply.

(विपक्ष की ओर से करतलध्वनि)

Let it be postponed.

श्री भवानीसहाय शर्मा—अध्यक्ष महोदय, यह कापी मेरे पास पहुंचा दी जाय।

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)—The reply will show that it is not complete. It is only in respect of one Tehsil.

श्री चन्दनमल वैद—This is efficiency at par excellence!

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये साफ रिप्लाइज़ हैं क्या साहब ?

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १

जयपुर नगर में १४४ धारा लगना एवं उसके अन्तर्गत गिरफ्तारियां

श्री अध्यक्ष—Short Notice Question.

श्री जवानसिंह—May I take it that....

श्री अध्यक्ष—Yes, Mr. Jawan Singh for Shri Sambhu Singh.

श्री जवानसिंह—Will the Home Minister be pleased to state:—

(a) Since when Section 144 Cr. P. C. has been imposed in Jaipur City ?

(b) How many arrests have so far been made under the aforesaid Section up to 6th March, 1956 ?

(c) How many of them were arrested out of and near Jaipur Railway station ? What are their names ?

(d) How many persons were taken into police custody and set free on 5th and 6 th march, 1956 ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(१) जयपुर सिटी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १४४ तारीख ४. ३. ५६ को ६ बजे शाम को लगाई गई।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(२) ता० ६. ३. ५६ तक १७९ गिरफ्तारियां हुईं ।

(३) ६० ।

(४) ७ व्यक्ति ।

श्री जसवन्तसिंह—एक प्रति मुझे नहीं दी गई पहले ।

श्री अध्यक्ष—प्रति की क्या जरूरत है ?

श्री जसवन्तसिंह—यह लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी १४४ धारा ।

श्री रामकिशोर व्यास—उसका, जब राजप्रमुख के भाषण पर डिसक्शन हुआ था उस समय मैंने रिप्लाई दे दिया था । यदि सुनना चाहें तो दुबारा कहूं ।

श्री जसवन्तसिंह—मुझे ऐसी बात सुनने को नहीं मिली । १४४ लगाने के खास कारण क्या थे, यदि बतलादें तो कृपा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लगाई है ।

श्री भैंरू सिंह (वि० सं० १६)—जिन व्यक्तियों को स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया है वह रेलवे के अहाते में गिरफतार किये गये या बाहर ?

श्री रामकिशोर व्यास—बाहर ।

श्री भैंरू सिंह—स्टेशन से कितनी दूर ?

श्री रामकिशोर व्यास—डिटेल मैं नहीं बता सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—It is immaterial.

श्री जसवन्तसिंह—१४४ धारा को क्या उन्होंने तोड़ा था इसलिये गिरफतार किया गया है ।

श्री रामकिशोर व्यास—जी हां ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या वह जत्था बनाकर बात कर रहे थे, इसकी बजह से पकड़ा गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—वहां ५ से अधिक व्यक्ति थे ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि केवल कोई आदमी साफा बांधा हुआ होना चाहिये और जिसके नाम के आगे 'सिंह', लगा है उन्हें ही पकड़ा गया है।

श्री रामकिशोर व्यास—यदि ऐसा हुआ होता तो आप में से बहुत से साहबान यहां नहीं आते।

श्री जसवन्तसिंह—जिन व्यक्तियों को पकड़ा गया उनमें से एक व्यक्ति का नाम 'सिंह', नहीं था और 'राम', था, तो उसको फौरन ही छोड़ दिया गया।

श्री अध्यक्ष—All these have been discussed.

भोपालसिंह—क्या कु० बहादुरसिंह जी ५ आदमियों के साथ थे जिन्हें गिरफतार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं, दूसरे भी मौजूद थे।

श्री जसवन्तसिंह—क्या कांग्रेस के जो लोयल होते हैं उनको भी पकड़ा जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास—कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी में सरकार को कोई तस्दीक नहीं है।

श्री भैंरूंसिंह—जिन व्यक्तियों को गिरफतार किया गया था उन्हें क्या स्टेशन से बाहर अहाते में नहीं ले जाया गया था ?

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या २

सदस्य श्री तनसिंह की गिरफ्तारी एवं उन पर आरोप

रावत श्री शम्भूसिंह—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) श्री तनसिंह, एम. एल. ए. को क्यों गिरफ्तार किया गया और उन पर क्या आरोप लगाया गया है ?

(ख) क्या उपरोक्त सदस्य पर खुली अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) उपरोक्त सदस्य को किस जेल में और किस श्रेणी में रखा गया है ?

(ङ) उपरोक्त सदस्य के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य की देख-रेख का क्या इन्तजाम सरकार ने किया है।

[रावत श्री शम्भूसिंह]

(च) क्या सरकार सदस्य को विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने की उचित व्यवस्था करने को तैयार है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) श्री तनसिंह को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के सेक्शन ३, सब सेक्शन (ए) (२) के अधीन जिलाधीश, जयपुर के वारन्ट द्वारा तारीख २. २. ५६ को दाता हाउस, जयपुर में गिरफ्तार किया गया।

(ख) (१) नहीं।

(२) प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के सैक्शन ८ के तहत एक एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है जिसको सैक्शन ६ के तहत ऐसे मामले रैफर किये जाते हैं। यह मामला एडवाइजरी बोर्ड को तारीख २. ३. ५६ को भेजा गया है।

(ग) प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के तहत कार्यवाही में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) श्री तनसिंह को जिला काराग्रह, टौंक में क्लास ऐ में रखा गया है।

(ङ) श्री तनसिंह के साथ नियमानुसार व्यवहार किया जा रहा है तथा इनके स्वास्थ्य की देख रेख आवश्यकता होने पर टोंक के चीफ मेडिकल ओफिसर द्वारा किये जाने का प्रबन्ध है।

(च) श्री **तनसिंह** की गिरफ्तारी प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अधीन हुई है। ऐसी सूरत में ऐसी व्यवस्था करना असम्भव है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—उनको जयपुर जेल में लाकर जेल वान में बिठाकर सिपाहियों के साथ असेम्बली तक पहुंचाया जावे ताकि वे एसेम्बली में हाजिर हो सकें, क्या ऐसा प्रबन्ध नहीं किया जा सकता ?

श्री अध्यक्ष—(It's a suggestive question)

श्री हरिकृष्ण व्यास—बात तो वाजिब है साहब।

श्री अध्यक्ष—Now the questons are over.

जन-लेखा एवं प्राक्कलन समितियों के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष—मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जनलेखा समिति और प्राक्कलन समिति १९५६-५७ के चुनावों के संबंध में निम्न कार्य क्रम निर्धारित किया गया है:

[श्री अध्यक्ष]

१. नामजदगी के पर्चों को पेश करना	.... १५-३-५६ ११ प्रातः तक
२. नामजदगी के पर्चों की जांच उन सदस्यों के समक्ष जो उस समय उपस्थित रहना चाहें	.... १५-३-५६ सदन की बैठक स्थगित होने के तुरन्त पश्चात्
३. नामजदगी के पर्चों को वापस लेना	.... १६-३-५६
४. चुनाव यदि आवश्यक हो	.... १९-३-५६, ८.३० बजे प्रातः से १२. ३० बजे मध्यान्ह और ३ बजे सायं से ५ बजे सायं
५. मतों की गणना जनलेखा समिति के लिये	.... २०-३-५६ ४ बजे सायं, विधान सभा भवन के समिति कक्ष में
६. मतों की गणना प्राक्कलन समिति के लिये	.... २१-३५६, ४ बजे सायं, विधान सभा भवन के समिति कक्ष में
७. चुनावों के परिणाम की घोषणा	२२-३-५६

नामजदगी के पर्चों के खाली फॉर्म्स सूचना-कार्यालय से दिनांक १४ मार्च, सन् १९५६ को अथवा उससे पहले ५ बजे सायं तक और दिनांक १५ मार्च, १९५६ को ११ बजे प्रातः तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

नामजदगी के पर्चों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर (सचिव, राजस्थान विधान सभा) द्वारा विधान सभा भवन के समिति कक्ष में की जावेगी।

नामजदगी के पर्चे दिनांक १६ मार्च, १९५६ को सदन में वक्तव्य द्वारा वापिस लिये जा सकेंगे, केवल इस तथ्य को ही व्यक्त किया जाना चाहिये।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री चन्द्रकान्त राव (वि. सं. २६) ने दिनांक ११ मार्च, १९५६ से सत्र के अंतिम दिन तक विधान सभा की

] श्री अध्यक्ष]

बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति हैं कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई।

आय-व्ययक भाषण पर सामान्य वाद-विवाद

कुंवर श्री जसवंतसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह हमारा पांचवां बजट है जिस पर बहस करने के लिये आज हम इस सदन में उपस्थित हुये हैं। प्रायः हमारी शुरू से ही यह परम्परा रही है कि हर बजट, हर साल एक नये वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था और जब तक इस साल का पेश किया गया था तब तक हमें यह आशा थी कि यह परम्परा नहीं तोड़ी जायगी। लेकिन आखिरी साल में यह परम्परा तोड़ी गई। इसका सिर्फ हम लोग, जो विरोधी पक्ष में हैं, उन्हें ही ताज्जुब व अचंभा नहीं है लेकिन हमारे वित्त मंत्रीजी को स्वयं को भी अचंभा है क्योंकि उन्होंने अपने भाषण के शुरू में ही कहा है कि पिछले साल का आय व्यय का ब्योरा भी मैं ने ही प्रस्तुत किया था। मैं नहीं समझता कि यह कहने की क्या आवश्यकता थी। मगर क्योंकि उनको खुद को वहम था कि वे बजट पेश कर सकेंगे या नहीं, सदन मानेगा या नहीं कि वे ही दुबारा पेश कर रहे हैं इसलिए उन्होंने अपने भाषण में साफ कह दिया कि उन्होने ही बजट पेश किया था।

जब इस बजट के बारे में मैं संक्षेप में अर्ज करूंगा। हमारे वित्त मंत्रीजी की ओर से तो उनका भाषण बहुत लम्बा चौड़ा था, लेकिन संक्षेप में सारांश यह था कि हमारी सामान्य आय २४ करोड़ ६८ लाख ६६ हजार होगी और राजस्व में से किये जाने वाले व्यय का अनुमान २६ करोड़ ६८ लाख ६७ हजार होगा। इस तरह १ करोड़ ७० लाख रुपयों की ऑर्डिनरी रेवेन्यू में कमी होगी जो पूंजी गत व्यय है, जिस में द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी शामिल है, उसमें हमें बताया गया है कि अगले साल १४ करोड़ २० लाख ६२ हजार का खर्चा होगा। इस खर्च की पूर्ति केन्द्रीय सहायता द्वारा तथा जनता से ऋण लेकर की जायगी। हमारे इन्वेस्टमेन्ट और ओवर ड्राफ्ट्स की क्या स्थिति है इसको मेमोरेन्डम तथा भाषण में वित्त मंत्रीजी ने बताया। इसके अलावा आपके भाषण तथा बजट से यह भी मालूम होता है कि २० करोड़ ८४ लाख ६८ हजार रुपया भारत सरकार से कर्जा या ऋण या लोन के रूप में हमारी राजस्थान सरकार ने लिया है। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन के लिए लोन ४ करोड़ २७ लाख १८ हजार रुपयों का हमारी सरकार को भारत सरकार द्वारा दिया गया है। इन आंकड़ों से यह प्रतीत होगा कि करीब करीब कर्जे से हम पूर्णतः डूब गये हैं और सिर्फ पानी के बाहर नाक ही नाक रह गई है और थोड़ा वजन हमारे खुद पर और पड़े, तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं हमारी सरकार राजस्थान को लेकर कहीं पानी में नहीं डूब जाय। रिहेबिलिटेशन की ग्रान्ट ४ करोड़ २७ लाख रुपयों की है जिसे वित्त मंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार वापिस देगी तो मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरा ख्याल है कि यह रुपया कदाचित नहीं मिलने वाला है। इसलिए

[कु' श्री जसवन्तसिंह]

नहीं मिलने वाला है कि जिस प्रकार से इन रुपयों का हिसाब रखा गया है और जिन जिन व्यक्तियों को यह रुपया दिया गया है उनके साथ न तो पूर्णरूप से और कानूनी रूप से कोई एग्रीमेन्ट ही किया गया है और जहां कोई एग्रीमेन्ट नहीं किया गया है वहां कानून की आंख से कोई माने नहीं रखता और कुछ ऐसे व्यक्तियों को रुपये दिये गए हैं जिनका आज पता तक नहीं लग सकता और उनका हिसाब इतना घोटाले का है कि केन्द्रीय सरकार ऐसी सरकार नहीं है हमारी राजस्थान सरकार जिस तरह से दुरुपयोग करे उस तरह से करती रहे और देने के रूप में उसको रुपये देदे, इसकी मुझे आशा नहीं है तो उनकी यह आशा कि ४ करोड़ २७ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार से वापिस मिलेगा, व्यर्थ है। ये रुपये कदापि वापिस नहीं मिलने वाले हैं।

अब भू राजस्व की आय के मुतालिक बताया गया है कि भू राजस्व में ३ करोड़ ३८ लाख ८६ हजार रुपयों को आय होगी और जागीर पुनर्ग्रहण की वजह से २ करोड रुपया और बढ़ेगा। इस तरह से ५,३८,७६,०००) रुपया राजस्व विभाग में बताया गया है। यह तो बड़े सुन्दर आंकड़े हैं अगर यह सब रकम आ जावे तो बहुत संतोषजनक बात होगी, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि ५।। करोड़ रुपया राजस्व आय में, जिसका अनुमान माननीय राजस्व मंत्री करते हैं, माननीय अध्यक्ष, अगर प्राप्त कर सकेंगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। मैं तो यह कहूँ कि अगर ४ करोड़ रुपया भी उगा सकें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि जिस समय जागीरें मौजूद थीं उस वक्त लैन्ड रेवेन्यु कि उगाही में हमारी सरकार के कुछ एजेन्ट, हमारी सरकार के कुछ एजेन्टों से मेरा मतलब कांग्रेस पार्टी के लोगों से हैं, जो रात और दिन काश्तकारों के यहां जा कर उनसे कहा करते थे कि फसल हो गई, उगान की रकम मत दो और नहीं दी जावें, उन्होंने जो यह प्रचार किया उसके बीज जमीन में बहुत काफी गहरी जड़ जमा चुके हैं और सरकार को अब रकम को लगाने में बहुत दिक्कत पडेगी। आॅस्ट्रेलिया में बूमरेंग (Boomrang) की एक चीज होती है जो फेंकने वाले के ही गले आकर पड़ती है। अगर सावधानी नहीं रखी जाय। इसी प्रकार उनका फेंका हुआ शस्त्र उन्हीं के गले पड़ेगा। इसलिये इस प्रकार जब जागीर के किसानों को उभाड़ा गया तो वे किसान अब सरकार को भी कुछ नहीं देंगे। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि यह रकम काफी तादाद में बकाया रह जायगी और इससे बजट काफी अपसेट होने वाला है। ऐसी मेरी धारणा है।

अब मैं माननीय अध्यक्ष, स्टेट एक्साइज पर दो चार शब्द कहना चाहता हूं। इस विषय पर हर साल पिछले चार सालों में मैंने सुझाव पेश किए कि अगर सरकार आबकारी में कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ रकम मिल सकती है और मिलने की गुंजायश है। लेकिन पिछले ४ वर्षों में जितने सुझाव दिये उन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। आज इस वर्ष बजट पेश करते हुए फाइनेन्स

[कुं श्री जसवन्तसिंह]

मिनिस्टर ने एक नई बात एक्साइज ड्यूटी के लिये कही। उसके लिये मुझे खुशी है कि कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं उसके माफिक एक्साइज में, यानि शराब में प्रोहिबिशन ला रहे हैं और शराब को कम कर रहे हैं इसलिये इसमें आय कम होने की आशा है। इसी प्रकार हमारे राजप्रमुख के अभिभाषण में भी इस प्रकार की धारणा प्रकट की गई। मुझे ताज्जुब हुआ। जब मैं यह भाषण सुन रहा था तब मुझे यह अनुभव हो रहा था कि क्या सरकार इतनी इम्प्रेक्टीकेबल है कि सिर्फ इस आधार पर इतनी बड़ी रकम जो सरकार को मिल रही है इस प्रकार फेंक देगी। लेकिन मैं मेरे पूर्व सहयोगी माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कुछ यह कहा वह सिर्फ एक मात्र कहने के लिये ही कहा। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने अपने भाषण के पेरा ५५ में यह फरमाया है कि समिति की सिफारिशों के संबन्ध में भारत सरकार को सुचित कर दिया गया है कि यद्यपि सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है तथापि द्वितीय योजना में मद्य-निषेध पूर्णतया लागू करना संभव नहीं होगा। परन्तु सरकार धीरे धीरे मद्य की दूकानों को कम करने व समिति के कुछ सुझावों को योजना काल में कार्यान्वित करने का तय करेगी।

इसी तरह से उन्होंने अपने भाषण के पेरा ७० में फिर आगे चल कर फरमाया कि अंत-र्कालीन मदीरा के क्रय के लिये कम राशि की व्यवस्था रखी गई है। इसी तरह से मेमोरेन्डम पेश करते हुए पेज २५ पर यह कहा गया है कि "During the next financial year due to further reduction in the qnantity of opium and in view of the policy for gradual reduction in the consumption of liquor....."

मैं समझता हूँ कि यह कमीशन को खुश करने के लिये और भारत सरकार को खुश करने के लिये हमारे माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपना भाषण दिया और अपने भाषण में यह कह दिया और मेमोरेन्डम में भी बता दिया और श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में भी कहला दिया। यह तो बहुत सुन्दर कार्य किया। उन्होंने शायद यह सोचा होगा कि इन बजट के फिगर्स को कौन देखेगा, लेकिन मैं अपने पुराने साथी से निवेदन करूंगा कि जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना बड़ा कदम उठाने की सरकार कैसे हिम्मत कर रही है? मैंने आंकड़े देखे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि १९५५-५६के चालू साल के बजट में स्पिरिट की रकम २०लाख है और रिवाइज्ड एस्टीमेट में २५ लाख रखी और आपने अगले साल में २५ लाख रुपया रखा है। मैं यह कहूंगा कि आपने शराब की बिक्री को कम करने की घोषणा की लेकिन बजट में जो आंकड़े दिये हुए हैं वह इस बात को नहीं बताते! मैं फिर मेरे दोस्त वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि आप देखिये कि चालू साल के रिवाइज्ड एस्टीमेंट में जो स्टिल हेड ड्यूटी का मद है उसमें १ करोड़ २० लाख रुपया दिया गया है और अगले साल जिसके लिये बजट पेश किया गया है शराब की बिक्री के वही एक करोड़ २० लाख के आंकड़े हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि इतना बड़ा ढोल बजाया जा रहा है और घोषणा की जा रही है जिससे यह जाहिर होता है कि उन्होंने प्रेक्टीकेबल बात की है मगर वास्तव में यह बात नहीं है वे चाहते है केन्द्रीय सरकार को राजी करना और इसीजिये यह किया गया है। मगर इस मद के लिये लाइसेन्स फी जो रखी गई है माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि रिवाइज्ड एस्टीमेट में चालू साल के लिये २५ लाख रुपया फाइनेन्स मिनिस्टर ने रखे हैं।

[कु॰ श्री जसवन्तसिंह]

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसी तरह से यहां लाइन्स एण्ड स्प्रिट्स मद में ५५—५६ के चालू साल में ४ लाख रखे हैं और रिवाइज्ड में ६ लाख रखे हैं और अगले साल में भी ६ लाख रहेंगे। यह सब बातें बजट से साबित होती हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपने भाषण में, राजप्रमुख के भाषण में और अपने भाषण में दो जगह यह कहते हैं कि कमीशन की सिफारिश मान कर ऐसा किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने कमीशन की राय मानली और भारत सरकार को राजी कर दिया और कांग्रेस सरकार के जो स्लोगन्स हैं कि शराब बन्द की जावे उससे लोगों की जानकारी करवा दी और अपने भाषण में कह दिया और राजप्रमुख से कहला दिया और इस तरह से आपने जो कदम उठाया उसके लिये आप बधाई के पात्र हैं।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—आपको भी राजी कर दिया है।

श्री जसवन्तसिंह—मुझे खुश कैसे कर दिया।

आज मुझे एक बात इस विषय में और कहनी पड़ेगी, माननीय उपाध्यक्ष, और वह बड़ी सुन्दर बात है और मैं आशा करता हूँ कि फाइनेन्स मिनिस्टर उसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि जवाब देना पड़ेगा।

मैं अपने पोइन्ट को एक उदाहरण द्वारा कहना चाहूँगा। वह यह है, माननीय उपाध्यक्ष, कि जिसको सुनकर मैं आशा करता हूँ कि इस सदन के सब माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा कि पिछले महीने इसी जयपुर शहर में शराब के ठेकों का निलाम हुआ। माननीय मंत्रीजी जरा ध्यान से सुनें। उस ठेके में जो बोलिया निलाम में दी गई उनमें से सबसे ज्यादा एक बोली पचास हजार की अधिक थी बनिस्पत दूसरी बोली के जो उससे कम दी गई थी। डिप्टी कमीश्नर एक्साइज़ ने, जो पचास हजार कम की बोली दी गई, उस बोली की स्वीकृति दिये जाने की सिफारिश की। आप देखिये कि एक ठेके का यह हाल हो रहा है कि जहां पचास हजार की जिसने अधिक बोली दी उसको नहीं और उससे कम जिसने बोली दी उसको वह ठेका दे दिया जाय, इस तरह की सिफारिश की। मैं उस अफसर की हिम्मत की सराहना करता हूँ। उसको सजा नहीं देनी चाहिए, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। उस अफसर ने एक्चुअल फाइल में यह लिख दिया कि पचास हजार से नीचे का ठेका दिया गया क्योंकि उसके लिए सम्बन्धित मिनिस्टर का आदेश था कि कम बोली वाले को ठेका दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों से और ट्रेजरी बेंचेज पर और खास कर कांग्रेस के साथी जो उधर बैठे है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मारवाड़ में एक कहावत है कि जब हम खेत की रखवारी के लिए बाड़ लगाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेन्सिंग, अगर वह बाड़ ही खेत को खाने लग जाय तो उसकी रखवारी कौन करेगा ? जब सम्बन्धित मंत्री ही ऐसा करते हैं और राज्य को पचास हजार की आमदनी कम कराने की हिम्मत रखते है, एक ही ठेके में तो फिर इस राजस्थान की जनता का भाग्य जिनके हाथ है ईश्वर ही मालिक है। मैं यह बड़े जोर के शब्दों में कहूँगा कि एक अफसर की यह हिम्मत है कि उन्हें मंत्री ने ऐसा आदेश दिया है और वह ऐसा कागजों पर लिख सकता है। यह हुआ है

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, एक्चुअल लिखा पढ़ी में। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी इस बात में जावेंगे और सदन को सूचित करेंगे कि क्या ऐसा वकुआ हुआ है और अगर उसको आप नहीं मानते हैं तो मैं चेलैन्ज स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब आप देखिये कि हम क्या आशा अपने प्रान्त को आगे बढ़ाने को करेंगे जब कि इस सरकार में ऐसी बातें हो सकती हैं ? यह बड़े दुःख का विषय है और यह किसी प्रकार भी जनहित का कार्य नहीं कहा जा सकता है।

अब मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मुतल्लिक दो चार बात कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्षजी। हमारे मंत्रीगण की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है यह राजस्थान की जनता पर और राजस्थान स्टेट पर बोझ है और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाइट एलीफेन्ट्स (white elephants) एक एक मंत्री का बोझ ऐसे ही काफी होता है, वैसे फ्रन्ट रो (front row) में बैठने वाले ताकतवर और काफी वजन रखने वाले मंत्री हैं, सिवाय पंड्याजी के, लेकिन वे भी कम नहीं होंगे।

(हंसी)

श्री बृजसुन्दर शर्मा--यह आपने उम्र का लिहाज किया दिखता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—लेकिन कुछ मंत्री वजन में कम हो सकते हैं, पिछली और तीसरी रो में जो बैठते हैं। पहले हमें यह देखने को मिला था कि एक ही रो है, थोडे दिनों बाद दूसरी रो और बनी और फिर थोडे दिनों के बाद तीसरी रो और बन गई और जब तक अगले चुनाव न आ जांय तब तक यह आशा की जा सकती है कि ये सारी रोज़ भर जावेंगी। एक्स मंत्रियों द्वारा तो बहुत सी रोज भरदी गई हैं, लेकिन चाहे नम्बर भले ही बढ़े, अगर माननीय मंत्री ओनरेरी काम करने वाले मंत्री बने और जिनके पीछे पैराफेनेलिया हजारों रुपयों का रहता है वह न रहे और अगर वे राजस्थान की जनता का काम करना चाहें हमें कोई एतराज नहीं है। हो सकता है, लेकिन जब उनको पूरी तनख्वाहें दी जाती हैं और तनख्वाहें ही नहीं दी जाती है उनके साथ जो पैराफेनेलियाज़ हैं, सेक्रेटरी, एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी, फ्री बंगला, फ्री वाटर सप्लाई, मोटर, चपरासी, जमादार और वाट नोट,(what not) ये पैराफेनेलियाज़ उनके साथ होते है, जिनका बहुत बडा वजन हमारी जनतापर रहता है और जो कि जनता की कोस्ट पर पडता है इसलिए मैं ऐसी धारणा रखता हूँ कि यह जो ज्यादा नम्बर बढ़ाना है वह कोई अच्छी बात नहीं है और आज के दिन मंत्री और उपमंत्री मिला कर १३ नम्बर तक पहुँच गये हैं, जो नम्बर भी अशुभ हैं। उसको बढ़ाने के बजाय मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे कम करें।

श्री चन्दनमल वैद—शुभ भी है।

श्री जसवन्तसिंह—शुभ मानते हो !

श्री भैरूसिंह—एक को कम करने के बाद होगा।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अब मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि जो मोटरें हैं, जो मन्त्री महोदयों को दी हुई हैं उनके लिए काफी चर्चा शुरू से ही चली आ रही है और उनके बारे में काफी एतराज भी उठ चुके हैं। चाहे छोटी मोटरें हों चाहे बड़ी मोटरें हों, हर वक्त एतराज उठे हैं। मोटरों के लिए १ लाख ३५ हजार रुपयों का खर्चा हमको बताया गया है इससे भी बेशी हो या इसमें कमी हो, यह हम नहीं कह सकते हैं। इस सम्बन्ध में पहले भी सदन में काफी कह चुका हूँ और आज भी कहने की हिम्मत कर सकता हूं कि इन मोटरों का दुरुपयोग होता है। मेरे माननीय मित्र वित्त मंत्री, श्री बृजसुन्दरजी है, उनके लिए कोई एतराज नहीं है, उनके खुद की मोटर है, वे उसमें पांच बिठायें, सात बिठायें, दस बिठायें, पन्द्रह बिठायें; बीस बिठायें ; हमें उसके लिए कोई एतराज नहीं है, बाहर जावेंगे पुलिस वाले एतराज करेंगे एक्सीडेन्ट होगा, उनकी वे जाने, लेकिन ये जो जनता की मोटरें हैं उनमें ओवर लोड़ करना काफी उनमें बैठने की तादाद से अधिक बैठाया जाता है, चाहे जिस तरह से हो बिटाना और दिन-रात दौड़ा कर उनका दुरुपयोग करना, यह राजस्थान की जनता के हितों के विरुद्ध है और उसके द्वारा खुद ड्राइविंग करना, ड्राइविंग सीखना और नियमों के विरुद्ध काम करना, ये सब बुरी बातें हैं। इसके सिवाय एक बात और है जिस तरह कि एक्साइज ड्यूटी के सम्बन्ध में कहा था। एक दुःख की बात है जो आपको कहना पसन्द करूंगा और मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय नोट कर उसका जवाब देंगे कि वह ठीक है या नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्स के सिलसिले में निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के एक नेता कोई मिस्टर रामचंद्र बेनीवाल हैं।

श्री चन्दनमल बैद—'कोई' कैसे कह रहे हैं ?

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—मेरा उनसे परिचय नहीं है इसलिए मैंने कहा। उन्होंने किसी मंत्री के नाम से सन् ५५ के मई महिने में गेराज से जीप कार मंगवाई।

श्री भैरूसिंह—उप मंत्री के नाम से।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—कोई हो सकते है। वे फागी, अकेले मंत्री के नाम से मंगाई हुई कार में सैर करने के लिए चले गये। जयपुर से बाहर निकलते ही उन्होंने ड्राइवर से कहा कि मैं गाड़ी चलाता हूँ। ड्राइवर ने कहा कि मुझे आदेश नहीं हैं कि मैं दूसरों को गाड़ी चलाने दूं, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा। उन्होंने उसको बहुत जोर बताया, नेता ही जो ठहरे और किसी मंत्रीजी का जोर था। उन्होंने कहा कि हटो मैं ड्राइव करूंगा। वे खुद ड्राइव करते हुए फागी के लिए रवाना हुए। रास्ते में उनसे एक्सीडेन्ट हुआ जिसमें कार में काफी डेमेज हुआ और जिसकी मरम्मत के लिये राजस्थान गेरेज द्वारा १३०० रुपये खर्च किये गये। जब कि उस कार के ड्राइवर ने यह

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

स्टेटमेन्ट दिया कि मेरे हाथ से यह एक्सीडेन्ट नहीं हुआ, तो उसको सजा देने लगे। उसने कहा, मुझसे जबरदस्ती नेताजी ने कहा कि मैं ड्राइव करूंगा और उसके बाद इस तरह का एक्सीडेन्ट हुआ। जब वह फाइल डिपार्टमेन्ट में पहुँची तो जो नीचे के अफसर थे उन्होंने कह दिया कि जो शख्स इस कार को ड्राइव करता था उससे ही यह रकम वसूल की जाय। इस प्रकार की नीचे के ऑफिसर की सिफारिश थी लेकिन जब वह फाइल होम सेक्रेटरी के पास पहुँची, वे बहुत बड़े अफसर हैं, मंत्रियों को खुश रखना वे अपना काम समझते हैं और यह लाजमी भी हो जाता है उन जैसे आदमी के लिए। जब उन्होंने यह देखा कि गुनाह तो यह हो गया और उस आदमी से रुपया वसूल किया जाय जो ड्राइव करता था, लेकिन जब दूसरी तरफ देखा कि ड्राइव करने वाले तो रामचंद्रजी बेनीवाल थे उनसे रुपया यदि वसूल करने का लिख दिया जायगा तो जुल्म हो जायगा। तो उन्होंने यह सिफारिश कर दी कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं ; ऐसा तो हो जाता है इसलिए सरकार इस रुपये को भुगते और यह राइट ऑफ कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह आखिरकार बात क्या है? क्या हमारे माननीय मंत्री यह सोच बैठे है कि यह तो हमारा घर है, हम चाहे जैसा कर सकते हैं, हमको रोकने वाला कौन है? मैं पूछता हूं कि रामचन्द्रजी बेनीवाल को क्या हक था कि जो सरकारी गाड़ी को इस तरह ले जायें और क्या हक था कि वे ड्राइव करें। मैं होम सेक्रेटरी से, उनके मुतल्लिक, मिनिस्टर महोदय से इस बात का जवाब चाहता हूँ कि उनके सेक्रेटरी ने किस हैसियत से और किस हिम्मत से इस प्रकार की हिमाकत की जब कि एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का एक्सीडेन्ट हो और रुपया भी सरकार द्वारा दिया जाय। क्या यही हमारी सरकार के आदर्श हैं। यदि इस प्रकार वे इन कार्यों को नजर अन्दाज करते हैं तो यह हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह एक बुरी बात है। इससे आगे जाकर राजस्थान को बहुत हानि पहुँच सकती है, जब तक हम अपना नैतिक स्तर ऊँचा नहीं उठा लेते तब तक राजस्थान का भला होने वाला नहीं। आज हम इस डेमोक्रेसी में, जनतंत्रवाद में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इसकी शुरूआत में ही हम ऐसा कार्य करने लगेंगे तो डेमोक्रेसी में आगे बढ़ने के बजाय सैकड़ों मील पीछे ढकेले जायेंगे। यदि यही हमारी सरकार का हाल रहा तो।

अब मैं सिविल सेक्रेटेरियेट के मुतल्लिक कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इस संबंध में मांननीय मंत्रीगण भी यह सोचते होंगे कि इन लोगों को गवर्नमेंट के इतने सीक्रेट्स कैसे मिल सकते हैं?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह तो बीती बातें हैं, कोई सीक्रेट नहीं।

कुं श्री जसवन्तसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें चाहे जितना सीक्रेट आप रखें वे बातें प्रगट हुए बिना नहीं रहतीं। अगर आप कोई अनुचित बात करते हैं तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करें क्योंकि

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

जनता का हम भी थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व करते हैं। सिविल सेक्रेटेरियेट के बारे में मैं एक दो बातें कहूंगा। मैं सब से पहले एन्टी-करप्शन बोर्ड के बारे में जो सिविल सेक्रेटेरियेट के अन्दर में है, कुछ निवेदन करना चाहूँगा। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे भी इस बोर्ड का एक सदस्य चुना। हम लोगों की यह हमेशा हार्दिक इच्छा रही है कि हम जितना भी हो सके सरकार को सहयोग दें। जैसा कैसा भी कार्य चल रहा है इस बोर्ड का, होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में हो रहा है। जो जो नियम इसके लिए बनाये गए हैं मैं समझता हूं कि उन नियमों में काफी तब्दीली करने की आवश्यकता है। अगर एंन्टी-करप्शन बोर्ड के जरिये कुछ काम करवाना है तो इन नियमों में तब्दीली अवश्य करनी होगी। होम मिनिस्टर और बोर्ड इस बात पर विचार कर रहा है। इसके साथ साथ मैं एक बात और निवेदन कर दूं। इस बोर्ड में नोन-ऑफिशियल दो आदमी हैं; एक तो कांग्रेस की तरफ के श्री शोभारामजी जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं और राजस्थान असेम्बली की तरफसे मुझे मेम्बर बनाया गया है इसके अलावा बाकी के सरकारी मेम्बर हैं। अगर सरकार यह चाहती है कि हम नोन-ऑफिशियल मेम्बर्स इसमें पूरा सहयोग दें और हमारी राय से फायदा उठाना चाहते हैं और सरकार यह आशा करें कि हम घर से पैसा खर्च कर इस काम को करने के लिए यहां आयें तो यह मुझ जैसे आदमी के लिए तो मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे साधन नहीं हैं जिससे मैं यहां मुफ्त में आकर काम करूं। आप यदि मुझे पांच रुपया देते हैं तो मैं आपको पांच रुपये से ज्यादा काम करके दे सकता हूं, यह मेरा सिद्धांत है; जो मेरा हक है उसको लूंगा। इसी बात को ध्यान में रखकर मैने कुछ टी. ए., डी. ए. के बिल बनाकर भेजे किन्तु आज चार पांच महिने हुए उनका कोई फैसला नहीं हुआ। जब कभी मैं असेम्बली के काम से यहां आता हूं तो मैं इसमें भाग लेने के लिए चला जाता हूं। उस समय के टी. ए. और डी. ए. का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं होम मिनिस्टर के कहने से उन दिनों यहां आया था, जिन दिनों का टी. ए. डी. ए. बनाकर मैंने दिया। मुझे आज तक उसका पैसा नहीं मिला। पिछले महीने भी मीटिंग में आने का पत्र मिला किन्तु मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं घर से पैसा खर्च करके यहां आऊं और जयपुर में सैर करके चला जाऊं। आप हमें पांच रुपये देते हैं तो आप हम से दस रुपये का काम ले सकते हैं, हम आपको दस रुपये का काम करके देंगे, यह मेरे सिद्धांत की बात है। हम लोगों से यानि नोन-ऑफिशियल्स से यदि आपको काम लेना है तो जिस तरह से असेम्बली में भाग लेने के लिए आते हैं और उसके लिए जिस प्रकार का थोड़ा बहुत प्रबन्ध है वैसा ही यदि प्रबन्ध किया जाय तो आप यह आशा कर सकते हैं। नोन ऑफिशियल मेम्बर्स से कुछ काम लेने की। यह आपको जरूर छोटी बात मालुम हो, किन्तु यह मेरे लिए सिद्धांत की बात है।

अब मैं सिविल सेक्रेटेरिएट के मुतल्लिक, उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज करना चाहूँगा। इस सम्बन्ध में बोलने से पहले मैं एक उदाहरण आपके समक्ष पेश करना चाहूँगा। हमारे राजस्थान के सर्किट हाउस के एक सुपरिन्टेन्डेन्ट होते थे जिनका नाम मि. हाइन हैं जो बीकानेर स्टेट सर्विस के आदमी थे। सन् १९३८ में बीकानेर स्टेट में उनकी नियुक्ति हुई सन् ४९ में जब इन स्टेटों का

Page No 43

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

इन्ट्रीग्रेसन हुआ तब मि. हाइन बीकानेर में थे और बाद में उनका जयपुर में तबादला हो गया। अगस्त सन् १९५१ में उनको नई टाइम स्केल तनख्वाह प्राप्त हुई।

अब आप देखिए, १६ फरवरी १९५३, को एकाएक उनके पास नोटिस पहुंचता है कि उनकी जगह कमी में कर दी गई है। इस प्रकार का नोटिस उनके पास पहुँचता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा इन्ट्रीग्रेसन डिपार्टमेंट कितनी तत्परता से काम करता है, वह उसका एक उदाहरण है कि किस तरह से अपने सर्विसेज के मोरल को बढ़ाता है और किस प्रकार का उत्साह देता है। ये ऐसी बातें हैं जिनसे हमारे सर्विस क्लास के मोरल पर चोट लगती है उनको जब हुक्म मिला रिट्रेन्च करने का तो उन्होंने सोचा यह कायदे के मुताबिक नोटिस होगा। लेकिन होता यह क्या है कि उस नोटिस के ११ दिन बाद ही एक और नोटिस उनके पास पहुंच जाता है कि आप नौकरी से फौरन हटाए जाते हो। जिसकी सर्विस १५, १६ साल की है और जिन्होंने बीकानेर से अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स प्राप्त किये हैं, जो मेहमानदारी में बड़े एक्सपर्ट हैं, जिनको बड़े होटल्स में काम करने का अनुभव प्राप्त है, उनको यह कह दिया जाय कि विथ इमीडियेट इफेक्ट तुम्हें डिसचार्ज किया जाता है। किसी को डिसचार्ज किया जाता है। तो कोई न कोई आरोप लगा कर ही किया जाता है। जब कि उनका यह खयाल था कि यह जो पोस्ट है उसको रिट्रेन्च कर दिया है। उसके बाद में क्या होता है कि थोड़े ही दिनों के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन उसी पोस्ट के लिए, जो रिट्रेन्च समझी गई थी। एडवर्टाइज़ करता है। उसमें उन मि. हाइन्स ने भी उस पोस्ट के लिए एप्लाइ कर दिया। उस पर उन्हें कहा गया कि आप इसके लिए योग्य नहीं। जो व्यक्ति इस संबंध में सर्टिफिकेट शुदा हैं, जो इसके लिए स्पेश्यलाइज्ड हैं, उनको इस तरह इन्कार किया जाता है।

अब आप देखिये कि उनकी सर्विस की कन्डीशन्स के माफिक जब तक वे ५५ साल तक अपनी सर्विस न कर लें तब तक इस तरह से नौकरी से नहीं हटाये जा सकते। पर इसकी परवाह नहीं की गई। इसके बाद में इस स्थान पर दो आदमी रक्खे गये। उनका पेन्शन का हक भी मारा गया। एक के बदले दो दो आदमियों का आज सरकार खर्चा बर्दाश्त कर रही है। तो ये बातें सुनकर ताज्जुब ही नहीं, दुख होता है। जनतन्त्रवाद के नाम पर और कांग्रेस के इतने ऊंचे आदर्शों के नाम पर चलने वाली सरकार कैसे कदम उठा लेती है? इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। मैं निवेदन करूं कि ऐसी बातें हमारे राज्यके लिये हितकर कभी नहीं होंगी और सर्विसेज़ का मोरल भी बहुत गिर जावेगा।

एक दूसरी बात के सिलसिले में माननीय मुख्यमन्त्री जी ने यह फरमाया कि सर्विसेज़ के लिया बहुत बुरी बातें होती रहती हैं। यह बहुत बुरी बात है। मैं खुद एक छोटा-मोटा एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ। उसके अनुभव से कह सकता हूं कि हमें सर्विसेज़ को पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिये क्योंकि वह सरकार की बैकबोन है, सरकारें आती जाती रहती हैं पर सर्विसेज के साथ अगर अच्छा बर्ताव रहा तो वे ठीक तरह से काम कर सकती हैं और उनका मोरेल भी बना रह सकता है। पर अगर उनके साथ इस तरह का बर्ताव बगैर किसी कारण से किया जाता है तो उन सर्विसेज़ की

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

भावना सरकार के प्रति कैसी हो सकती हैं, यह हम अन्दाज कर सकते हैं। सरकार को यह भी मालूम करते रहना चाहिये कि जब कभी ये बड़े बड़े अधिकारी एक जगह इक्ट्ठे होते हैं तो आपस में बैठकर कैसी बातें सरकार के प्रति करते रहते हैं। इससे सरकार को पता लगता रहेगा कि सरकार के कामों के लिए उनके दिलों में क्या भाव हैं।

अब में माननीय उपाध्यक्षजी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे कोर्ट ऑफ वार्ड्स के महकमे के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे बजट में माननीय वित्तमन्त्री महोदय ने बताया कि जागीरी पुनर्ग्रहण के कारण इस महकमे का खर्चा कम हो गया अब ३४ हजार रुपयों का खर्चा सालाना रक्खा है और यह डिमिनिशिंग महकमा है। इसके लिये कहने को हिम्मत जरूर करता हूँ, पर वित्त मन्त्रीजी फिर यह कहेंगे कि मैं जागीरदारों और राजपूतों का ही खयाल रखता हूं, उनके नुमाइन्दे की तरह से काम करता हूं। पर दुःख की बात तो यह है कि ये विचारे राजपूत और जागीरदार, बड़ो की मैं नहीं कहता, पर ये छोटे छोटे जागीरदार भी ऐसी स्थिति में आज पहुंच गये हैं कि आज उनके लिए एक तरफ तो है खड्डा और दूसरी तरफ है कुआ। उनकी इस दयनीय स्थिति में मैं उनके साथ सहानुभूति रखने वाला हूं। उधर से उनको धक्का दें तो कुए में गिरते हैं और इधर से धक्का दें तो खाई में गिरते हैं। तो आखिरकार राजपूत होने के नाते विवश होकर उनके लिए भी कुछ कहना पड़ता है, अंग्रेजी में कहावत भी है, "Blood is thicker than water" इसलिये थोडी बहुत सहानुभूति इनसे हुए बिना नहीं रह सकती। इस सिलसिले में अब मैं दो बातें कहूंगा माननीय मुख्यमन्त्रीजी से और खास तौर पर हमारे मन्त्री श्री दामोदरलालजी व्यास से कहूँगा कि अगर सहानुभूतिपूर्वक आप ध्यान दें और कर सकें तो वे बडे यश के भागी होंगे।

हमारा कोर्ट ऑफ वार्डस जिस तरह से काम करता है, उसको देखते हुए अगर उसे बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाता तो हमें एक सैकंड के लिए भी अफसोस नहीं होता पर आज थोड़ा बहुत भी जिस हालत में चल रहा है। वह अत्यन्त अवांछनीय है, कोई कार्य ही नहीं कर रहा है वरन लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। मैं निवेदन करूं कि नोहर तहसील में विसरासर नाम की छोटी सी जागीर है। वहां चार, पांच, छ साल तक लगातार अकाल पडता रहा और इस कारण से उसकी रेख के १२२० रुपया जो सालाना के वह जागीरदार जमा नहीं करा सका सरकार के पास और नोहर ऐसी जगह है कि जहां रकम वसूल किसानों से करना भी मुश्किल है और इस कारण से आखिर सितम्बर १९५० में उनके ठिकाने को कोर्ट ऑफ वार्डस में कर लिया। ठाकुर का नाम भी मैं बता देता हूं, दलीपसिंहजी उनका नाम है।

माननीय उपाध्याय जी, आपको और इस सदन के अन्य माननीय सदस्यों को यह सुनकर दुख होगा कि सन् ५० से आज तक उनको हाथ खर्चे तक का एक पैसा नहीं दिया गया। जितना उनको रोना-पीटना करना था वह सब कर लिया, पर उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई; न क्लक्टर के पास और न कोर्ट ऑफ वार्डस में। क्लेक्टर के नीचे तो यह महकमा अब गया है, रेवेन्यू बोर्ड के अफसर के मातहत यह पहले था उनके पास भी गये पर कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई। यही नहीं बल्कि दो साल जबकि उनका ठिकाना रिज्यूम कर लिया गया था तब कोर्ट ऑफवार्ड्स के अधिकारियों

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

ने उनका मुआवजे का फार्म भी भरने के लिये कोई कदम नहीं उठाया सक्रिय रूप से। जब बहुत कुछ कहा गया तो गुस्से में आकर कोर्ट ऑफ वार्ड्स वालों ने अन्ट-सन्ट, गलत-सलत फार्म भरकर जितना मुआवजा मिलना चाहिये था कायदे से उसका भी आधे का भर कर भेज दिया। बिचारे दुखी जागीरदार फिर यहां आये और मुझ से भी मिले इस बारे में। इस बार जागीर कमिश्नर ने सहानुभूति के साथ पेश आकर, जिनकी सहानुभूति प्रदर्शित करने के बारे में और भी कई बार मैं सदन में कह चुका हूं, उनके इस फॉर्म को रिवाइज् कर वाया और उस फार्म पर भी पांच छ महिना पहले ३३२७ रूपया मुआवजे का देने का हुक्म हुआ। सन् ५० से अब तब कोई अलाउन्स नहीं मिला, खुदकाश्त के लिये कोई जमीन नहीं मिली, वे कोई बच्चे हों, यह बात भी नहीं थी। उनकी उम्र करीब पचास के है और उनको इस तरह से जो हालत रही वह वही बतला सकते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते। अब चार-पांच महीने से क्लेक्टर के पास रूपया पहुंचा। पर क्लेक्टर यह कहता है कि रूपया आपको नहीं मिलेगा, न हाथ खर्च का आपको कुछ मिलेगा। कोर्ट ऑफ वार्ड्स की मार्फत आपको यह मिलेगा, न मालूम क्यों आपकी यह जागीर कोर्ट ऑफ वार्ड्स में ली गई, इन वर्षों में उसने क्यों नहीं कुछ आपके लिये किया, इसमें क्या बातें हैं, ये सब जाने बगैर हम नहीं दे सकते और कोर्ट ऑफ वार्ड्स की इधर यह हालत है। वे बिचारे कुछ दिनों से फिर यहां पड़े हुए हैं। मेरे साथ पढ़े हुये हैं वे स्कूल में। मुझसे भी उन्होंने कहा कि यह हालत है, कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यह हालत है। मैंने कहा, देखो मैं आप को लेकर सिफारिश करने के लिये तो किसी के पास आज जाऊं न कल जाऊं, लेकिन जरूरी होगा तो सदन में कह दूंगा। यों भी उनकी ५० साल की उम्र है, फिर इस कोर्ट ऑफ वार्ड्स की आवश्यकता क्या है? नाबालिग के हक की हिफाजत करने के लिये यह रक्खा जाता है पर जिसकी उम्र पचास साल की है उसके साथ यह बर्ताव क्यों? आपको कुछ बकाया लेना है, करना है तो आप ले लेते या फिर ६ साल आज होने को आये, इन छ सालों में एक पैसा उनको नहीं दिया, न हाथ खर्च को दिया, न खुदकाश्त के लिये जमीन दी और अब जो मुआवजा मिलना चाहिये वह भी नहीं दिया जा रहा है, इसलिये कि कोर्ट आफ वार्ड्स है तो यह तो ऐसी हालत है कि आप भूखों मार मार कर इन लोगों को विवश कर रहे हैं कि वे किसी गलत काम में पड़ जावें। भूस्वामी संघ के आन्दोलन में या ऐसे कार्यों में जो एक तरह से अप्रिय हैं उनको विवश होकर जाना पड़ता है।

तो मैं निवेदन करता हूं कि राजस्व मन्त्री जी उनके दुःखों को मिटाने के लिये उनको इस कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जुल्मों से निजात दिलवायें। उनका ७०-८० हजार का मुआवजा तय कर दिया गया है, छ, सात हजार का उन पर कर्जा है। वे ठीक हो सकते हैं, उनका काम-काज चल सकता है। आप इस काम में उनकी मदद करें। उनको इस तरह से तंग किया जावे, यह ठीक नहीं है। आशा है आप इसके लिये कार्यवाही जरूर करेंगे। और नहीं करेंगे तो अधिक से अधिक यह होगा कि उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। पर मैं आशा करता हूं कि सरकार सहानुभूति पूर्वक इस बात पर विचार करेगी।

इसी तरह से दूसरा केस है नोखा ठाकुर का। अब तो वे १८-२० वर्ष के हो गये हैं।

[कु ० श्री जसवन्तसिंह]

दो वर्ष पहले उनकी जागीर भी रिज्यूम करली गई १५ अगस्त, ५४ को। यह भी पुनर्ग्रहण कर लिया गया था ठिकाना। पर पिछले महीने तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा उनको अलाउन्स देना तो दूर रहा, जबकि वहां के जागीरदार का यह एक ही बच्चा है, उनको कम्पेन्सेशन दिलाने के लिये फार्म भरने की कार्यवाही तक इस विभाग ने नहीं की, इन्टेरिम कम्पेन्सेशन दिलाने के लिये भी कोई कार्यवाही नहीं की। हताश होकर जागीर कमिश्नर के पास उन्हें जाना पड़ा। श्री कुंजरू कमीश्नर, बीकानेर ने बहुत कुछ प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से उनका फार्म भर कर भेजा गया, पर रुपया देने-लेने का आज तक कोई नाम नहीं।

तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर इसी प्रकार से जो ठिकाने दुर्भाग्य से माइनोरिटी की वजह से या और किन्हीं कारणों की वजह से कोर्ट ऑफ वार्ड्स में आजाते हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो क्या फायदा कोर्ट ऑफ वार्ड्स रखने का ? वह किस लाभ का? इससे तो अच्छा है कि वह न रहे तो हमारी सरकार के ३४, ३५ हजार रुपये बचेंगे और इधर वे विधवाएं, जिनका इतना बुरा हाल है, वे आशीर्वाद देगीं। तो मैं आशा करता हूं कि इसके लिए कोई सक्रिय कदम हमारी सरकार उठायेगी।

अब मैं पुलिस डिमान्ड पर जिक्र करना चाहूँगा, माननीय उपाध्यक्षजी। हमें बजट में बतलाया गया है कि ३ करोड़ ४८ लाख का पुलिस पर खर्च लगेगा, और १० लाख की इन्कम भी है कई कारणों से। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि आवश्यकता हो तो पुलिस के काम में इससे ज्यादा भी खर्च किया जा सकता है। पुलिस की क्या हालत है, खास तौर से बोर्डर एरिया की। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में जब तक मैत्री का कुछ फैसला न हो जाय और दोस्ती के संबंध वापिस स्थापित न हो जायें तब तक वहां पर रहने वाली पुलिस की जो फोर्स है यानी आर्म्ड कान्सटेबुलेरी जो है उसकी हालत शोचनीय है और खास तौर से गर्मी की मौसम में जैसलमेर और पाकिस्तान के भावलपुर की बोर्डर पर और पुगल (बीकानेर) और भावलपुर की बोर्डर पर जो हैं, वहां अगर गर्मियों में होम मिनिस्टर जाने का कष्ट करें और उनकी हालत देखें तो जो वार कन्डीशन्स में जो सिपाहियों की कन्डीशन होती है आज कल आधुनिक फौज में और खास तौर से अमेरिकन सिपाही हैं उनके लिए रिफ्रीजीटर्स, विस्की, सोड़ा आदि दिये जाते हैं और अंग्रेजों में तथा अपनी भारतीय सेना जो काश्मीर में या और जगह हैं उनको सब तरह से जो सुविधाएं हैं, जैसे कि डबल तनख्वाह तथा और दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं, वह हमारे इन बेचारे पुलिस वालों को नहीं दी जाती हैं। इन पुलिस वालों की जो कि बोर्डर एरिया में हैं, उनकी स्थिति अगर देखी जाय तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमारी सरकार वहां पर स्थित पुलिस फोर्स को दुगुनी तनख्वाह दे और उनको डबल सुविधाएं दे तो किसी हद तक यह कहा जा सकता है वह उनके साथ सहानुभूति पूर्वक बर्ताव किया जाता है, उनसे मुश्किल कार्य लिया जाता है तो उसके बदले में दुगुनी तनख्वाह चुकाई जाती है। लेकिन मौजूदा कन्डीशन्स में उनकी स्थिति बहुत शोचनीय है। उनका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए। चोरों और डाकुओं का जिक्र करते हुए हमें आंकड़ों से ही बतलाया गया है कि स्थिति में बहुत कुछ हद तक सुधार हुआ है। यह आंकड़े सुधार के बताते हुए और

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

यह स्थिति पुलिस की है, वह गर्व करते हैं तो उनके सोचने की बात है। आंकड़े तो केवल एक बेरोमीटर हैं। एक साल कम है तो दूसरे साल ज्यादा हो गये । ऐसा हो सकता है कि ४ वर्ष के बाद फिर फीगर्स डबल पर पहुंच सकते हैं और सरकार के द्वारा प्रयत्न हुआ निष्फल हो सकता है लेकिन पुलिस का जो मोरल है, जो ड्युटीज होती हैं, जो कार्य होते हैं उनमें अगर दस्तन्दाजी की जाती है तो पुलिस के साथ बड़ा भारी अन्याय होता है और पुलिस को दोष नहीं दिया जा सकता है, अगर वे कार्य में फेल होते हैं । एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे भारत के बहुत बड़े ऊंचे महमान, हमारे रूसी नेता हाल ही में, हिन्दुस्तान में आये और अपने दौरे के अन्त समय में वे राजस्थान में आये। मैं भी वहां मौजूद था। मुझे भी वहां जाने का आदेश हुआ था और मैं भी वहां हाजिर हुआ। थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव रखने के कारण मैंने वहां पुलिस के बन्दोबस्त का हाल देखा तो उनको किस पोजीशन में डाला गया कि मैं अपने हृदय में बड़ी सहानुभूति का अनुभव करता था। ऐसा प्रतीत होता था कि जिस प्रकार निमंत्रण पत्र दिये जा रहे थे और हर एक को पास दिये जा रहे थे। तो यह बिल्कुल मानी हुई बात है कि वह बन्दोबस्त टूटेगा और वह टूटा। इसमें कोई सन्देह नही हो सकता कि हमारे रूसी मित्रों के आखिरी कैम्प के दौरान में यह ईश्वर ने ही लाज रखी, नहीं तो भारत की नाक कट जाती क्योंकि जिस प्रकार का बन्दोबस्त हुआ उससे जो जूते इधर उधर फेंके गये वे उनकी कार से ४,५ गज ही दूर रहे लेकिन वह एक पुलिस की स्थिति उनके काम में दस्तन्दाजी करने की वजह से रही है, जिसके लिए हम सरकार को श्रेय नहीं दे सकते।

अब हमें यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि अभी हाल ही में कि डाकुओं से मुकाबला करने में कोई कर्मचारी, सिपाही या कान्स्टेबल, मारा जाता है तो उनके रिश्तेदारों को बहुत कुछ इनाम दिया जाता है, पेन्सन दी जाती है। यह एक बहुत अच्छी बात है । एक पुनिया डाकू मारा गया था उसकी खुशी में बहुत कुछ इनाम इकराम बांटे गये। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि खूब इनाम बांटे जांय। लेकिन मैं सरकार की जानकारी के लिए यह जरूर कह दूंगा कि पूनिया डाकू को मारने का श्रेय पुलिस को नहीं दिया जा सकता। यह बात हमारे इलाके में जैसे तैसे पहुंच जाती है, क्योंकि जैसे मेरे मित्र व्यासजी अक्सर हंसा करते है कि जगमालसिंह और भंवरसिंह, यह दोनों जो डाकू हैं वे मेरे गांव के आस पास के हैं। मेरा गांव दाऊसर है। जगमालसिंह वहां से एक मील दूर गांव में रहता था और मेरे दूसरे गांव के पास ही दूसरे गांव में भवर सिंह रहता था। व्यासजी इसका अक्सर मजाक करते हैं लेकिन किसी तरह हमें रही-सही सूचना मिल ही जाती है। बात वह है कि यह पूनिया डाकू करीब करीब पुलिस से मिल चुका था और भंवरसिंह और जगमालसिंह को पकड़ाने के तजवीजी पत्र उसके साथ में पकड़े गये तो भंवरसिंह ने पूनिया को मार दिया और हिन्दुस्तान की हद में फेंक दिया। तो पुलिस द्वारा मरी हुई लाश पर गोलियां मारी गई, और अब नतीजा यह हुआ कि हमारे बहादुर सिपाहियों को इनाम जरूर मिला। लेकिन यह भी बात सही है कि इसको मारने का श्रेय हमारे पुलिस के बहादुर सिपाहियों को नहीं है।

अब मैं एजूकेशन के मुताल्लिक बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि मुझे दूसरे विषयों में बहुत कुछ कहना जरूरी है इसलिए उन पर पहले कह दूं और इस पर जब कटमोशन आयेंगे उस समय कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि सरकार के पास बहुत रुपया है और

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

बहुत रुपया लग रहा है तथा केन्द्रीय सरकार से भी इस काम के लिए लाखों और करोड़ों रुपये दिये जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी शिक्षा मंत्री भी हैं तो आपसे फिर अपील करता हूं कि निष्पक्ष होकर सब संस्थाओं को, कहीं की भी संस्था हो, उनको जो वाजिब ऐड हो वह दी जाय। लेकिन अगर इस वक्त आप इस स्थिति में है कि कुछ संस्थाओं को लाभ पहुंचा सकते हैं तो लाभ पहुंचाया जाय, अगर आप इस छोटे दृष्टिकोण से इस समस्या को हल करना चाहें तो जिस पद को वे सुशोभित करते हैं वह उस पद के योग्य बात नहीं है। वैसे तो हम हिन्दी का बहुत कुछ प्रचार करते हैं लेकिन हिन्दी के साथ साथ हमारी देववाणी संस्कृति हैं, उसका भी प्रचार आवश्यक है। उसमें क्या खर्च लगता है और दूसरे आर्टर्स कालेज हैं उनका मुकाबला करें तो बहुत कुछ गुंजाइश है। संस्कृति की शिक्षा के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। तो मैं इस वक्त निवेदन करूंगा कि इस विषय पर अपने पद को देखते हुए उसकी उच्चता का विचार रखते हुए सब के साथ समानता का व्यवहार करें तो इससे प्रान्त का हित होगा और उनके कार्य से सब लोग खुश होंगे। मैं एजुकेशन के मुताल्लिक यह बात फिर कहना चाहूँगा कि मैं नहीं समझ सकता कि ऐसे अच्छे कार्य में इस प्रकार की खराबी क्यों होती है?

पिछले साल १ अप्रेल, ५५ को १ साल पहले जो ग्रान्ट इन ऐड सिस्टम में इसके पहले साल के खर्च पर मिलने वाला था और जो मिलना चाहिए था चाहे कैसी भी पिछली सरकार रही हो, ३, ४ महीनों के बाद अक्टूबर तक ग्रान्ट इन ऐड मिल जाती थी। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है, क्योंकि एक दो संस्थाओं को चलाने का मुझसे संबंध है, आज तक ५४–५५ का जितना परसेन्टेज मिलना चाहिये था वह आज तक हमें नहीं मिला। कुछ बड़ी संस्थाएं हैं जिनको लाखों रुपये राजस्थान सरकार देती है और केन्द्रीय सरकार से भी मिलते हैं और मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग जो छोटी संस्थाएं एक–एक, दो–दो रुपया इकट्ठा करके चलाते हैं उनको यदि सरकार, हमारे हक और अधिकार हैं, नहीं देगी तो प्राइवेट संस्थाएं कैसे चल सकती हैं और कैसे कार्य चल सकता है जब कि सरकार उनके साथ सहानुभूति का बर्ताव नहीं करती है और केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार से पैसा नहीं दिया जाता है। मैं आशा करता हूं कि पिछले साल की ग्रान्ट इन ऐड ३१ मार्च से पहले मिल जायगी। लेप्स न हो जाय इससे पहले देने की, शिक्षा मंत्रीजी जो हमारे मुख्य मंत्रीजी भी हैं, कृपा करेंगे तो हमारा आर्शीर्वाद का श्रेय लेंगे और अगले साल के लिये मैं निवेदन करता हूं कि साल शुरू होने के ३-४ महिने बाद अगले साल का देने का प्रबन्ध करें।

अन्त में मेडिकल ग्रान्ट के मुताल्लिक कुछ कहना चाहूंगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दिन दिन हमारे मेडिकल डिपार्टमेन्ट का शासन शिथिल पड़ता जा रहा है और शासन स्तर और नैतिक स्तर दोनों ही गिरते जा रहे हैं। उदयपुर होस्पिटल को, हमारे सुनने में आया है कि, फर्स्ट क्लास होस्पिटल बना दिया गया है। यह भी हमारे सुनने में आया है कि पिछले महिने में वहां पर न तो कोई सर्जन था और न कोई असिस्टेन्ट सर्जन था, जिसकी वजह से ७, ८ मौतें, अच्छी तरह से ओपरेशन न होने के कारण, ओपरेशन टेबल पर ही हो गई और एक दो मौतें

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

ओपरेशन टेबल से नीचे लाते ही हो गई। इधर तो उसको फर्स्ट क्लास होस्पिटल बना दिया गया है और उधर डाक्टर न होने के कारण मरीजों की मृत्यु होती है। डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एएंड हेल्थ सर्विसेज़ महीने में एक बार जाकर ओपरेशन करते हैं। उसको फर्स्ट क्लास होस्पिटल करने से क्या हुआ, जब कि वहां पर एक्सपर्ट डाक्टर नहीं है और इस कारण से ७ आदमियों की जान चली गई इस पर हमारे डाइरेक्टर मेडिकल एएड हेल्थ सर्विसेज ने उन डाक्टर्स को रेप्रिमान्ड किया, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन जहां ८-९ आदमी मारे गये और उनकी हत्या एक्सपर्ट आदमी न होने के कारण हुई तो क्या उनके लिये रेप्रिमान्ड करना ही काफी है? क्या उनको और सजा नहीं मिलनी चाहिये? तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कार्य कोई अच्छा कार्य नहीं है। एज्युकेशन और मेडिकल ऐसे महकमे हैं जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

इसके मुत्तल्लिक, माननीय उपाध्यक्षजी, एक निवेदन मैं और करूंगा। वह यह, है कि यह एक दुःख का विषय है, एक तरफ हमें खुशी है कि बीकानेर में एक नरसिंग होम खोला गया है, वहां नर्सों की ट्रेनिंग के लिये सेन्टर बनाया गया है। वहां पर काफी तादाद में नर्सें भेजी गई हैं जिनको ट्रेन्ड करके राजस्थान को काफी लाभ पहुँचाया जायगा। लेकिन वहां की मोरेल स्थिति देखी जाय तो मैं यह कहूँगा दुःख के साथ कि एक रोज श्री संतोषसिंहजी एक नोन ओफिशियल रिजोल्युशन लाये थे कि वेश्यावृत्ति को कानून से बंद किया जाय, उस वक्त फ्रान्स में गवर्नमेन्ट द्वारा होम्स चलाये जाते हैं ऐसे काम के लिये इसका भी मैंने जिक्र किया और मंत्रीजी ने और दूसरों ने नाक सिकोड़ा था कि पाश्चात्य देशों में ऐसी गंदी बातें होती हैं। बीकानेर के नर्सिंग होम की नाइट लाइफ का वर्णन किया जाय तो मैं कहूँगा कि नर्सिंग जैसे पवित्र कार्य को इसमें सिखाने के बजाय यह मालूम होता है कि वहां कोक शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। यह बिलकुल सत्य है। वहां के पी. एम. ओ. विवश होकर और इस वातावरण को देख कर लड़कियों को कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर नहीं निकलने देते हैं। डाक्टर्स जो मेरीड हैं या अनमेरी हैं और नौजवान हैं उनकी फेमिली लाइफ में खतरा पहुँच चुका है। जब वहां के पी. एम. ओ. यहां के डाइरेक्टर ओफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज को इन बातों के बारे में लिखते हैं तो माननीय मेडिकल मिनिस्टर साहब जो मेरे सामने बैठे हैं, उनको मैं निवेदन करूंगा कि पी. एम. ओ. बीकानेर और डाइरेक्टर ओफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज़ की खतोकिताबत को सदन की मेज पर रखें और उनका मोरेल डिग्रेडेशन किस हद तक पहुँच गया हैं उसकी जांच करें तो आपको दुःख होगा और सदन को दुःख होगा और राजस्थान की जनता को दुःख होगा कि इतने बड़े अधिकारी राइटिंग में एक दूसरे से चाल-चलन के बारे में किस प्रकार से लिखा पढ़ी करते हैं। यह शिकायत की बात नहीं है। ऐसी नजीरें मौजूद हैं। यदि शिक्षा और नरसिंग जैसे पवित्र पेशों में इस प्रकार की बातें शुरू हुई तो यह बात दुनिया के ध्यान में आयेगी और बाहर की दुनियां कहेगी कि भारतवर्ष वाले आध्यात्मिक बातों को इतना ऊंचा स्थान सिर्फ बातों में ही देते हैं, उसके विपरीत कार्यरूप में कुछ और ही करते हैं। जिन बातों की ओर फ्रांस में ध्यान दिया जाता है उनकी ओर ध्यान देने लगे हैं और आध्यात्मिक बातों की ओर ध्यान कम देने लगे हैं। हो सकता है कि एक दिन हम फ्रान्स से भी आगे बढ़

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

जांय। मुझे और अधिक कहना था लेकिन अब इतना ही कहूंगा मेडिकल मंत्रीजी। मेडिकल मंत्रीजी के ध्यान में ऐसी बातें लाई गई हैं, उनका कुछ न कुछ प्रबन्ध करने की कोशिश करेंगे वे कहां तक सफल होंगे, यह मैं नहीं कह सकता।

माननीय उपाध्यक्ष, इस मेडिकल डिपार्टमेन्ट के बारे में दो बातें और कहे बिना नहीं रह सकता। आप देखिये कि अभी मेडिकल डिपार्टमेन्ट में कुछ चीजें खरीदी जा रही हैं। १२ एम्बुलेन्सेज के लिये १२ चेसिस खरीदी गई हैं। १५,६०० रुपयों में एक एक चेसिस खरीदने का ऑर्डर दिया गया है कमल एंड कंपनी, जयपुर को। इसमें डील करने वाली जो फर्म्स थीं उनको टेलीफोन पर प्राइसेज़ के बारे में पूछा गया। अभी टेलीफोन का युग है इसलिये टेलीफोन का इस्तेमाल लाना चाहिये। डी. एम. एच. ओ. ने सोचा होगा कि विधान सभा में कहीं कुछ कर न बैठें इसलिये उन्होंने टेलीफोन से पूछ लिया कि क्या कीमत है। इस प्रकार चेसिस १५,६०० रु० में खरीदने का एक एक का, १२ का ऑर्डर प्लेस किया। यह ऑर्डर कई लाख रुपयों का होगा। इसके विपरीत एक दूसरा मोटर डीलर है वह कहता है कि मेरे पास ४ व्हील ड्राइव की ११८ व्हील बेस वाली गाड़ियें हैं और जिनको ऑर्डर दिया गया है वे ११२ व्हील बेस वाली हैं जिसमें यह भी शक है कि उनकी एम्बुलेन्स बन सकेंगी या नहीं क्योंकि हमें बाहर भी एम्बुलेन्स ले जानी पड़ेगी तो मुश्किल पड़ेगी। ये ११८ व्हील बेस १६०००) रुपयों में यानी सिर्फ ५०० रुपये ज्यादा में मिल सकती थी परन्तु उन्हें नहीं खरीदकर कमल एण्ड कम्पनी के पास ऑर्डर प्लेस किया गया है। यह लाखों रुपयों का ऑर्डर बगैर टेन्डर इन्वाइट किये प्लेस किया गया है, यह बुरी बात है। इसी तरह २०-२२ लाख रुपयों के एक्सरे इक्विपमेन्ट्स का ऑर्डर प्लेस हुआ। २०-२२ लाख रुपयों का ऑर्डर है, यह सोचने की बात है।

उसके लिये हमारे D. M. H. O. खुद व खुद, सरकार के बिना किसी आदेश के डॉ० कासली वाल, डॉ० सरीन, डाक्टर कावसजी और डा० भार्गव जो रेडियोलोजिस्ट एक्सपर्ट हैं वगैरह ने एक कमेटी बनाकर आर्डर प्लेस किया। एक रोज डॉ० भार्गव एब्सेन्ट थे उसी दिन इस कमेटी ने आर्डर प्लेस कर दिये औरजो ऑर्डर प्लेस किये गये थेउसके लिये डॉ० भार्गव एग्री नहीं करते थे, मगर फिर भी ऐसा किया गया और यह बात कोई मामूली बात नहीं थी। यह बात २०-२५ लाख के खरीद की थी; यह बात काफी असंतोषजनक है।

इसके अलावा ऐसा सुनने में आया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बीकानेर में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। ऐसा सुना ही जाता है। अगर ऐसी बात है तो हम बीकानेर के सब एम० एल० ए० जितने भी हैं कुछ सुझाव पेश करना चाहते हैं और माननीय मुख्य मंत्री तथा मंत्री महोदय से डेप्युटेशन ले कर मिलना चाहते हैं। मगर पहले यह तय हो जाए कि यह बात सच है, फिर हम अपना डेप्यूटेशन लेकर पहुँचेंगे।

Page No 51

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

अब मुझे एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में एक बात कहनी है। इस संबन्ध में श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में बहुत कुछ कहा गया और जो कुछ कहना चाहिये था उससे भी ज्यादा कह दिया गया और उसमें तो हर पहलू पर विचार प्रकट किये गये। हम लोगों के सुनने में आया है, कि पता नहीं वह जो कुछ हमारे सुनने में आया है वह कहां तक ठीक है, फाइनेन्स मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे। उदयपुर में आपने कृषि कॉलेज खोला, उसके लिये आपको एक फार्म की जमीन खरीदनी है और ऐसा सुनने में आया है कि सन् १९४८-४९ में किसी एक नेता ने जिनका नाम जनार्दनराय नागर बताया जाता है, उन्होंने अपनी माता के नाम से ८ हजार में एक जमीन खरीदी थी। आज उस जमीन को सरकार राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज के फार्म के लिये एक्वायर करना चाहती है। आज से कुछ समय पहले जो जमीन ८ हजार में खरीदी गई थी उसी जमीन को लेने के लिए कॉलेज के लिए १॥ लाख में खरीदने जा रही है। जिस जमीन को जनार्दनराय जी नागर ने ८ हजार में खरीदी थी उसी जमीन को १॥ लाख में एक्वायर करने की तजवीज क्लेक्टर ने की है और वह भी लैण्ड एक्वीज़िशन रूल्स के अनुसार। अगर ऐसी बात है तो उसके लिये बन्दोबस्त होना चाहिये कि कहीं ऐसा अनर्थ नहीं हो जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बजट में भी तो १॥ लाख का इसके लिये प्रोविजन रखा गया है।

श्री जसवन्तसिंह—अगर इस तरह से ब्लेक मार्केटिंग और प्रोफीटियरिंग सरकार ही करने लगेगी तो फिर हद हो जायगी।

वेटरनरी कॉलेज के लिये मुझे सिर्फ यही कहना है कि जो आपने बीकानेर में यह कॉलेज खोला है, उसके लिये हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं लेकिन अभी तक उसमें कोई खास तरक्की नहीं हो सकी है। पिछले साल केन्द्रीय सरकार ने दो लाख रुपये हॉस्टल के लिये दिये थे, मगर उसका भी उपयोग अभी तक बीकानेर में नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये भी जल्दी करें। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वहां पर बीकानेर में जो वेटरनरी होस्पिटल है उसमें सिर्फ एक ही डॉक्टर है और डाक्टर को महीने में १० दिन बाहर दौरे पर रहना पड़ता है। इसके लिये पाबन्दी लगी हुई है। मगर जब कभी एपेडेमिक बीमारी फैल जाती है तो उसे १५ या २० दिन तक बाहर रहना पड़ता है और एक ही डॉक्टर होने के कारण बहुत से पशुओं को बिना चिकित्सा के ही रहना पड़ता है और ऐसी हालत में लोगों की बहुत तकलीफ होती है। इसलिए जब आपने बीकानेर में कॉलेज खोल दिया है तो वहां पर सुचारू रूप से लेबोरेट्री, डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ओफिसर आदि का प्रबन्ध होना चाहिये और शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये और अब तक वहां पर अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं की जावेगी तो कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होगी। Society for prevention of cruelty to animals जैसी संस्था भी स्थापित होनी चाहिये जिससे वहां पर बहुत अधिक जानवर इलाज के लिये आ सकते हैं यदि सुचारू रूप से इलाज का प्रबन्ध हो और विद्यार्थियों को प्रेक्टिकल काम सीखने को मिले।

Page No 52

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने ७० या ८० हजार रुपये लगा कर वहां पर लेबोरेटरी बनाई है और आज से एक साल पहिले वह बनी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य हैं कि डिप्टी डाइरेक्टर, शीप एण्ड वूल ने यह जिद पकड़ रखी है कि वह बीकानेर नहीं जावेगा। जब चीफ मिनिस्टर व्यासजी थे उस समय भी हमने उनको बहुत कहा। आपका नाम डाक्टर नारायण है। व्यासजी ने उनको बहुत फटकारा और कहा कि फौरन चले जाओ। वे एक दो रोज वहां पर रहे और फिर लौट आये। मैं यह कहूँगा कि ७०—८० हजार की लेबोरेटरी वहां पर बन चुकी है। इसकी इन्चार्ज उनकी श्रीमती जी हैं जो जयपुर में रहना चाहती हैं। उनको दोष क्यों दिया जाता है कि वे वहां पर नहीं रहते, जब डिप्टी डाइरेक्टर खुद वहां पर रहना नहीं चाहते। जब सरकार ने लेबोरेटरी बनाई है तो सरकार को चाहिए कि उनको वहां पर जाने के लिए बाध्य करे और अगर वे नहीं जाना चाहते और वहां पर नहीं रहना चाहते हैं और गवर्नमेंट के आदेश को नहीं मानना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वह अपने आदेश को उनसे मनवाए। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो उनके हैड क्वार्टर को बीकानेर से वापिस ले लिया जावे, मगर मैं यह कहूंगा कि जब एक बार सरकार ने यह तय कर लिया कि डिप्टी डाइरेक्टर का हैड़क्वार्टर बीकानेर रहेगा तो फिर उसको वापिस लेने का सवाल ही क्यों पैदा होता है ? क्यों उसको वापिस लिया जावे ? माननीय मंत्री अगर देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि Laboratory का सामान पेकेजेज में बन्धा हुआ पड़ा है, लेकिन एक कारण से या दूसरे कारण से डिप्टी डाइरेक्टर महोदय वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए न तो सरकार प्रयत्नशील है और न डिप्टी डाइरेक्टर साहब जाने के लिए तैयार हैं। इससे बहुत हानि हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष, हमारे बजट में एक माइनिंग डिपार्टमेंट है। उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारी पंचवर्षीय योजना में पलाना के लिए, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में कहा गया कि लिगनाइट को निकालने में काफी प्रगति की है। मेरी समझ में नही आता कि क्या प्रगति की है। अभी तो २।। हजार टन कोयला ही माहवार निकलता है। अभी नये सिरे से जांच की गई तो पता लगा कि २।। मील तक और २८—२६ फिट डीप हमें बहुत कोयला मिल सकता है। मगर काम करने में बहुत मुश्किल होती है और सरकार की तरफ से ब्रेक लग जाते हैं और जो काम में दिलचस्पी लेना चाहते हैं ले नहीं सकते हैं। इसका नतीजा यह निकलता कि जितना फायदा होना चाहिये नहीं हो पाता। मैं तो यह कहूँगा कि ६० या ७० लाख की आमदनी की गुंजायश हमारे पलाना के कोयले से हो सकती है। मगर सरकार इस तरह से चलती है कि उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती। अगर तेजी से यह सरकार चले तो फिर राजस्थान सरकार ही नहीं कहलाये। हमारे लिए एक बहुत ताज्जुब की बात हो जावे, अगर समय पर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जावे। अब मैं एक बात माननीय पंड्या साहब से निवेदन करूंगा क्योंकि वह बात उनके महकमें से ताल्लुक रखती है। जो कोयला निकलता है उसके लिए बल्लियों की जरूरत रहती है, उसके लिये आठ महीने पहले वहां के जो इन्जिनीयर हैं उन्होंने बलियें खरीदने के लिए मंजूरी के लिए कागजात भेजे। मैं नहीं कह सकता कि मेरे

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

पुराने मित्र फाइनेन्स मिनिस्टर उन कागजों को, जिस प्रकार मुर्गी अण्डों को सेती है, उस प्रकार सेने लग गये और सेना ही चाहिये ; कहीं रुपया खर्च न हो सके। क्या हुआ, मैं नहीं कह सकता लेकिन ८ महीनों तक उसकी मंजूरी नहीं दी गई । आखिरकार २१३ फरवरी को यह स्थिति हुई कि ५ दिन तक माइन्स बन्द रहीं। लाखों रुपयों का नुकसान हुआ और सैंकड़ों मजदूर बेकार बैठे रहे और सरकार को उन्हें तनख्वाह देनी पड़ी और फिर क्या हुआ कि जिस तरह से शाही हुक्म होता है, हुक्म हुआ कि जहां बल्लियें मिलें खरीदें। कुछ जयपुर में और कुछ बीकानेर में खरीदी गई। उसे टेन्डर से दूनी कीमतों में खरीदना पड़ा। तो मैं नहीं समझ सकता कि इस सरकार को किस प्रकार श्रेय दिया जा सकता है इस काम के लिए।

मैंने फर्टीलाइज़र फेक्ट्री के बारे में श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के वक्त पिछले साल अपने विचार जाहिर करते हुए भी कहा था कि सरकार द्वारा कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जा रहा है और न कोई इस पर कार्य किया जा रहा है। मुझे याद है, एक साल की बात है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हंसी-मजाक में कहा था कि सरकार के कार्यों से जानकारी रखने में सुस्ती कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की केन्द्रीय सरकार से बातचीत हो रही है और पूर्वी राजस्थान को फर्टीलाइज़र फेक्ट्री मिल जायगी। मैं जानना चाहूंगा कि एक साल में क्या कार्य हुआ इस विषय में। बातें तो बड़ी बनाते है लेकिन काम करने में जरूर जोर पड़ता है। केबिनेट में बैठकर मंत्री महोदय रिजोल्युशन पास करलें लेकिन उन रिजोल्युशन से काम नहीं चलता।काम करने में जोर पड़ता है मस्तिष्क और शरीर को, दोनों को। मैं यह कहूँगा कि सरकार की गफलत की वजह से फर्टीलाइज़र फेक्ट्री हमारे हाथों से जाती हुई नजर आती है। वित्त मन्त्री मोहोदय नोट कर लें, मैं इस बात को जोरदार शब्दों में कहना चाहूँगा कि यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि महत्व के आगे जनता के कार्य करने में सरकार शिथिलता बतलाती है।

अब मैं जरा लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट डिपार्टमेंट के सिलसिले में मेरे सामने माननीय मन्त्री बद्रीप्रसादजी जो बैठे हैं उनको कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि हर मंत्री के हिस्से में तो कुछ न कुछ आवे नहीं तो सब जने कहेंगे कि इनके साथ उपेक्षा कर दी।

राज श्री हिम्मत सिंह—प्रसाद सब को मिलना चाहिए।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मिलना ही चाहिए। इनको मैं यह कहना चाहूंगा कि एक गाडवाल गांव है, पांच ६ मील दूर बीकानेर से। कभी मेरी जागीर में यह गांव रह चुका है। जाटों की बस्ती है। वहां पर मालचन्द शर्मा करके ग्राम पंचायत का सेक्रेट्री है। उस गांव से पांच मील दूर केसर-देसर जाटान करके बडा गांव है। वहां पर एक पंच सादुलराम व सरपंच आदूराम हैं। ये सब जाट हैं। ह जो सादुलराम है वह स्वतंत्र विचार का आदमी है जिस प्रकार कुछ व्यक्ति सरकार के रुख के माफिक काम करना अनुचित समझते हैं, सादुलराम ने इन्डिपेन्डेन्ट व्यूज़ लेना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हर काम मेरिट पर करूंगा। पंचों ने कहा कि इसको सबक पढ़ाना

चाहिए। उसके विरुद्ध शिकायतें चीफ पंचायत ऑफिसर के पास भेजने की तजवीज सोची गई। सादुलराम ने समझा कि उनके साथ लड़ाई करके निभना मुश्किल है तो उसने मालचन्द्र जो सेक्रेटरी है गाडवाल का उसके पास जाकर माफी मांगी, और आगे जो वह कहेगा वह करेगा। तो मालचन्द सेक्रेटरी गाडवाल पंचायत ने असली चिट्ठी जो केसर-देसर जाटा के सरपंच को लिखी है वह इस प्रकार है :—

"श्रीमान् आदूरामजी व श्रीरामजी सादर नमस्कार। आगे समाचार यह है कि जो दरख्वास्त श्री सादूलरामजी पंच के विरुद्ध दे रहे थे उसको एक बार अपने पास ही रखें क्योंकि श्री सादुलरामजी अब कुछ नर्म पड़ गए हैं।

(हंसी)

अब आप देखिये हमारे पंचायती राज्य, जिसकी बुनियाद पर भारत की डेमोक्रेसी को बनाना चाहते हैं। एक आदमी जो इन्डिपेन्डेन्ट काम करने की हिम्मत कर सकता है तो उसका इस तरह से गला घोटा जाता है। यही नही आगे यह लिखा, "मुझे से कह रहे थे कि आप कहेंगे उसी तरह कर देंगे और मेरे विरुद्ध ऐसी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए मैंने उनसे कहा कि मुझे पता नहीं कि आपके विरुद्ध कोई दरख्वास्त दी है सो आप एक बार ठहरें फिर सोच विचार करके इस विषय में कार्यवाही करेंगे" तो हमारी पंचायतों की बुनियाद हम इस तरह से रख रहे हैं और इस पर हम भारत की डेमोक्रेसी की इमारत को खड़ा करना चाहते हैं।

अब मैं एक बात और कहूंगा कि अभी हाल ही में हमारे करनपुर म्युनिसिपेलिटी का चुनाव हुआ। यह फरवरी की बात है। उसमें एक वार्ड का चुनाव बाकी रह गया था। वहां के प्रेसिडेन्ट के चुनाव के लिए तारीख मुकर्रर हो गयी। तो जो सीटिंग प्रेसिडेन्ट श्री टेकचन्द थे उन्होने बहुत कुछ कहा कि यह चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि एक स्थान रिक्त है, वह भरा नहीं जाय। सुनवाई नही होने पर हाई कोर्ट से रिट लायी गई। माननीय उपाध्यक्ष, जरा ताज्जुब होता है कि मौजूदा मंत्री लोग, हमारे ऐसा सुनने में आया है, जो कि कहां तक सही है, उन्होंने २५. २. ५६ को यह आदेश दिया कि रिट हो जाने से प्रेसिडेन्ट का चुनाव तो नहीं हो सके किन्तु एक जगदीशचंद्र वकील हैं उनको ओनरेरी प्रेसिडेंन्ट बना दिया। मैं यह जानना चाहूंगा कि भारतवर्ष में ही नहीं दुनिया भर में इस सदन के माननीय सदस्यों ने सुना कि ओनरेरी प्रेसिडेन्ट कभी म्युनिसिपेलिटी में होता मैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जरूर रखिये, जो कि सरकार का होगा। लेकिन ओनरेरी प्रेसिडेन्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक म्युनिसिपेलिटी का चुनाव न हो अपने आदमी को एक आनरेरी प्रेसीडेन्ट बनाकर म्युनिसिपेलिटी में बिठा दिया जावे, इससे अधिक क्या ताज्जुब और दुःख की बात हो सकती है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ओनरेरी है या नोमिनेटेड है?

कु० श्री जसवन्तसिंह—कुछ भी, आप ओनरेरी प्रेसिडेन्ट कहें ना।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

माननीय उपाध्यक्ष जी, मै ऐसा ख्याल करता हूँ कि शायद परेशानी है कि मैं १॥ घंटे तक बोल चुका हूँ और मुझे दूसरों को बोलने के लिए स्थान देना चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करूं कि अगर जरूरत होगी तो मैं कट मोशन्स पर नहीं बोलूंगा और इसलिए मैं १५-२० मिनट और लूंगा। बोलने का मुझे आनन्द आ रहा है, सदन को भी दिलचस्पी हो रही है क्योंकि मैं दिलचस्पी की (हंसी) कहानियां बता रहा हूँ और सरकार के कारनामों का जिक्र कर रहा हूँ। १५ मिनट में और बोलूंगा।

एक माननीय सदस्य—आपके भाषण से गद्गद हो रहे हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह (अपना भाषण जारी रखते हुए)—एक जयदत्त नामक इन्सपेक्टर हैं लैंड रेकर्ड्स, जोधपुर में उनको मिसएप्रोप्रियेशन ऑफ फन्ड्स के जुर्म में १५. १. ५४ को कलेक्टर जोधपुर ने सस्पेन्ड कर दिया और इन्क्वारी शुरू कर दी। उन्होंने कमिश्नर के सामने अपील की और अपील करने पर कमिश्नर ने कहा कि इन्क्वायरी और सस्पेन्शन कलेक्टर के अधिकार के बाहर है, लेकिन फिर २६. ८. ५४ को सरकार का नई तौर से जांच करने का हुक्म जारी हुआ। ७. ६. ५५ को वह इन्क्वारी दुबारा १ साल के बाद खत्म हो गई।

इन्क्वायरी दुबारा एक साल के बाद में खत्म हो गई। रेवेन्यू बोर्ड में यह मामला ६-७ महिने से पड़ा हुआ है। आज रेवेन्यू बोर्ड उस इन्क्वायरी पर बैठा हुआ है। चीफ सेक्रेट्री का एक आर्डर हैं F. 2 (60)-GA/A/54 of 25/6/55 उसमें यह आदेश जारी किया हुआ है कि कोई भी इन्क्वायरी तीन महिने से ज्यादा किसी ऑफिस के पास नहीं रहनी चाहिये। आज रेवेन्यू बोर्ड एक बड़ा महकमा है जिसकी हालत यह है कि ६. ७ महिने से एक इन्क्वायरी पड़ी हुई है। जिसकी वह इन्क्वायरी है वह वेचारा गरीब आदमी है, दो वर्ष से ५, १, ५४ से, जिसके सस्पेन्शन के कोई आर्डर नहीं, उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है न उसकी इन्क्वायरी पर कोई कदम उठाया जा रहा है, जिस इन्क्वायरी पर सात सात महिने तक रेवेन्यू बोर्ड बैठा रहता है यह जब देखते हैं तो बड़ा दुःख का विषय बन जाता है।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वह है सूरतगढ़ गौशाला के संबन्ध में। गवर्नमेन्ट द्वारा १, ४, ५५ को २५०० रुपया माहवार सूरतगढ़ गौशाला के लिये मन्जूर हुआ था। वह सेंक्शन पत्र न० F 15 (24) Rev (B) तारीख २१-६-५५ को उनके पास भेज भी दी गई कि २५०० रुपये माहवार १' ४- ५५. से गौशाला के लिये मिलते रहेंगे। उसमें यह आदेश था कि आप गंगानगर कलेक्टर के पास जाकर रुपये ले लीजिये। वहां यह स्थिति है कि चार-पांच साल से उस इलाके में अकाल पड़ रहा है। जब कलेक्टर गंगानगर के पास उस रुपये को लेने के लिये पहुँचते हैं तो वह कहते हैं कि जब अकाउन्टेन्ट जनरल से ऑर्डर नहीं आ जाता, हम रुपया नहीं दे सकते। सरकार से इतना रुपया मन्जूर हो चुका है लेकिन आज तक अकाउन्टेन्ट जनरल के पास

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

मंजूरी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से नहीं पहुँची है । अंग्रेजी में एक कहावत है, "He gives twice who gives quickly". गौओं के प्रति जनता की बड़ी हमदर्दी है । जहां पांच-पांच साल से अकाल पड़ रहा हो और वहां के लिये रुपया मन्जूर हो जाय और वह भी न मिले, यह बड़े खेद और शर्म की बात है । आज यदि उनके नेताओं को पैसा देने का सवाल हो तो रात को ट्रेजरी खुलवाकर ऑर्डर्स इश्यू हो जाते हैं तो ताज्जुब नहीं । भारतवर्ष में गौओं की सदा पूजा होती रही है, लेकिन आज हमारी सरकार द्वारा मन्जूर शुदा रकम भी उनको हासिल नहीं हो रही है । मैं वित्त मंत्री महोदय से जो ब्राह्मण है निवेदन करना चाहूंगा एक ब्राह्मण होने के नाते इस ओर अवश्य ध्यान देंगे । इतना कहकर मैं अब अन्त में एक बहुत ही महत्व पूर्ण विषय पर आना चाहता हूँ । मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करना चाहूँगा अगर माननीय सदस्य इन बातों को सुनेंगे तो उनको बहुत आनन्द आयगा । हमारी सरकार जनता के हित को कितना सोचती है और वह कितनी दिलचस्पी इसमें लेती है और कितने अच्छे कदम वह उठाती है यह मैं आपके सामने रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक विषय बहुत सुन्दर विषय है । वह है सरकारी विज्ञापन । इस संबन्ध में इस सदन में प्रश्न भी पूछे गये थे और यहां तक हुआ अल्पकालिक सूचना प्रश्न भी इस बारे में किये गये । इस प्रकार के प्रश्न पूछ कर हमने यह जानने की कोशिश की कि सरकारी विज्ञापन देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है, किन्तु हम असफल रहे और आज ऐसा ख्याल किया जाता है जब कि हमारे बजट का यह आखिरी सेशन होगा, इस विधान सभा की जिन्दगी में मैं चाहता हूँ कि यह उपयुक्त विषय होगा, जिस पर मैं कुछ प्रकाश डालूं । यदि जो विज्ञापन सरकार की ओर से दिये जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिये कि सरकार जिसको चाहे मर्जी के मुआफिक विज्ञापन दे दे । एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट के सामने कुछ सिद्धान्त होते हैं कुछ मूल सिद्धान्त होते हैं कुछ फन्डामेन्टल प्रीन्सीपल्स होने चाहियें । अगर किसी आधार या प्रीन्सीपल्स पर कोई सरकार नहीं चलती है तो इस डेमोक्रेसी के राज्य में जनतन्त्र का पनपना तो दूर डेमोक्रेसी खत्म हो जायगी । मैं यह भी निवेदन करदूं जो सरकार अपने को जनता का प्रतिनिधि मानती हैं और उसके प्रतिनिधित्व करने का साहस कर सकती है और यह कहती है कि हम जनतन्त्र की सरकार हैं तो उनके सामने विज्ञापन देते समय कुछ बातें अपने सामने रखनी पड़ेंगी । अब यह देखना है कि जिस पत्र को सरकार विज्ञापन देती हैं उसका सरकुलेशन क्या है, किस किस हद तक और कहां कहां वह पत्र पहुँचता है, किस प्रकार के उसके ग्राहक हैं और किन किन पत्रों को पढ़कर लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाते हैं सरकारी विज्ञापन का ये मूल सिद्धान्त हैं विज्ञापन देने के । इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने एक प्रेस कमिशन नियुक्त किया था । उसप्रेस कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की है और जिसको केन्द्रीय सरकार ने माना है । उस रिपोर्ट के पेज५०४ के पैरा १३६५-६६ पर जो लिखा है उसका मैं तात्पर्य आपके सामने रखता हूँ ।

"सरकार को पूर्ण अधिकार नहीं दिया जा सकता वे जैसा चाहें विज्ञापन बांटें सरकार जनता के रुपये की ट्रस्टी है वह एक दूसरे में भेदभाव नहीं रख सकती ।"

[कु ० श्री जसवन्तसिंह]

इस प्रकार का उल्लेख प्रेस कमिशन की रिपोर्ट के पैरा १३९५ में किया गया है। इसी प्रकार पैरा नं० १३९६ में प्रेस कमीशन लिखता है।

"सरकार द्वारा इस प्रकार जनता के रुपयों का दुरुपयोग करने पर अगर विधान सभा दस्तन्दाजी नहीं करती है तो जनतन्त्रवाद को बड़ी हानि हो सकती है।" मैं इसीलिये यह सवाल विधान सभा के समक्ष ला रहा हूँ और मैं यह सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि सरकार ने विज्ञापन देने संम्बन्धी जो नीति बरती है वह इस जनतन्त्र के जमाने में उपयुक्त नहीं कही जा सकती। आज इस जमाने में इस संबन्ध में सरकार की धांधली नहीं चल सकती। अगर जनता के पैसे का दुरूपयोग होता है तो हर विधान सभा के सदस्य का कर्तव्य है कि वह उसमें हस्तक्षेप करे। अगर विधान सभा के सदस्य इतने पर भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो मैं यह कहने की हिम्मत रखता हूँ कि हम अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं यह मेरा उसूल और निश्चित धारणा है।

माननीय उपाध्यक्ष, जो अच्छे पत्र होते हैं उसकी यह पहचान है कि उस पत्र को प्राइवेट वाणिज्य एवं व्यवसाय संबन्धी कितने विज्ञापन प्राप्त होते हैं उसके मुकाबले सरकारी विज्ञापन कम होने चाहिये। मान लिजिये किसी पत्र में दो परसेन्ट या तीन परसेन्ट सरकारी विज्ञापन हैं तो उस पत्र में ९५ और ९६ प्रतिशत प्राइवेट वाणिज्य एवं व्यवसाय संबन्धी विज्ञापन होने चाहिये क्योंकि अगर किसी पत्र को अधिक विज्ञापन सरकार द्वारा मिल जाते हैं तो यह एक प्रकार से उस पत्र को इमदाद है और इसी इमदाद के बल पर सरकार उस पत्र पर बहुत कुछ असर डाल सकती है। इससे जनता का बहुत अहित हो सकता है। एक तरह से यह हुआ कि सरकार उस अखबार को खरीद सकती है।

प्रेस कमीशन अपनी रिपोर्ट के पैरा ८५७ पर कहता है यह खास तौर से ध्यान देने योग्य बात है जो हमारे लिये बड़े दुख का विषय बन जाता है। प्रेस कमीशन ८४७ पैरा में यह उल्लेख करता है और वह बड़े दुख के साथ करता है "अत्यन्त दुखद उदाहरण राजस्थान का है विज्ञापन में" यह प्रेस कमीशन लिखता है, "यह अत्यन्त दुखद उदाहरण राजस्थान का है जहां अपने शिशुकाल में अपने पत्र को पूरा पेज सरकारी विज्ञापन से भरा हुआ है।" क्या इस प्रकार कार्य करने वाली सरकार को सभ्य सरकार कहें ? यहां से एक पत्र निकला है जिसके पेजेज़ पर पेजेज़ सरकारी विज्ञापन दिये जाते हैं और जिसको प्राइवेट विज्ञापन से किसी प्रकार की आमदनी नहीं। आज उस पत्र के लिये यहां तक नौबत आ गई है कि सरकारी विज्ञापन से उसको इतनी आमदनी होने लग गई है कि इनकम टैक्स देने तक की नौबत आ गई है। बाकायदा बारगेनिंग हो रहा है इस विज्ञापन देने के सिलसिले में। यह जब हम राजस्थान सरकार की नीति देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारी सरकार की यह कार्यवाही आखिर हमें जनतन्त्रवाद में कहां लेजाकर ठहरायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इलाहबाद हाईकोर्ट के जस्टिस श्री भार्गव ने सन् १९५० में ए. आई. आर. के पेज ४५९ पर लिखा है।

ऐसे मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी गये ! वहां जस्टिस भार्गव लिखते हैं। इसका पूरा विवरण ए. आई. आर. १९५०, पेज ४५९ पर है। तो वे लिखते हैं कि जनतन्त्रवाद में नागरिक का यह प्रथम अधिकार है कि यदि वह चाहे तो पार्टी गवर्नमेन्ट के प्रति

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

असन्तोष फैलाए तो वह फैला सकता है, पर असन्तोष वह ऐसा न हो कि जिससे बलात्कार हो जावे।

संविधान के नीचे जिस प्रत्येक नागरिक को ऐसे अधिकार दिये गये हैं हमारे संविधान के द्वारा उसी प्रकार पत्रों को भी निष्पक्ष रूप से, निर्बाध अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है और अगर इस प्रकार रुपया खिलाकर, प्रलोभन देकर गवर्नमेन्ट इन पत्रों को काबू में लेगी तो यह जनतन्त्रवाद आगे नहीं चलेगा, यह खत्म हो जायगा और इस प्रकार अगर खत्म हुआ जनतन्त्रवाद यहां तो इसकी जिम्मेदार यह राजस्थान सरकार होगी, यह निश्चित बात है।

प्रेस कमीशन यहां तक कहता है कि जब तक कोई पत्र इस तरह का असन्तोष न फैलाने लग जाए कि जिससे बलात्कार हो जाय तबतक चाहे वह साम्यवाद का प्रचारक पत्र हो या जातिवाद का प्रचारक सरकार को अधिकार नहीं कि उनके साथ भी विज्ञापन देने में कोई भेदभाव रक्खे। यह प्रेस कमीशन का कहना है, हमारे मित्र जोधपुर से आने वाले हरिकृष्ण व्यास का पत्र भी क्यों न हो उनको भी अधिकार है कि वे भी अपने हक का विज्ञापन सरकार से लें। लेकिन इस विषय में हमारी सरकार की क्या नीति है और जो उसके सिद्धान्त हैं उनको मैंने आपके सामने रक्खा। यह प्रेस कमीशन भारत सरकार से स्वीकृत है। अब प्रेस कमीशन द्वारा कही गई बातों पर हमारी सरकार कहां तक चलती है यह कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

मेरा गला भी आगे नहीं चल रहा है और डेढ़ घन्टे से लगातार में बोले जा रहा हूं पर अब पांच मिनट में ही अपना कथन समाप्त कर दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, देखिये कि सन् ५१ में 'राष्ट्रदूत' करके एक दैनिक राजस्थान में निकलना शुरु हुआ और उसको शुरु करने में हमारे लोकनायक और कई बार इस सरकार के मुख्य मन्त्री रहने वाले माननीय व्यास जी बड़ी दिलचस्पी लेते रहे और इस पत्र के लिये भी यह कहना पड़ेगा कि इसने चार पांच सालों में बहुत अच्छी तरक्की की सरक्यूलेशन वगैरह में और आज राजस्थान का यह सबसे अच्छा पत्र गिना जाता है और ये बातें किसी से छिपी नहीं हैं।

मैं अपने बारे में भी यह साफ कहना चाहता हूं कि मैं न राष्ट्रदूत से कोई वास्ता रखता हूं। न दूसरे किसी पत्र से वास्ता रखता हूँ। मैं अपने को एक डेमोक्रेट समझता हूं और इस हैसियत से जो जनतन्त्रवाद के अधिकारों के विरुद्ध हमारी सरकार कोई कार्य करती है तो उसको इस विधान सभा के सामने रखना अपना कर्तव्य समझता हूं अब यह देखना है कि इस राष्ट्रदूत की नीति क्या रही है। मै समझता हूँ कि यह एक खरा कांग्रेस की नीति पर चलने वाला अखबार है। एक बार दो तीन साल पहले राष्ट्रदूत के सम्पादक ने मुझे चिट्ठी लिखी कि राष्ट्रदूत के नये वर्षारम्भ पर मैं अपनी शुभ कामना उसे भेजूं। शुभ कामना भेजते समय मैंने यह भी कहा कि आपने अपना अच्छा सरक्यूलेशन कर लिया बड़ी खुशी की बात है पर एक पार्टी के नाते आप जो कुछ कभी लिखते हैं उससे मैं इत्तफाक नहीं करता, कांग्रेस सरकार करती है या कांग्रेस जो चाहती है उसका ही आप पूरी तरह से समर्थन करते हैं यह व्यापक नीति नहीं है, आपकी व्यापक नीति होनी चाहिये। पर बाद में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस

Page No 59

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

तरह से लिख देने के कारण मेरी वह शुभ कामना भी उस पत्र में नहीं छपी क्योंकि मैंने कुछ टिप्पणी कर दी थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वह आउट ओन आउट कांग्रेस की पालिसी को मानने वाला अखबार है।

अब यह राजस्थान का दुर्भाग्य है या कि डेमोक्रेसी में ऐसा होता है यह हमें अनुभव कराया जा रहा है कि यहां सरकारों में उथल पुथल होती रहती है। व्यास जी सरकार से अलग हट गये। उनके अलग हटते ही राष्ट्रदूत अखबार के प्रति दूसरी सरकार का रवैया बदल गया, हालां कि यह भी कांग्रेस की सरकार थी, यह भी वही कांग्रेस की सरकार कहलाती है। पार्टी की गुटबन्दी आज जरूर कही जाती है, पर सरकार कांग्रेस की है और यह पत्र भी कांग्रेस का है। पर आज सरकार में एक पार्टीबन्दी होने से, माननीय उपाध्यक्ष जी, क्या होता है कि वही नीति वही गांधी जी का सिद्धान्त को मानने वाले सिवाय इसके कि सरकार को जो भूलें हैं, त्रुटियां हैं उनका भण्डाफोड वह अखबार अवश्य करता है पर पब्लिक की जानकारी सही बात की अवश्य करा देता है, तो अब हुआ यह कि उस अखबार को जहां पहले २५००), ३०००) रुपया माहवार का विज्ञापन सरकार से मिलता था और प्राइवेट भी पांच छ हजार का विज्ञापन मिलता है इस अखबार को तो एका एक हमारे होम सैक्रेटरी साहब एक चिट्ठी लिखते हैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स को, "Government is pleased..."

एक तो अखबार को सजा देती है सरकार और लिखती है प्लीज्ड (pleased); यह तो सरकार का ढंग ही है लिखने का। तो लिखती है :

"Government is pleased to approve temporarily the suggestion made in your letter under reference and to order that for the time being the name of Rashtradoot may be removed from the list of papers approved for Government advertisements."

It may kindly be seen that as a result of this order neither Government advertisements are to be released to Rashtradoot nor the Government departments are to purchase copies of this paper in bulk beyond the date upto which subscription which has already been paid.

यह जनतन्त्रवाद का नमूना है। जिसको एक बार ढाई तीन हजार का विज्ञापन सरकार देती थी उसके साथ यह बर्ताव, विज्ञापन नहीं देना यह तो हुआ ही पर उसकी कापियां भी नहीं खरीदी जावें आगे से। यह कहां का जनतन्त्रवाद ? यह कौनसी नीति है सरकार की ? तो यह तो एक तरफ हाल हुआ हमारे इस राष्ट्रदूत का; अब दूसरे इस पार्टी की सरकार के कृपा-पात्र पत्रों का भी हाल सुनिये। उनके लिये भी कहना चाहूँगा। ये कुछ पत्र हैं जिनको विज्ञापन दिया जा रहा है। मामूली तौर पर विज्ञापन किनको दिया जाता है ? विज्ञापन गवर्नमेंट भेजती है अखबारों को और उसकी रेट

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

वगैरह भी तय होती हैं और इसके बाद में विज्ञापन सरकार देती है, पर ये अखबार हैं नवजीवन उदयपुर, नवयुग जयपुर, १५ अगस्त भीलवाड़ा और एक पत्र और है। इन्होंने यह किया कि कोई विज्ञापन इनको सरकार द्वारा नहीं मिला, दूसरे पत्रों में जो सरकार के विज्ञापन उन्हीं की नकल करके छाप दिया। कोई लिखित आदेश उनको नहीं मिला। उनके पास कोई आर्डर नहीं, पर छाप दिया। इन तीनों पत्रों को पब्लिसिटी महकमे द्वारा कोई आर्डर प्लेस नहीं किया गया। जो दूसरे अखबारों में निकला वही छाप दिया और थोड़े दिन बाद में बिल भी भेज दिया और ताज्जुब तो तब होता है कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने उनका पेमेंट भी कर दिया। जरा आप देखिये सरकार की यह विचित्र पोलिसी। ये तीनों वीकली पत्र हैं और एक दैनिक। अगर यह किस्सा सही है तो मैं सरकार से इसका जवाब चाहूँगा। यह नमूना है कि हमारी यह सरकार कहां तक जा सकती है। जाने की आखिर कोई हद भी हो।

एक माननीय सदस्य—अब भगवान को याद करिये।

(हंसी)

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—हालत जो है वह तो यह है।

अब दूसरी बात विज्ञापन की बचती है। तो कम से कम आप उनसे इस बात की जानकारी करते हो कि किस दर से वे विज्ञापन लेंगे, कितने कालम इंच होगा कितनी जगह होगी, स्प्रेड करेंगे या क्या करेंगे। बाजार से एक पैसे की भी मिट्टी की हांडी खरीदेंगे तो बजा कर देखेंगे कि कहीं फूटी तो नहीं है और जो हम पैसा दे रहे हैं उसकी पूरी कीमत तो ले रहे हैं या नहीं। तो फिर हमारे पत्रों को क्या कारण है कि वगैर शर्त किये ही विज्ञापन दे देते हैं। यह तो अन्धेर नगरी है और "अन्धेर नगरी और चौपट राजा" फिर कभी किस बात की है। तो फिर क्या होता है कि दो तीन इंच के विज्ञापनों को ४-५ इंच में छाप देते हैं, दो दो स्पेस बीच में डाल देते हैं। सरकार की कोई रुकावट नहीं है, और उसी प्रकार हमारे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट बिल का पेमेंट कर देता है। जिस जनतन्त्रवाद की हम मजबूत बुनियाद डाल रहे हैं, उसका नमूना आप देख रहे हैं।

कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रेस नोट में आ सकती हैं, छापी जा सकती हैं। उन प्रेस नोटों को मुफ्त में अखबार वाले छाप सकते हैं। उनको प्रेस नोट में नहीं छपवा कर विज्ञापन के रूप में छपवा कर हजारों रुपये सरकार के बर्बाद किये जाते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक्स पिछले साल तय हुई थीं और सैकड़ों की तादाद में उनका नम्बर था और वह प्रेस नोट के रूप में छाप दी गई थीं और अखबार वालों ने बहुत खुशी से छापा था। उन्हीं किताबों को, जो इस साल दुबारा चेंज नहीं हुई विज्ञापन के रूप में अखबारों को भेज दिया गया, और हजारों रुपये विज्ञापन के रूप में दिये गये। यह तो एक हद हो गई।

जब यहां पर एक सवाल होम मिनिस्टर साहब से पूछा गया था तो 'नवयुग' के मुताल्लिक

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

उन्होंने यह माना था कि 'नवयुग' अभी दैनिक नया शुरू हुआ है, और इतने बड़े-बड़े विज्ञापन, दो-दो हजार और तीन-तीन हजार रुपये माहवार के विज्ञापन उसको दे दिये। यह पत्र और विज्ञापन के सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है। ऐक 'नवजीवन' नाम का साप्ताहिक पत्र है जिसका प्रचार कितना होता है और कितना नहीं होता है, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन कभी-कभी कम्पलीमेंट्री कापी आ जाती है तो देखता हूँ कि उसका टाइप और पेपर इतना अजीब है, इस तरह का है कि आसानी से पढ़ा भी नहीं जा सकता। उसे नीलाम के नोटिस के विज्ञापन हजारों रुपये के भेजे जाते हैं। अब इस पत्र का कितना सर्क्युलेशन है और वाकई यह पत्रों की परिभाषा में आ जाता है, इसका सिर्फ एक मात्र टेस्ट यह है कि उनको ऑडिट ब्यूरो ऑफ सरक्यूलेशन्स लिमिटेड का सदस्य होना पड़ता है। हमारे यहांके ४-५ अखबार जिन पर सरकार की कृपा है, मुझे जानकारी मिली है, अगर गलत हो तो माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि इन ४-५ पेपर्स में से एक भी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्क्युलेशन्स लिमिटेड के नम्बर नहीं हैं। इसलिए तहकीक नहीं कहा जा सकता है कि उनका सर्क्युलेशन कितना है और कितना नहीं, इसलिए वे विज्ञापन के पात्र नहीं बन सकते। दैनिक 'नवजीवन' जो है उसके पेजेज में कमी और बढ़ोतरी सिर्फ इस बात पर होती है कि उसमें विज्ञापन कितने हैं। चार पेज के विज्ञापन होंगे तो वह पेपर चार पेज का है और दो पेज के विज्ञापन होंगे तो वह पत्र दो पेज का निकलेगा, एक पेज का विज्ञापन होगा तो एक पेज का पत्र निकलेगा। इस प्रकार खुल्लमखुल्ला यह कार्यवाही करें तो यह तो एक बहुत ही हद पहुँच जाती है।

अब मैं सिर्फ एक विषय पर और कहूंगा; नहीं, इसी विषय पर कहूँगा लेकिन एक प्वाइन्ट पर और कहूंगा। में देखता हूं कि सरकार किस हद तक हिम्मत कर सकती है, मानो कि अब कि फ्लड-लाइट Eloot-light में, सर्च-लाइट में उनके कार्य हरदम पड़े रहते हैं। जो कार्य लुक कर करें तो भी सर्च लाइट की रोशनी पड़ेगी। वे छिपकर नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत को श्रेय देना पडेगा कि वे उसकी परवाह नहीं करते हैं, देखिये ' नवयुग ' को ७ रुपये पर कॉलम इंच (Per column inch) सरकार देती है। इसे जरा ध्यान से सुनये, बड़ा बारीक प्वॉइन्ट है, यानी अपने विज्ञापन नोटिस ' नवयुग ' को देती है। यही ' नवयुग ' सिनेमा के अब कमर्शियल विज्ञापन हैं। वह लोगों से १० आने से लगाकर २ रुपये तक, जैसा जिसका मेटर होता है उसके माफिक चार्ज करते हैं। उसका रेट १० आने से लेकर २ रुपये मेग्ज़ीमम तक पर इंच कालम (Per inch column) है और जैसा जिसका स्वरूप होता है उसके मुआफिक ' नवयुग ' चार्ज करता है जनता से सिनेमा व कमर्शियल एडवरटाईजमेंट के लिए, लेकिन हमारी सरकार इतनी उदार है, क्यों न उदार हो यदि उनकी अपनी पाकेट से जाता हो तो वे १० दफा सोचेंगे, लेकिन यहां जनता का पैसा है और जनता की ही सरकार है जवाब देने की जरूरत नहीं है, कि जिसके १० आना फी इंच कॉलम पब्लिक देती है उसी विज्ञापन के ७ रुपये पर इंच कामल हमारी सरकार देती है, हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट देता है। (शेम, शेम) यह हमारे ' नवयुग ' का जो रेट कार्ड है उसके माफिक जानकारी यह है कि फौज और युनिवर्सिटी के जो विज्ञापन दिये जाते है उनकी रेट १० आने से ३ रू २ आने तक है पर इंच कालम। युनिवर्सिटी और आर्मी के लिये जो रेट्स हैं उनके रेट कार्ड में जो छपे हुए हैं वह १० आने

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

से लगाकर ३ रू २ आने तक के हैं, लेकिन हमारी सरकार ७ रुपये पर इंच कालम देती है।

अब अंत की बात में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि रेट कार्ड जो 'नवयुग' का है उसके मुआफिक मुझे ऐसा सुनने में आया है कि इस पत्र की कीमत सालाना २४ रु० है। २४ रुपये इस पत्र की सालाना कीमत है। 'राष्ट्रदूत' पढ़कर सुनते थे उसको बन्द करके जितने के हाईस्कूल्स और मिडिल स्कूल्स हैं, जिनका सैंकड़ों की तादाद में नम्बर जाता है, उनको यह आदेश हुआ है हमारे इन्सपेक्टर साहब, एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि ३० रु. सालाना के हिसाब से सैंकड़ों कॉपी खरीदो। ज़रा ध्यान से सुनिये। २४ रु. बाजार में सालाना जिसकी कीमत है उसको ३० रुपये सालाना की दर से सैंकड़ों बल्कि में बिना देखे भाले खरीदकर स्कूलों में बाटों, हाई स्कूल्स में और मिडिल स्कूल्स में। कोई महरबानी की हद होनी चाहिए। अब मैं इन्सपेक्टर साहब की चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूं। यह तो हमारे विरोधी पक्ष का कार्य बन गया है कि गवर्नमेंट के रेकॉर्ड की असली कापी तो हम रखते हैं और फोटो स्टेट कॉपी निकलवाकर सरकार के ध्यान में लाते हैं। इन्सपेक्टर साहब उनको लिखते हैं

आपको लिखने में आता है कि आप 'नवयुग' पत्र इस इन्सपेक्टोरेट के समस्त हाई और मिडिल स्कूल में अगस्त १६५५ से नियमानुसार भेजते रहें। जिन स्कूलों में भेजा करें वहीं से इसके दाम चुकाये जायेंगे। इसकी सूचना स्कूलों में भेज दी गई हैं।"

"प्रतिलिपि प्रधानाध्यापक गण समस्त हाई स्कूल और मिडिल स्कूल्स के पास भेज कर लिखा जाता है कि नवयुग अखबार का चन्दा ३०) रु० सालाना है, इसका पेमेन्ट अपने स्कूल के लाइब्रेरी फंड से करते रहें।

जब कि २४) रुपये बाजार में कॉपी मिलती है तो ३०) रु० में खरीदने के ऑथोरिटी आर्डर्स हैं, इन्सपेक्टर साहब लिखते हैं।

तो यह बातें हैं। मैं देखता हूँ कि मैंने दो घंटे ले लिये, जब कि इरादा कम ही का था। अन्त में अपने व्याख्यान को खत्म करते हुए निवेदन करूंगा कि जो कुछ बातें मैंने कहीं हैं, मैं नही समझ सकता कि सरकार उनका कहां तक जवाब देगी लेकिन हमारी सरकार के कुछ पुराने मन्त्रियों, कांग्रेस मन्त्रियों, ने खुद के अनुभव से हमें जानकारी दिलाई है। इस सदन में बहुत कुछ बातें सुनाई और उसका जवाब भी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने शब्दों में दिया बहुत सुन्दर, शीलता और सभ्यता के साथ जवाब दिया। हमें बड़ी अच्छी अच्छी और सुन्दर बातें सुनने में आई। हम स्कूलों में पढते थे तब मिडिल एजेज़ की 'मिस्ट्रीज ऑफ कोर्ट्स ऑफ लन्दन' के उपन्यास की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुना करते थे। उससे भी ज्यादा सुन्दर शब्दों में खुद के अनुभव पर निर्धारित कि राजस्थान सरकार में क्या क्या बातें होती हैं, वह हमें यहां सुनने को मिली हैं भूतपूर्व मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रियों द्वारा- तो जरूरी है कि वे सही होंगी, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव से ये बातें कही हैं।

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

मैं आशा करता हूं कि १०-२० वर्ष के बाद कांग्रेस सरकार नहीं रहेगी या इसका प्रभाव कम होगा 'तब मिस्ट्रीज ऑफ कोर्ट ऑफ कांग्रेस' हमारे मित्र छापेंगे और मैं आशा करता हूं कि वह इतनी दिलचस्प होगी और इतनी उनकी बिक्री होगी कि वाकई कांग्रेस अपना पूर्ण कर्तव्य कर चुकेगी। मैं आशा करता हूँ यह जल्दी ही हमारे सामने आयेगी। इन शब्दों के साथ मैं सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ, उपाध्यक्ष जी, जिन्होंने मुझे बोलने का इतना समय दिया और लीनियेन्सी दिखाई।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, ५६-५७ का बजट माननीय वित्त मन्त्रीजी ने सदन में प्रस्तुत किया मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ और यह बधाई खास तौर से इस बात को देखते हुए कि इन्होंने इस बजट को काफी घाटे का बताते हुए भी कोई कर न लगाने का आश्वासन दिया है। इसका स्वागत मैं ही नहीं कर रहा हूँ बल्कि एक तरह से कुदरत ने भी इसका स्वागत किया है। जब कि सदन में वे अपना भाषण पढ़ रहे थे ठीक उसी समय वर्षा शुरू हुई........

कु० श्री जसवन्तसिंह—(हियर हियर) इस वर्षा से फसल को नुकसान ही होने वाला है।

श्री चांदमल मेहता—राजस्थान की जनता जो करों से दबी हुई है इसी कारण से कर नहीं लगाने पर वर्षा ने स्वागत किया था। इसी तरह से आगे भी वर्षा होकर फसल फलेगी-फूलेगी और लोगों का घाटा पूरा करेगी। वर्षा के साथ ही आंधी भी आई। उसने आगाह किया कि वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में आगे जाकर कहा है कि आवश्यकता यदि पड़ी तो आगे जाकर कर लगायेंगे। इसलिए आंधी ने यह सूचना दी कि यदि वित्त मन्त्रीजी ने कर लगाने का विचार किया तो इसी तरह से आंधी आयगी, तूफान आयगा और राजस्थान की जनता कर लगाना बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसलिये मैं वित्त मन्त्री जी से नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आगे भी कर लगाने की बात को दिमाग से निकाल दें।

मैंने इस बजट को जो एक बडा पोथा है ज्योंही खोल कर देखा और पेज ५६ पर आया तो मेरी यह भावना दृढ़ हुई कि इस सारे पोथे को पढ़ना बेकार है क्योंकि इसमें जो आंकड़े दिये गये हैं वे विश्वास के काबिल नहीं है, यही भावना मेरी बनी। मैं इसे आदि से अन्त तक पढने की कोशिश करता लेकिन इसमें मन्त्रीजी के बजट भाषण ने ताईद कर दी तो आगे पढ़ने में थोड़ी निराशा हुई। मैं पहले पेज की पहली लाइन कहूं तो बेजा नहीं होगा। जहां राजस्व और राजस्व व्यय बताया गया है वहां ५४-५५ के फिगर्स दिये गये हैं २० करोड ६४ लाख के। उनको मैंने कम्पेअर किया मंत्रीजी के बजट भाषण से, जो इसमें दिया गया है, तो उसके बारे में जो कुछ मुझे मिला वह पेज २६ पर था। मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ऐसी मोटी बात का भी बजट में ध्यान

[श्री चांदमल मेहता]

नहीं दिया जाता है तो हम कैसे विश्वास करें कि जो आंकड़े सदन के सामने रखे गये हैं या जो महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए रखे जाते हैं उन्हें हम कहां तक सही मान कर उन पर स्वीकृति दें, बल्कि मैं एक बार बजट भाषण को सरसरी तौर से पढता चला गया तो पेज ८ पर मुझे एक बात मिली। पेज ८ पर कृषि के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए माननीय वित्त मन्त्री जी कहते हैं कि खरीफ की फसल और आलुओं के लिये क्रम से ८०० और ६८०मन बीज वितरित किया गया है। मैं समझ नहीं पाया कि क्या राजस्थान में बीज वितरण के लिए खरीफ की फसल और आलू ही हैं और क्या और चीजों के बीज वितरण की जरूरत नहीं थी? क्या हमारा कृषि विभाग इतना पिछड़ा हुआ है? मैं समय समय पर विधान सभा को प्रश्नों द्वारा जानकारी देता रहता हूँ और यह भी कहता रहता हूँ कि सरकार जानकारी ठीक तरह से नहीं देती और कभी कभी जो जानकारी दी जाती है उससे असमंजस में पड़ना पड़ता है कि कौनसी जानकारी ठीक है। पहले दी गई वह या बाद में दी गई वह। मैंने एक प्रश्न सदन में इसी सत्र में पूछा था। ८ तारीख को उस प्रश्न में यह पूछा था कि ५५-५६ के वित्तीय वर्ष में कितना कितना बीज वितरण हुआ वह सूची में दर्ज है। उसमें बताया गया है कि आलू १६८४ मन वितरित हुआ जहां आप बताते हैं, ६८० मन बताया जाता है और जहां दूसरे बीज की तादाद देखेंगे तो लाखों मन पर पहुँचती है, जहां वे केवल ८०० मन बताते हैं। मैं असमंजस में हूँ कि मन्त्रीजी आंकड़े देते है, बजट पेश करते हैं क्या वह केवल मखोल है? इस पर क्या राय बनाई जाय या सूचना समझी जाय? तो मैं नम्रता से वित्त मंत्रीजी से और मुख्य मन्त्री जी से कहूँगा कि बजट एक महत्वपूर्ण विषय है। उस पर बगैर सावधानी बरते और बगैर सोचे समझे इसे हमारे सामने नहीं लाना चाहिये। इसके बाद मैं बजट की कुछ मुख्य मुख्य बातों पर आता हूँ।

इस बजट को सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। वह इस दृष्टि से कि प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और द्वितीय पंच वर्षीय योजना चालू होने वाली है। और द्वितीय योजना की चर्चा इसमें है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य किया गया इसकी चर्चा है। जहां तक प्रथम योजना में जो कार्य हुआ उस बारे में और जितना खर्च हुआ उस बारे में मंत्रीजी स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितने रुपये रखे थे उतने खर्च नहीं कर पाये और उससे कम हुए हैं। मैं कहूंगा कि होना यह चाहिए था कि यदि कोई योजना बनाते हैं और उसके लिए जितने रुपये रखे जाते हैं उतने सब के सब खर्च कर डालने चाहिए बल्कि यदि बन सके तो और अधिक रुपये मांगे और इससे अधिक रुपयों को राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त के निर्माण में लगा दें, लेकिन योजना के लिए जितने रुपये स्वीकृत हुए थे उतने रुपयों को भी खर्च नहीं करना अनुचित बात हुई। मंत्रीजी ने यह कहा कि आखिरी वर्ष में सबसे अधिक खर्चा किया गया और इस नाते बहुत बड़ी प्रगति की है तो इस आखिरी वर्ष के खर्चे पर खास तौर से जहां निगाह पहुँचती है मैंने गहराई से देखा है और यह जानने की कोशिश की है कि आया यह कहना काफी है कि काफी खर्चा किया गया है या इसका उपयोग किया है तो इस नतीजे पर पहुंचा कि जब सरकार को खर्चा करना होता है चाहे किसी भी विषय में तो जब वर्ष खत्म होने को होता है

[श्री चांदमल मेहता]

उस समय खर्चा करते हैं इससे एक फायदा और भी होता है वह यह कि उस पर से कानून की पाबन्दी उठ जाती है और यह कहने को मौका मिल जाता है कि आखिर हमें खर्च तो करना ही था। यदि नहीं करते तो रकम लेप्स होती जैसा कि अभी दवाइयों के सिलसिले में कहा गया कि वक्त इतना कम था कि हमें टेन्डर मांगने का समय नहीं मिला। इससे अनियमितता करने का रास्ता खुल जाता है। चाहे पूरे वर्ष तक यों ही बैठे रहें। आखिरी वर्ष में जो काम हुआ उसमें जो खर्चा होना था वह तो हुआ ही लेकिन जो रुपये खर्च हुए उनसे सही माने में कितना उपयोग हुआ, यह देखने की बात है। यह कहना पड़ेगा कि जहां तक मेरी आत्मा कहती है और जहां तक मैं स्टेडी कर पाया हूँ मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जितना रुपया खर्चा हुआ उसका एक तिहाई तो सही माने में खर्च हुआ और दो तिहाई तो बरबाद हुआ है। अगर इस तरह से बहुत बड़ा पैसा इस तरह से बर्बाद हो जाता है तो राजस्थान की क्या हालत होगी? राजस्थान एक बहुत गरीब मुल्क है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अन्तिम वर्ष में काफी खर्च किया गया मगर उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। अब यह कहा जाता है कि यह कल्पना की बात है, विचार की बात है। हमने वास्तव में खर्च किया और ठीक तरीके से खर्च किया है। जब समय आएगा तो इसके लिए आंकड़े दे दिये जावेंगे। इसके बारे में मैंने कहा कि आंकड़े बजट में और श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में मिलते हैं, जो मिलने नहीं चाहिए। जो आंकड़े मिलते हैं देखने के लिये, उसको मानने के लिए दिल नहीं मानता कि वे सही हैं। इसके लिये जांच की जावे कि वास्तव में कितना रुपया खर्च हुआ और जितना रुपया खर्च हुआ उसका उपयोग हुआ और उसके बाद कोई फैसला करें तो वह सही कहा जा सकता है।

मैंने जहां तक अपने दिल को फैसला करने की बात थी, मैं कुछ मामलों की गहराई में गया और जो कुछ मुझे मालूम हुआ उसके आधार पर कहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं साफ कहना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में सरकार की आलोचना करने की बात नहीं रहती है। आज कांग्रेस का राज्य है। कांग्रेस सत्य और अहिंसा की प्रतीक है और कांग्रेस में सत्य और अहिंसा कूट कूट कर भरी हुई होनी चाहिये। कांग्रेस के राज्य में कोई ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिये कि कांग्रेस का काम गड़बड़ काम होता है। मुझे कांग्रेस के एक सिपाही के नाते, जब मैं इस प्रकार की बातें सुनता हूँ तो बहुत दुख होता है और मैं यह चाहता हूं कि हमारी सरकार में इस प्रकार की गड़बड़ियें नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरह की कोई बात हमारे सामने आए तो हमारा यह फर्ज है कि हम उसे निस्संकोच हमारी सरकार के सामने रखें। जब मैं इस प्रकार कहता हूँ तो लोगों को थोड़ा बहुत ताज्जुब होता है लेकिन मैं समझता हूं कि यह मेरा फर्ज है और मुझे उनके ध्यान में लाना चाहिये मैं निवेदन कर रहा था कि मैं उन योजनाओं पर जो खर्च हो रहा था और हुआ उसका क्या उपयोग हुआ इस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा खर्च इन योजनाओं पर हुआ। २.४ करोड़ का खर्च हुआ, उन पर मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। इसके लिये सिंचाई विभाग को ले लीजिये। यह ऐसा विभाग है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पैसा खर्च हुआ है और इसमें जितना खर्च हुआ उसका कुछ अंश खर्च करने का मौका किशनगढ़ में भी मिला है।

[श्री चांदमल मेहता]

पानी के लिये प्रबन्ध योजना में करीब ८, १० लाख रुपया करीब खर्च हुआ। जहां जहां काम हुआ वहां पर प्रत्येक जगह पर मैं गया हूं। कोई काम ऐसा नहीं जहां मैं नहीं गया और कोई काम ऐसा नहीं जिसके बारे में मैंने प्रश्न नहीं पूछा होगा। मगर जो प्रश्न मैंने पूछे उनके जबाब सरकार ने देते समय बड़ी होशियारी के साथ उन अधिकारियों की वकालत की, जिन्होंने गड़बड़ियें की। मुझे बड़ा दुःख होता है जब में उत्तर सुनता हूं कि हमारी सरकार के आज मंत्रीगण जबाब देते समय उन लोगों का पक्षपात करते हैं और उनकी पीठ थपकारते हैं और असली बात को छुपाते हैं। क्या आप इसी असूलों पर यह चाहते हैं कि आपकी द्वितीय पंच वर्षीय योजना फले फूले ? मैंने जो काम किये गये उनको देख कर संतोष नहीं हुआ और मैंने उनको चेलेंज किया और मेरी आत्मा को दुःख होता है जब मुझे इस तरह के जिम्मेदार अधिकारियों से सवालों के जवाब सुनने को मिलते हैं। मैं यह जो कुछ कह रहा हूँ इससे हमारे मंत्रीगण राजी होते हैं या नाराज होते हैं मुझे इस बात की चिन्ता नहीं मगर जिन गलत जबाबों को मैं चेलेंज करता हूं फिर भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। यह मैंने थोड़ा सा किशनगढ़ के तालाबों की बात बताई और हर बात के लिये आदमी मौजूद हैं। अगर आज भी निष्पक्ष जांच की जावे या इसके लिये कोई कमेटी बिठाई जावे तो आपको मालूम होगा कि जितना रुपया खर्च किया गया है उसका १।३ खर्च हुआ है और २।३ खर्च नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये लोग चालाकी से से काम करते हैं। काम जो किया जाता है इस ढंग से किया जाता है वह जिससे अगर जांच कराई जाए तो जांच नहीं हो और उसका क्या जरिया है मैं बताऊंगा कि यह चालाकी किस तरह से होती है। जैसे कोई काम शुरू किया गया तो उसको वर्ष के अंत में शुरू किया और सिंचाई का काम किया गया तो वह वर्षा शुरू होनी वाली है उस समय शुरू किया गया और वह काम ऐसे समय में शुरू किया जाता है कि अगर कोई काम की जांच करना चाहें तो उसकी जांच भी नहीं कर सकता अरो उसी समय कह दिया जाता है कि तालाब की मरम्मत कर रहे थे। अब तालाब में पानी भर गया है। इसकी जांच कैसे हो सकती है कि कितना काम किया गया। क्या इस विभाग ने ईमानदारी से काम किया। मैं समझता हूँ कि में इतना लड़ने वाला आदमी होते हुए भी हमारे यहां के काम की यह हालत है तो दूसरी जगह की तो क्या हालत होगी। मैं समझता हूँ कि १।३ रुपया खर्च होता है और दो तिहाई रुपया खर्च नहीं होता। इसके अलावा मुझे और भी कई बातें कहनी हैं।

जल बोर्ड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से इस पर रुपया बरबाद हुआ है। सरकार ने यह कहा कि पीने के पानी पर बहुत ज्यादा रुपया खर्च किया गया। इससे अधिक प्रसन्नता की कोई बात नहीं हो सकती कि राजस्थान जैसे देश के लिये पानी की व्यवस्था करे और इसके लिये सरकार इन्तजाम करे। इससे अधिक खुशी की बात और नहीं हो सकती लेकिन चालू वर्ष में जो रुपया खर्च किया गया और रकम बताई गई है वह भी तसल्ली के बाद, मैं समझता हूं कि यह भी ठीक नहीं है।

मैं इस विषय पर आ रहा हूं। चूंकि पहले इस सम्बन्ध में शिकायत की गई कि किशनगढ़

[श्री चांदमल मेहता]

के साथ इस मामले में न्याय नहीं बरता गया। इसके अलावा रूपनगर आदि में ऐसे कई गांव है जहां पानी की बड़ी तकलीफ रहती है उसमें किस तरह पक्षपात चला है उसके लिये तो मैं बाद में कहूंगा लेकिन मैं एक बात बता देना चहता हूँ विजलबोर्ड के बारे में १।३ गांववाले दें और २।३ सरकार मदद देगी। लेकिन अगर इनकी गहराई में जावें तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में हुआ क्या। मैं इसकी गहराई में गया तो इस नतीजे पर पहुँचा कि १।३ रुपया गांव वालों की तरफ से इक्ठा नहीं किया गया और २/३ रुपया सरकार से ले लिया गया और उसमें से कुछ रुपया खर्च करके बाकी का बचा कर कांग्रेस के कार्यकताओं ने अपनी जेब में रख लिया। यह अनुभव मुझे मिला। मैं एक जावली गांव में गया जहां रुपया मिला था। उसका १।३ रुपया देने का जहां तक ताल्लुक था कोई प्रश्न नहीं हुआ क्यों कि वहां पर बहुत होशियार आदमी रहते हैं। उन्हों ने इस तरह से इन्तजाम किया कि पहले पता लगाया कि मजदूरों की रेट क्या है उनको पता लगा कि ८ या१० आना प्रति आदमी की रेट है। उन्होंने एक आदमी की मजदूरी २।।) लगादी और थोड़ा सा काम किया और बाकी का रुपया गायब। जल बोर्ड के लिये जितना रुपया दिया गया यह सारा का सारा बरबाद गया। अगर इसके लिये आज भी कोई जांच करे तो आपको मालूम होगा कि जो रुपया जल बोर्ड के लिये दिया गया था उसका पूरा उपयोग नहीं हुआ समझ में नहीं आता कि आखिरकार आप कर क्या रहे हैं? आप आंकडे बता देते हैं कि यह कार्य किया गया और वह किया गया। लेकिन मेरे ध्यान में यह आया कि यह एक ऐसी योजना है कि जिसके कार्यकाल में आप अपने सगे सम्बन्धियों, चाचा, मामा, काका, ताऊ भाई, भतीजे को काम पर लगा रहे हैं आपने ऐसी योजना बनादी है कि आगे जाकर उन सबको काम मिलेगा और बेकार का उनके लिये मौका न आ सके इस तरह की योजना कार्यान्वित हुई और इसी लिये समय समय पर इधर से उधर अधिकारियों के तबादले आदि हुए हैं। वह अपने चाचा, भाई, भतीजों को फायदा पहुंचाने के लिये। मैं यह कहूंगा कि इसके लिये एक कमेटी बनाई जावे जो इसकी जांच करे कि किस किसने अपने चाचा, भाई, भतीजे आदि को कहां कहां लगाया तो आपको पता लगेगा। इसके लिये में अलग कहूंगा। इस योजना के बारे में मैंने अपको बताया।

एक माननिय सदस्य— आप एक आध का नाम तो बतावें कि किसके चाचा और भाई आदि हैं।

श्री चांदमल मेहता— मैं इस पर अभी चर्चा करना नहीं चाहता। कट मोशन इसके लिये अलग लाऊंगा। अगर यही हाल द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रहा तो यह कहना पडेगा कि योजना बनाने से ही कार्य नहीं हो सकता। योजना बना कर उसको कार्यान्वित कहने के लिये हम सब जबाबदार हैं। मेरे खयाल से सदन से एक इस के लिये आवाज उठाई जावे और में यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तरगत जितना रुपया खर्च हुआ उसके लिये माननिय चीफ मिनिस्टर द्वारा एक जांच कमेटी विधान सभा के सदस्यों की बिठलाई जावे और वह कमेटी अपनी जांच करके अपनी रिपोट दे कि कितना रुपया गरबाद हुआ और उसक क्या कारण है और

[श्री चांदमल मेहता]

अपने रिश्तेदारों आदि पर कितना रुपया खर्च किया गया। मैं समझता हूँ कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने की कोशिश करेगी।

हो सकता है कि सरकार के दिमाग में यह बात आयी हो कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी मौजूद है वह इसको देख लेगी और मैंने अपने दिमाग में यह बात सोच ही रखी थी कि यही जवाब देने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये डिटेल्स की बातें हैं और सारी बातों को जानने के लिए, उस पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के पास पहले से काफी काम हो सकता है; यही काम उचित होगा और जल्दी का काम होगा क्योंकि हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के कामों को शुरू करने वाले हैं। अतः यह घोषणा की जाय कि इसी सेशन में विधान सभा के कुछ माननीय सदस्यों की एक समिति बनायी जाय जो इन सब बातों की डिटेल्स में जांच करे और अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अगर समिति बनायी बनाई गई और उस पर चला गया तो इस सम्बन्ध में कई राज खुलेंगे कि कितनी बरबादी हुई है और आगे के लिए इससे मार्ग-दर्शन मिलेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में और वह सफल बनायी जा सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारे भाषण को जहां जहाँ योजनाओं की चर्चा की गई है देखा तो मेरे दिमाग में कई तरह की बातें आने लगीं। कई बातें आने लगीं कि लिखने को तो हम लिख देते हैं लेकिन होता क्या है और हुआ क्या है। इस पर हमने क्या कभी सोचा है और सही माने में अपनी गलती मंजूर करें कि हम नहीं कर पाये तो मैं समझता हूँ कि आत्मा को इससे बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और आगे काम करने के लिए ज्यादा गुंजायश होगी, ज्यादा सहूलियत होगी। मैं चाहूँगा कि जो कुछ भी इन वर्षों में कमी रही है, काम नहीं हो सके हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कमी रही है उसको स्वीकार किया जाय कि वास्तव में ये ये कमियां रहीं हैं और आगे के लिए रास्ता बनाया जाय। जिन जिन विभागों में कमी रही है उनको देखा जाय। जब बोर्ड, सिंचाई के विषय में काफी चर्चायें होती रही हैं, काफी प्रश्न भी पूछे गये हैं। मैं इस विषय में आपके सामने विस्तृत रूप से बातें रखना चाहता हूँ।

सिंचाई विभाग के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना एक खास दिमाग रखता हूं कि एड़ी से चोटी तक लेकर अधिकारियों का कामों में साझा होता है। जांच करवायी, अफसर मुकर्रर किये, लेकिन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। जब यहां विधान सभा में प्रश्न उठे तो मैंने जांच के लिए निवेदन किया तो जांच करवायी गई उन्हीं विभागीय अधिकारियों द्वारा, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। मैं दूसरी गड़बड़ियों की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सिंचाई विभाग के बारे में या योजनाओं के बारे में यह कहा जाय कि सरकार काफी योजनायें बना रही है, सिंचाई विभाग में काम हुआ है और हो रहा है। सिंचाई विभाग में जो योजनायें बने वे नये कामों को बढ़ाने के लिये बननी चाहिए। मैं आपको किशनगढ़ सब-डिविजन के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि किशनगढ़ के महाराजा ने जो कि कहना चाहिए

[श्री चांदनल मेहता]

कि किशनगढ़ के जो जो महाराजा हुए उन्होंने यह महसूस किया कि राजस्थान में कोई खास चीज है तो वह पानी है और उसके सिवाय कुछ नहीं। एक एक बूंद पानी इकट्ठा करने की कोशिश की। किशनगढ़, सरवाड़ और अरांई, इन तीन तहसीलों में ही ६०० वर्ग मील में ४० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है तालाबों के जरिये से। मैं यह कह सकता हूँ कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट खोले जा रहे हैं, नहरें बनायी जा रही हैं, अगर हम इनको अलग निकाल दें तब भी हमें यह मानना पड़ेगा कि किशनगढ़ तीन तहसीलों में सबसे ज्यादा तालाब बने हुए हैं जिनका सरकारी रेकर्ड में इन्द्राज है ११८। किशनगढ़ के तालाबों के विषय में बार बार कहा गया कि तालाबों की मरम्मत आवश्यक है तो राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने यह कहा कि एक एक साल में बारी बारी से कर दिये जावेंगे लेकिन इस आश्वासन के सुनने पश्चात भी हालत यह है कि शायद अगले १०, १५ साल में सब बन्द न हो जॉय। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दो साल पहले माननीय पालीवालजी जो इस विभाग के इन्चार्ज थे उनके सामने मैंने यह प्रश्न उठाया था कि किशनगढ़ के तालाबों की हालत खराब है और उनको ठीक करना जरूरी है तो उन्होने आश्वासन दिलाया था कि इस वर्ष के अन्त तक ठीक कर दिये जावेंगे। लेकिन वे आश्वासन रद्दी की टोकरी में डाल दिये गये।

गये साल बजट की लिस्ट नं० ३ कन्सस्ट्रक्शन में नये कामों का उल्लेख था किशनगढ़ में १२ लाख का प्रोविजन था और १२ लाख का खर्चा करने के लिये मैंने कई दफा कहा! मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सिंचाई विभाग की योजनायें बनती रहती हैं लेकिन कार्यान्वित पूरी होती नहीं है। जो तालाब मरम्मत करने के थे उनके बारे पूछा था तो बताया गया था कि ८८ तालाब मरम्मत कराये गये लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही प्रश्न पूछा था तो कहा गया कि ४३ तालाब ही मरम्मत कराये गये और इस तरह से ४५ बगैर मरम्मत कराये ही बताया गया। माननीय मन्त्री महोदय से पूछा गया तो कहा कि पहले की लिस्ट गलत बन गई। किसी तरह सरकार सोचती है और किस तरह से सोचने का तरीका है? जहां जमाना यह है कि प्रान्तों का पुनर्निर्माण करना है, सिंचाई के साधनों को बढ़ाना है लेकिन हो यह रहा है कि किशनगढ़ स्टेट में जहां सिंचाई के साधन कायम थे उनको ठीक करने के लिए भी आश्वासन नहीं देते और देते हैं तो वे आश्वासन रद्दी की टोकरी में फैंक दिये जाते हैं। कुछ काम हुए हैं उनको मैंने देखा है। जहां तालाबों पर मिट्टी डाली गई है उनको भी मैंने देखा है। जब मिट्टी पड़ती है तो उसकी चौकडियां खोदी जाती हैं। चौकड़ियों के मामलों में सिंचाई विभाग के आदमी इतने होशियार है कि अच्छे आदमियों की चौकडियां भुला देते हैं। आज से तीन साल पहले जो चौकडियां बनी उनका नाप ले लेते हैं, पांच साल पहले बनी उसका नाप ले लेते हैं और नाप नहीं लेसके तो कह देते हैं कि उनमें पानी भर गया। यह भी कहा गया कि ३३ परसेंट से अधिक खर्च नहीं हुआ। मैं यह कहूँगा कि माननीय सिंचाई मन्त्री ने कभी उनको जाकर भी देखा है। बद्रीप्रसादजी जब सार्वजनिक निर्माण मन्त्री थे तो जहां जहां की शिकायतें थीं वे खुद वहां जाने को तैयार थे। सार्वजनिक निर्माण के सम्बन्ध में जब शिकायतें की गई तो उन्होंने विधान सभा में भी कहा था कि जहां से जाना चाहें, जाने के लिए तैयार हूँ और उसका नतीजा यह हुआ कि कम से कम किशनगढ़ सब

[श्री चांदमल मेहता]

डिवीजन में तो अधिकारियों की अकल टिकाने आगई । सिंचाई विभाग में शिकायत करें, दूसरे अधिकारियों से जांच करायें या माननीय मन्त्री महोदय खुद जांच करें तो पता लग सकता है ।

दूसरी बड़ी जो सिंचाई विभाग में गड़बड़ी है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । सिंचाई विभाग के आदमी जहां सिंचाई होती है वहां मौजूद नहीं रहते हैं । जब फसल को पानी पिलाने का मौका आता है तो कहीं चले जाते हैं और कहते हैं कि हुक्म नहीं है । फसल जलने लगती है, किसान यह सोचता है कि क्या करें, राजस्थान सरकार के बड़े अधिकारियों के पास पहुंचे तब भी लाभ क्या होगा, १००-५० रुपये अधिकारियों को वहां देकर पानी पिलाते हैं । फसल को पानी पिलाने के लिए बिना पैसा दिए मोरियां नहीं खोलते हैं । किशनगढ़ स्टेट के वक्त में यह किया जाता था कि पानी का पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिए । पहली काश्त हो जाती है तो फिर बैड काश्त होने लगती है । लेकिन अब क्या होता है कि पहली काश्त का मौका नहीं देंगे और बड काश्त भी नहीं होने देंगे । हजारों बीघा जमीन ऐसी हैं जहां तालाबों को पानी से खाली नहीं करने से पड़ी रही और उससे काश्तकारों को बैड काश्त नहीं होने से नुकसान रहा ।

सिंचाई की रेट सरवाड़ तहसील में प्रतिपाण है । एक बार पिलाये तो उतना और दो बार पिलाये तो उतना । होता यह है कि कोई आदमी फसल को पानी पिलाने के वक्त मौजूद नहीं रहता है । मोरियां टाइम नही खुलता नहीं । सिंचाई विभाग की हालत को देखता हूँ तो मेरा खून जलता है । बार बार ये चीजें रखने पर भी इन चीजों का खात्मा नहीं होता । यह बोलने का आखिरी मौका है, आगे मौका नही हैं, आखिरी बजट सेशन है, आगे क्या होगा, अभी कह नहीं सकते । माननीय मंत्री महोदय यह मौका देदें ताकि बोलने की गुन्जायश न रहे और सिंचाई विभाग में जो गड़बड़ी है वह खत्म हो जाये ।

एक खास बात हैं, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वादविवाद के वक्त कहा था और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री ने सीरियसली पूछा था कि उस आदमी का नाम बतावें ।

और मैं सोच रहा था कि मुझे इसके बारे में जवाब मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उस बात का जिक्र तक नही किया । मैं आज इसको फिर एक मर्तबा जो सचाई है उसको ध्यान में लाना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में क्या क्या गड़बड़ियां हैं । मुहाफिजों का फिक्सेशन किया जा रहा था उसमें यह तय किया गया कि इन्हें सन् ५० से ग्रेड दी जायगी । सन् ५० से अगर इनको ग्रेड दिया जाता तो एक एक मुहाफिज को १८०० से लेकर २५०० तक रुपया मिलता । लेकिन बिचारे मुहाफिजों को आखिरकार सिंचाई विभाग के अधिकारी इतना रुपया कैसे हजम कर जाने देते, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों को इसमें बन्दर बाट में हिस्सा नहीं मिला तो क्या हुआ, इन मुहाफिजों का इम्तहान लिया गया जिसमें ३०० मुहाफिज इम्तहान में बैठे जिसमें से २५ को पास किया गया । उसके बाद जब बाकी को फेल किया गया

[श्री चांदमल मेहता]

तो उनमें से बेचारों ने १०० रुपया और खर्च किया और ५० मुहाफिजों को फिर यह चान्स मिला। विधान सभा का जब सेशन चल रहा था उस समय मेरे पास वह सारी लिस्ट पहुँच गई जिनमें से २५ को पास कर दिया था उनमें ऐसे आदमी भी हैं जिनको पढ़ना लिखना तक नहीं आता। जो परचे उनको दिये गये अगर उनसे पढ़ायें जायें तो वे पढ़ नहीं सकते, समझना तो दूर रहा। मैं ने उस समय ऐसे व्यक्तियों के नाम लेना ठीक नही समझा। मैंने भाषण के पश्चात् तुरन्त वे नाम मुख्य मन्त्री महोदय को दे दिये लेकिन उसका कुछ जवाब नहीं दिया गया। अब मुझे उस व्यक्ति का नाम बताना ही पड़ेगा वह व्यक्ति हैं ज्ञानसिंह, गंगापुर में है जो लिखना नहीं जानते जो परचे पढ़ नहीं सकते उनको पास किया गया। ऐसे ऐसे आदमियों को जिनको एक एक सब्जेक्ट में १४५ कुल नम्बरों से पास किया और किसी को १६५ में पास किया गया है। ऐसा चान्स हुआ कि उनकी सारी लिस्ट मेरे पास आ गई थी। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि क्या ही अच्छा हो कि इस सम्बन्धी सारे कागजातों की जांच का कार्य अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिया जाय। उनको चाहिए कि वे कॉपियां पहले कब्जे में कर लें और फिर देखें कि किस किस प्रकार की धांधली सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में की है। मेरा विश्वास है कि अगर यह काम उनको सौंपा गया तो सिंचाई विभाग की धांधली सामने आ जायगी! पहले उनको सारी कॉपियों को हथिया कर कब्जा करना होगा कि फिर मुहाफिजों का इन्टरव्यू लें और उसी आधार पर फैसला करें और फिर उन अधिकारियों को सजा दें जिन्होंने कि इस प्रकार की गड़बड़ियां की। साथ ही मैं यह भी निवेदन कर देना आवश्यक समझता हूँ कि जब तक यह सवाल मैं ने असेम्बली में नहीं उठाया तब तक तो मुहाफिज १०० रुपया देकर बन सकते थे किन्तु जब मैंने इस बारे में असेम्बली में कह दिया है तो अब उन बाकी के लोगों के लिए रास्ता ही रास्ता ही बन्द हो गया अगर मेरे कहने के मुताबिक यदि निष्पक्षता से इसकी जांच की जायगी तो आप ठीक नतीजे पर पहुँच सकेंगे।

अब मैं एक दूसरी बात जिसके लिये खास तौर से मैं कहना चाहता हूं जिस समाजवादी समाज की रचना का जिक्र श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में किया उसी प्रकार हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो पहली बात कही वह भी वही समाजवादी समाज की रचना की बात है। यह बड़ी खुशी की बात है जब इस बात की चर्चा की जाती है, लेकिन जब हम इस ओर क्या प्रगति कर रहे हैं इस बात को सोचते हैं तो हमें आश्चर्य और दुख होता है। मैं वित्त मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं, गत बजट के भाषण में जो उन्होंने कहा था उसी की याद दिलाना चाहता हूं: क्या क्या आश्वासन उनके द्वारा दिये गये थे और उन आश्वासनो को वे किस हद तक और कर पाये हैं। मैंने पिछले बजट के भाषण के समय यह चर्चा की थी हमारे राजस्थान के राजकर्मचारियों में बहुत बड़ी वेतन की असमानता है और वह आज तक बनी हुई है। जहां हम इस संम्बन्ध में दूसरे मुल्कों को देखते हैं, दूसरे मुल्कों की स्थति क्या है तो हमें पता चलता है सब से कम असमानता चीन में है जो दस गुना है और सबसे अधिक पच्चीस गुना तक ग्रेट ब्रिटेन में है इससे अधिक कहीं नहीं। राजस्थान में आज हम अधिकारियों और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों में १०० गुना तक फर्क है पिछले बजट भाषण का उत्तर देते हुये वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया

[श्री चांदमल मेहता]

था कि हम इस पर विचार करेंगे। यह जब सुना हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी लेकिन जब नई वेतन श्रृंखला हमने देखी तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और बातें कहने को तो कुछ और कही जाती है और कहने को कुछ और। जिस आर्थिक असमानता को दूर करने का आश्वासन माननीय वित्त मंत्री ने गत बजट सेशन के समय दिया था वह आज असमानता दो चार गुना और बढ़ा दी है कम नहीं की गई। आइ० ए० एस० आफिसरों और आर० ए० एस० आफिसरों को जो पैसा दिया गया है उनके मुकाबले एक निम्न कर्मचारी को जो दिया गया है उस समय जो फर्क इनके वेतनों में था उससे एक दो गुना ज्यादा ही आपको मिलेगा। अगर हम चपरासियों और पुलिस के सिपाहियों के वेतन को देखें तो छोटे दर्जे के कर्मचारियों के लिये जो बात मुख्य मन्त्री महोदय ने कही कि हम इनके ग्रेडों में दूसरे प्रान्तों के मुकाबले पीछे नहीं है। में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे कामों में आप भले ही दूसरे प्रान्तों की नकल कीजिये जहां आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रश्न है जहां आप एक अधिकारी और निम्न कर्मचारी में आर्थिक असमानता दूर करना चाहते हैं वहां हमें यह देखना होगा कि यह राज्य संचालन करने वाले हैं वे एक कुटुम्ब की तरह रहने वाले हैं उसी कुटुम्ब में एक एक सदस्य में इतना भेद भाव रखना आर्थिक तौर पर यह बताता है कि जो कुछ भी आश्वासन आपने आर्थिक असमानता को दूर करने का दिया वह बेकार गया। विधान सभा मैं इस संबंध में यही निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा कि राजप्रमुख के अभिभाषण के उत्तर में माननीय मुख्य मन्त्री ने आंकडे देकर बताया उन आंकडों को में गलत नहीं कहूँगा हालां कि यह हमें विदित है कि जो कुछ कहा जाता है आश्वासन दिये जाते हैं वे किस कदर के होते हैं। हमें यह देखना है कि मुख्य मन्त्री ने जिन आंकड़ों को पेश किया उसमें बारीकी क्या जो आंकड़े बताये उसमें उन्होंने यह नहीं बताया कि वहां महंगाई अलाउन्स सरकारी कर्मचारियों को क्या दिया जाता है। मैं ज्यादा दूर न जाते हुए अपने पड़ौसी प्रान्त अजमेर का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ वहा एक चपरासी को महंगाई भत्ता चालीस रुपये महावार मिलता है। यहां हमारे एक अध्यापक को भी इतना वेतन नहीं मिलता। अध्यापकों के वेतन के सिलसिले में यह कहा गया कि ह भारत सरकारने जो इस सम्बन्ध में किया है उसके अनुसार ही हमने किया। मैं ग्रेड देखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि क्या इस चीज को इतनी बारीकी से नहीं लिया गया या किसी प्रकार का दिमाग इसमें नहीं लगाया या ये सब बातें अधिकारियों पर छोड़ दी गई और जो योजना उन्होंने बना कर दीं उसी को मान लिया गया। यदि बड़े आफ़िसरों पर ही यह छोड़ दिया गया तो उनको तो यह सोचना चाहिये था कि नीचे के आदमियों के लिये भी तो कुछ रहने दें। चेयरमेन महोदय, मैं इस सम्बन्ध में छोटी सी बात बता दूं इण्टरमीडियेट कालेज के लेक्चरार और डिग्री कालेज के लेक्चरार के पहले ग्रेड इस प्रकार थे, २०० से ३५० का ग्रेड था और डिग्री कालेज के लिये ४००का था नये जो ग्रेड किये गये उसमें किस प्रकार का फर्क किया यह बताना चाहता हूँ जब कि दोनो कालेजों के लिये क्वालिफिकेशन्स एक है तो नये स्केल के अनुसार इन्टरमिडियेट कालेज के लेक्चरार का ग्रेड २००से लेकर ४०० तक का कर दिया। डिग्री कालेज का जो बड़ा नाम देखा और जिनका अधिकारियों के साथ कुछ सम्बन्ध भी होगा। उन्होंने उनका ग्रेड बढ़ा कर २५० से ले कर ६०० तक कर दिया। ये ग्रेड इस प्रकार किये गये।

[श्री चांदमल मेहता]

जब इस सम्बन्ध में सदन में बहस हो रही थी उस समय सदन के सामने यह सुझाव भी आया था कि पे कमीशन बिठाया जाय। अगर पे कमीशन बिठला दिया जाता तो यह नौबत नहीं आती विधान सभा के सदस्यों की भी एक कमेटी बिठा दी जाती लेकिन सरकार ने इस बात को माना नहीं, इस सम्बन्ध में नोन आफिशियल एक प्रस्ताव भी आया था। जो इस सम्बन्ध में किया गया उसके लिये यह नहीं कह सकते कि हम समाजवाद के ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं जो फर्क पहले था उसको और आगे बढ़ाया गया है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने यह भी कहा कि जब हमने कुछ किया है तो वह चर्चा का विषय बन गया है। यह केवल आपके कहने पर ही चर्चा का विषय नहीं बना बल्कि यह बराबर पहले से प्रश्न उठ रहा है प्राइवेट मेम्बर्स ने इस सम्बन्ध में रेजोल्यूशन भी दिया। यह चर्चा का विषय इस लिये बन गया कि जो आर्थिक विषमता दूर करने की बात थी वह नहीं हो पाई।

अब मैं दूसरे पहलू पर निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बोलबाले का कारण यह भी है कि आखिर हम पूरी तनख्वाह नहीं देते और इसके बाद हम आशा करते हैं कि वे पूरा काम करें, ईमानदारी से करें। तो पूरा काम करने के लिए पूरा वेतन भी हमें देना चाहिये। आप कैसे किसी भी कर्मचारी से यह उम्मीद करते हैं कि खाने को भले ही उसे कम दिया जाय पर काम पूरा वह करे। जैसे आम तौर पर पुलिस की शिकायतें हमारे पास आती रहती हैं कि उसकी काफी ज्यादातियां होती हैं, झूठे मुकदमें बनाती है, चोरी में साझेदारी रखती है, ये सारी बातें होती हैं इसलिये कि हम कान्स्टेबल और हैडकान्स्टेबल को जिन्दा भर रहने के लिए भी क्या देते हैं ? फिर उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वे काम इमानदारी से करें। यह कैसे सम्भव है। आपको तो यह विषमता दूर करनी होगी, दूर बिलकुल न सही पर कुछ कम तो करनी ही होगी। इसलिये पे स्केल्स रिवाइज किये जाने चाहिये।

अभी सूचना आई है कि मैं अपना भाषण जल्दी जल्दी खत्म करदूं। पर बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, वे रह जावेंगी और इस सम्बन्ध में आज ही स्पीकर महोदय से निवेदन किया था मैंने कि आखिरी मौका है, हमें आखिरी बजट पर बोलने का और हमारे साथियों को सुनने और सुनाने का। इसलिये निवेदन करूंगा कि आज थोड़ी रियायत की जावे हमारे साथ, खास कर उन विषयों पर तो हमें बोलने दिया जावे जिन पर कट मोशन रखने का मौका नहीं आता है, उन पर तो विचार प्रकट करने का मौका दिया जाना चाहिये।

इस राजस्व विभाग में हमें मौका नहीं मिलता कट मोशन का। तो मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन बातों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसमें थोड़ी मैंने चर्चा की थी। राजप्रमुख के भाषण के सिलसिले में बोलते समय उस, महत्वपूर्ण चर्चा का जवाब नहीं आया सरकार की ओर से। इसलिये मैं थोड़ा उसके बारे में और दो-तीन बातें कह देना चाहता हूँ। सरकार ने अच्छा काम किया कि इस अर्से में सेटलमेन्ट काफी तहसीलों में कराया। इसके लिए वह बधाई की पात्र है। पर सेटलमेन्ट करने के बाद सेटलमेन्ट की रेट से ज्यादा वसूली की जा रही

[श्री चांदमल मेहता]

है। एक दो नहीं पर पूरी की पूरी तहसील से अधिक वसूली कर ली गई है। यह तो सुनकर ताज्जुब होगा। रूपनगर तहसील में पूरी की पूरी तहसील में उन्होंने यह वसूली इस तरह से की। साथ ही यह भी कहूँगा कि यह बात हमने मन्त्री महोदय तक भी पहुँचाई। पर कहते हुए लज्जा भी आती है और खेद भी है कि नतीजा इसका उल्टा हुआ। त्यों त्यों में ऊपर के दर्जे के अफसरों के पास गया त्यों त्यों ज्यादा सख्तियां होती गई। जब पहले मन्त्री महोदय के पास पहुँचा तो उन्होंने कलक्टर, जयपुर का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। मैं चला गया यह सोचकर कि अब व्यवस्था हो जावेगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो बन्द कर देते हैं, तहसीलदार एस. डी. ओ. सब वहां थे। पर जहां किशनगढ़ पहुँचा तो पता लगा कि और सख्तियां होने लगी हैं। कलक्टर साहब को मैंने टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको बन्द कर दिया है। मैं ताज्जुब में पड़ा कि आखिरकार कलेक्टर के ओहदे पर बैठकर किस प्रकार की ये बातें करते हैं, इतनी जिम्मेदारी के पद पर बैठकर अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते और तेजी से वसूली होने लगी और कुडिकियां भी जारी होने लगीं दुबारा और मैंने मिनिस्टर साहब से और कलक्टर साहब से कहा। कहा गया इस बार भी कि सब ठीक हो गया है, सब रोक दिया गया है। पर वापिस पहुँचा उसके बाद तो सख्ती की हद हो गई। यहां तक हुआ कि जो साथी थे, खास तौर से कांग्रेस का काम करने वाले थे उनको एस. डी. ओ. ने कहीं से पकड़ कर बुलाया और कहा कि सरकार के काम में दखलन्दाजी करते हो तुम, जेल भेज दिये जाओगे। अगर जनतन्त्री कहलाने वाली सरकार में भी ऐसे काम होते हैं तो ताज्जुब है। मैं नहीं समझ पाया कि यह क्या गोल माल है, मिनिस्टर और कलक्टर कहते हैं बन्द कर दिया और आन दी स्पोट इस तरह की सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। क्या मैं यह समझूं कि किसी खास कार्यकर्ता का प्रभाव घटाने के लिए ये सारे हथकंडे किये जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात सोच कर यह सब कहता है तो मैं कहूँगा कि जो जनता में काम करने वाले हैं उनका प्रभाव खत्म नहीं होने वाला है। करने बल्कि जो इस तरह से खतम करने का बात सोचते हैं वे स्वयं खत्म हो जावेंगे, इस तरह के हथकंडे वाले कभी नहीं पनपे हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि इसके सम्बन्ध में एक जांच कमीशन बिठाया जावे। ऐसे आदमियों का नहीं हो जो इसमें मिले हुए हों बल्कि विधान सभा के सदस्यों का ही। और अगर उचित समझें तो इसका हैड हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव को बना दिया जाय। इस के सम्बन्ध में आखिर जिस नतीजे पर पहुंचा जावे उसमें जिसको कसूरवार पाया जाये उसको सजा दी जावे। यही मैं कहूंगा।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

अब में एक दो और उदाहरण बता कर सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँगा कि न्याय विभाग क्या कर रहा है। नाम बढ़िया है। नाम को देखते हुए इस विभाग के बारे में उतनी शिकायत नहीं हो सकती जितनी दूसरे विभागों के बारे में हो सकती हैं। पर फिर भी न्याय विभाग से जिनको न्याय मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता। मैं किशनगढ़ के बारे में कहना चाहता हूं। जब छोटी रियासत थी तो न्याय बडा सुलभ था। वहां चलते फिरते कोर्ट थे, लोगों को जल्दी सुनवाई मिलजाती

[श्री चांदमल मेहता]

थी और जल्दी न्याय मिल जाता था तहसील हैड क्वार्टर पर मुकद्दमे सुनते थे और वहीं फैसला कर देते थे। जहां यह सहूलियत थी वहां राजस्थान बनने के बाद, यह सहूलियत और बढ़ने की हमारी उम्मीदों पर तो पानी फिरा सो फिरा ही पर जो मुंसिफ कोर्ट थी वह भी वहां से तोड़ दी गई। कहा यह गया इस सम्बन्ध में कि कई जगह तोड़ी गई हैं इसलिए यहां भी तोड़ दी गई इसके एवज में दूसरी व्यवस्था होगी। और इसके लिए बजट में भी कमी कर दी है इसलिये तोड़ा जा रहा है। हमने सोचा चलो जब सब जगह तोडे गये हैं तो हमारे यहां कैसे रह सकते हैं, हमने सन्तोष की सांस ली। फिर देखा गया कि कौनसे क्षेत्र के मिनिस्टर मौजूद हैं और कौनसे क्षेत्र के एम. एल. ए. हां में हां मिनिस्टरों के मिलाने वाले हैं, उनके यहां वापिस कायम कर दी गई। एक हुक्म में तोडीं और वापस दूसरे हुक्म से कायम कर दी गईं। बूंदी में तोडी गई पर वापिस कायम करदी गई। दो तीन जगह तोड़ी गईं पर वहां भी कायम कर दी गईं। और यहां किशनगढ में कायम नहीं। और जगह तो सीधी सी बात थी मुंसिफी और मजिस्ट्रेटी दोनों को शामिल मिलाकर बना दी गई। किशनगढ के बारे में कहा गया यहां कोई जरूरत नहीं। मेरी समझ में इसका कोई कारण नहीं आया। अगर सरकार को पैसे की तंगी हो तो वहां के लोग चन्दा करके इसके लिए पैसा भी दे सकते हैं। और अगर ऐसी बात नहीं है तो वहां भी मुन्सफी और मजिस्ट्रेटी दोनों को शामिल करके कोर्ट बना दें। पर सरकार इस बहाने से सोचती है कि आज अगर यह बात मान लेते हैं तो किसी व्यक्ति का प्रभाव बढ़ेगा, नतीजा यह होता है कि किशनगढ़ के मामले को उलझा रक्खा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इतना टाइम ये ले रहे हैं, पीछे भी बोलने वाले हैं।

श्री सभापति—ऑर्डर प्लीज, ! आप बैठ जाइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आप टाइम देंगे ?

श्री सभापति—आप बैठिये तो सही, उन्हें बोलने दीजिये। वक्त खराब न करें।

श्री चांदमल मेहता—हां, तो मैं यह निवेदन कर रहा था। जो दृष्टिकोण हैं उसके अन्दर तब्दीली लाने की जरूरत है। आप अपना दृष्टिकोण कांग्रेस के सिद्धान्त के अनुसार विशाल बनाइये। कहां क्या क्या काम करना है, जन हित में सोचिये उससे फिर किसी का, किसी क्षेत्र में प्रभाव बढ़ता है तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिये। आप उनके प्रभाव को बढ़ने न देने का दृष्टिकोण रखकर तो उसे अपना विरोधी ही अधिक बनाते हैं। आप अपना उदार दृष्टिकोण रक्खेंगे तो किसी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि कांग्रेस सरकार उदार नहीं है, बल्कि यह कहेंगे कि सरकार का दृष्टिकोण कितना उदार है, हरेक को अपने अपने क्षेत्र में अच्छी तरह काम करने के उदार दृष्टिकोण का एक आदर्श आपको कायम करना चाहिये। उस दिन आप आम लोगों में भी प्रिय हो जावेंगे और विरोधी पक्ष के लोगों को कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी।

[श्री चांदमल मेहता]

तो मैं सोचता हूँ कि मेरे दूसरे साथी बोलने के लिए अधीर हो रहे हैं और सोचते हैं कि मैं कुछ अधिक कह रहा हूँ तो मैं अपनी दूसरी बातें बजट की मांगों के समय रखूंगा, लेकिन फिर भी कम से कम सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कहा उसके अन्दर यह खयाल नहीं रहा है कि मैं विपक्ष का आदमी हो गया हूँ या विरोधी पक्ष की बेन्चों पर बैठने वाला हूं या मेरा वर्क केवल आलोचना करने का ही रह गया है, बल्कि मैं २४ घन्टे अपनी कॉन्स्टीटुएन्सी, अपने क्षेत्र के लिए आवश्यक काम से देखने और क्या २ किया जा सकता है, के काम के लिए लगाता हूँ और जो कुछ भी बातें उनके लिए यहां ला सकता हूँ वह लाता हूँ और सरकार के सामने अलग अलग ढंग से लाता हूँ। सवाल केवल यह दृष्टिकोण अपनाने का है। मैं निवेदन करता हूँ कि वे अपने मातहत जो अधिकारी हैं उनकी बेजा कार्यवाहियों की परवाह करना छोड़दें। हम वकीलों को बदनाम किया करते हैं लेकिन वकीलों के लिये तो यहां तक कह सकते हैं कि उनको अपनी रोटी के लिए ऐसा करना पड़ता है। उनको पैसा मिलता है इसलिए झूठे मुकद्दमें भी ले लेते हैं। उन्हें तनख्वाह मिलती है उसके बावजूद भी विधान सभा से उनकी गलत कार्यवाहियों को छिपाते हैं। यह गलत परवाह करना छोड़ दें और साथ ही जो कुछ विधान सभा में जवाब दिये जांय वे सही हों। बड़े महत्वपूर्ण मामलों पर बड़े जिम्मेदार आदमी गलत कह दें, यह ठीक नहीं। मैं आज की ही बात कहता हूँ कि जिला निर्माण के सम्बन्ध में एक समिति बनी और समिति को वक्त नहीं दिया गया और समिति के सदस्यों को वक्त दिया गया। खैर दुबारा मेमोरेन्डम पढ़ने के बाद हो सकता है कि मंत्रीजी ने अपनी ओर से कह दिया हो कि कोई वक्त नहीं दिया। आखिर क्या बात ऐसी है कि जिसके आधार पर ऐसी बात कह दी जाती है। उनके दिमाग में यह हो कि जिन लोगों को वे नहीं बनाना चाहते, हों न बनाऐं। हो सकता है कि कुछ आदमियों की बातों का असर उन पर काम करता हो और जिन लोगों का बाद में खड़ा होना उनको अच्छा नहीं लगा, तो कम से कम यह नहीं होना चाहिए कि गलत जवाब दिया जाय। गलत जवाब देने का मतलब सदस्य के विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है और इस अधिकार के प्रश्न पर खास तौर से गम्भीरता के साथ सोचना चाहिए और आयन्दा यह शिकायत कम से कम नहीं आनी चाहिए कि इस तरह से गलत जवाब दिया गया। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

(श्री चन्दनमल बैद और मुक्तिलाल के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—(श्री चन्दनमल बैद से) जो लिस्ट आपकी पार्टी की ओर से हमें मिली है उसमें आपका नाम नहीं रखा है बोलने वालों में।

श्री चन्दनमल बैद—मुझे नहीं मालूम है कि कौन सी लिस्ट है। मेरे पास ऐसा सक्यूलर कोई नहीं आया है पार्टी का।

श्री सभापति—एप्रूव्ड लिस्ट आपकी पार्टी की तरफ से जो आई है उसमें आपका नाम नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद—मुझसे मेरा नाम नहीं मांगा गया है। हर मेम्बर का अधिकार है कि विधान सभा में अपने विचार प्रकट करे। मैं नहीं समझता कि किस तरह से लिस्ट बनाकर भेज दी गई। मैंने आपकी आई कैच की है और मुझे बोलने का अधिकार है, इस लिए मुझे बोलने दिया जाय।

श्री सभापति—मैं इस लिस्ट के मुआफिक चल रहा हूँ।

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६) एक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए हैं और किसी पार्टी की तरफ से इस प्रकार का व्हिप इश्यू किया जाता है तो बोलने की स्वतन्त्रता किसी भी सदस्य की है; उस पर एक प्रकार का आघात होता है और इस प्रकार के आघात को यदि चेयर की तरफ से पोटेक्शन नहीं मिलता है तो वह हमारे विशेषधिकारों का प्रश्न बनता है।

श्री सभापति—Order please! मैं भोपालसिंहजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे बोलें।

श्री भोपालसिंह—सभापति मोहदय, जो बजट पेश हुआ है उसको जब मैंने देखा तो मालूम हुआ कि जमा में जो बताया है वह २४ करोड बताया गया गया हैं और खर्च में २८ करोड बताया गया है................

श्री चन्दनमल बैद—माननीय चेयरमैन साहब, एक इनफॉर्मेशन मैं और चाहूँगा। क्या मुझे बाद में बोलने की इजाजत दी जायगी? क्या हम ऐसा समझें कि लिस्ट के अलावा किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी जायगी?

श्री सभापति—जहां तक इजाजत का सवाल है पहले लिस्ट वालों को इजाजत दी जायगी। इसके बाद में अगर टाइम रहेगा तो आपको भी वक्त दिया जायगा।

श्री भोलानाथ—यह बिल्कुल ठीक नहीं है। वह अपनी पार्टी में कहें इस बात के लिये, लेकिन चेयर को मजबूर नहीं कर सकते हैं।

श्री सभापति—आप बोलने नहीं देते हैं और टाइम खराब करते हैं।

श्री भोलानाथ—चेयरमैन महोदय, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि इस प्रकार किसी पार्टी की लिस्ट से आपको गाइड नहीं होना चाहिये। यह चेयर के ऊपर बाईंडिंग नहीं है, चाहे वह किसी की भी दी हुई हो। उस लिस्ट पर न चलकर सदस्यों को पूरा मौका दिया जाना चाहिये और जो सदस्य खड़े हों और आपकी आई केच करें उनको मौका दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति—मैंने जिनका नाम ले लिया है उनको बोलने दिया जाय। इसका बाद में निर्णय हो जायगा।

श्री भोलानाथ—यह ठीक है जो बोल रहे हैं वे बोलेंगे लेकिन जिनका नाम लिस्ट में नहीं है इसी वजह से वे नहीं बोल सकते, ऐसा नही होना चाहिये।

श्री सभापति—लिस्ट जो है उसके नाम के मुआफिक बोल रहे हैं, उन्हें पहले टाइम दिया जायगा।

श्री भैरूं सिंह (वि० सं० १६)—माननीय सभापति, हमेशा बजट के भाषण पर या राजप्रमुख के अभिभाषण पर विवाद होता है तो एक प्रकार का रिवाज बन गया है, माननीय अध्यक्ष की ओर से माननीय सदस्यों से पूछा जाता है कि जो२ बोलना चाहें वे अपने२ नाम माननीय अध्यक्ष के पास भेज दें। तो इस प्रकार का संकेत सदस्यों को होता है और उस संकेत के ऊपर सदस्य माननीय अध्यक्ष के पास अपने नाम भेज देते हैं तो उस ऑर्डर में वे बोलते हैं। मैं नहीं कहता कि इस प्रकार का कोई संकेत हुआ हो। वैसे ही लोगों के नाम दर्ज करके पार्टी की तरफ से इस प्रकार की लिस्ट आई है तो वह पार्टी ने किस प्रकार भेज दी? तो वह सदस्यों के लिए बाइंडिंग नहीं है और न माननीय चेयरमैन साहब पर है कि उसी के अनुसार कार्य निर्धारित करना उचित होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों का जो बोलने का अधिकार है उस अधिकार पर आघात नहीं होना चाहिये। वह आघात माननीय चन्दनमलजी पर नहीं किया गया है, लेकिन उनके अधिकारों पर आघात है। मैं दुबारा यह कहूँगा कि यह सदस्य के विशेषाधिकार पर आघात हुआ है। इस पर विचार किया जाकर स्पष्ट रूलिंग दी जाय ताकि आयन्दा न तो इन्फ्लुएन्स का सभापति महोदय को सामना करना पड़े और न इस प्रकार के इन्फ्लुएन्स पर सभापति की ओर से सदस्यों के बोलने के अधिकार पर आघात हो।

श्री सभापति—आपने बिला वजह लम्बा-चौड़ा भाषण कर दिया है, कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। भोपालसिंहजी बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दिया जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—पार्टी....

श्री सभापति—आप एक पार्टी वाले कहेंगे, कल दूसरी वाले।

श्री हजारीलाल शर्मा—यह एक कॉंस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट है। इस पर रूलिंग हो जाय तो ठीक है और हक है हर एक सदस्य का कि वह आपकी आई कैच करे और बोले।

श्री सभापति—ऑर्डर प्लीज! अभी रूलिंग देने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्यक्रम चल रहा है उसे चलने दिया जाय। यदि रूलिंग की आवश्यकता है तो रूलिग भी दे दिया जायगा।

श्री भैरूं सिंह—आवश्यकता तो होगी साहब।

श्री हिम्मतसिंह—अभी नहीं है।

श्री भोलानाथ—तो क्या मान लें कि पार्टी की तरफ से इस प्रकार की लिस्ट आ जाती है तो एक सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं है। यदि उस पार्टी की तरफ से किसी सदस्य का नाम आये तो क्या यह मानकर चलें कि यदि एक विशेष पार्टी की तरफ तो किसी सदस्य का नाम नहीं आता है तो उस वक्त उसे बोलने का अधिकार नहीं है ? तो इस प्रकार से मान लेने को हमें मजबूर होना पड़ेगा ?

श्री मोहनलाल सुखड़िया—जहां तक इस सदन का प्रश्न है, अगर कोई खड़ा होता है और बोलना चाहता है तो उसके लिए, जहां तक रूलिंग का सवाल है, तो पार्टी की दी हुई लिस्ट कोई बाइंडिंग नहीं हो सकती चेयर के ऊपर। (करतलध्वनि) आपकी जो कुछ कार्यवाही है यह, उन माननीय सदस्यों के लिए क्या तरीका अपनाया जाय ? चेयर का जहां तक सवाल है कोई रूलिंग ऐसा नहीं हो सकती कि जो लिस्ट दी गई है उसी के अनुसार बोलें।

श्री चन्दनमल बैद—क्या अब मुझे इजाजत मिलती है ?

श्री सभापति—मैंने भोपालसिंहजी को इजाजत दे दी है, वह बोल रहे हैं। आपका जब नम्बर आये तब बोलियेगा।

श्री भोपालसिंह—सभापति महोदय, जो बजट पेश हुआ है उसको देखा गया तो २४ करोड़ जमा में और २६ करोड़ का खर्च बताया गया है। बजट के खर्चे को ज्यादा बतलाने में हमारी सरकार के वित्त मंत्री ने भी उस वक्त गर्व प्रकट किया है और सरकार की ओर से जो राज प्रमुख ने अभिभाषण दिया था उसमें भी यह गौरव के साथ लिखा हुआ है, कि हम बहुत रुपये ले रहें हैं और राजस्थान में बहुत खर्चा कर रहे हैं। मगर जब खर्चे के आंकड़े देखते हैं तो उनसे हमें यह मालूम होता है कि यह सरकार जितने रुपये खर्च कर रही है वह अपने ग्रुप वालों, या उनके खुद के रिश्तेदारों या उनके कुटुम्बियों पर खर्च कर रही है और सरकार और पब्लिक के काम में बहुत कम खर्चा होता है। इसलिए मैं सरकार के लिए यह कह सकता हूँ कि जितने सरकार के मंत्री हैं उनमें से अधिकांश सब बिल्कुल अच्छे आदमी है। मैं उनकी तारीफ करूंगा।

मैं यह नहीं कहूँगा कि आज सरकार में जो लोग हैं वे खराब हैं। उनको मैं खराब नहीं मानता। वे सब के सब अच्छे आदमी हैं। लेकिन उनके जो गार्जियन है वे इतने खराब हैं कि जो चुनाव के मौके पर उन्होंने वायदे किये थे वे आज पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उस मौके पर जिन लोगों को बरबाद करने का कहा था उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूँगा कि वे इन आदमियों की जांच करावें और मैं जो कह रहा हूँ वह सच है तो उनको सजा दें और यदि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह झूठ है तो मैं विधान सभा से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। उनके खिलाफ इन्क्वायरी तो की जाय। वहां पर ब्राह्मण, महाजन, राजपूत आदि ऐसी कौमें हैं जिन्होंने चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट न करके मुझ को सपोर्ट किया था।

श्री माथुरदास माथुर—उन्होंने बहुत गलती की।

श्री भोपालसिंह—उन लोगों के लिये जब कोई खर्च का सवाल आता है तो उसको टालने की कोशिश की जाती है। जब डेगाना तहसील बनाई गई थी उस समय जो उद्घाटन भाषण हुआ उस समय हमारे कांग्रेस के महामंत्री, राजस्थान कांग्रेस के जो है उन्होंने यह फरमाया कि इस तहसील के लोगों ने हमारे महान् आदमी को हराकर और आज उनके लड़के का स्वागत कर रहे हैं मैं उन पर थूकता हूँ। यह उन्होंने पब्लिक भाषण में कहा और वैसा ही वास्तव उनके साथ किया जा रहा है उस समय मंत्रीजी ने खुद ने इस बात को बुरा समझा था।

माथुरदास माथुर—जरा महरबानी करके खुदा को सर के ऊपर रख कर बोलिये।

श्री भोपालसिंह—इसकी जांच कर सकते हैं। यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे सजा दें।

श्री मथुरादास माथुर—झूठ ही नहीं सफेद झूठ।

श्री भोपालसिंह—यदि झूठ है तो मुझे सजा दी जाय और सच है तो उनको सजा।

श्री मथुरादास माथुर—आप वहां पर मौजूद थे। नहीं। सुनी सुनाई बात को हाउस के सामने नहीं कहें।

श्री भोपालसिंह—वहां पब्लिक मौजूद थी। ७०० आदमी मौजूद थे, उनके सामने यह बात कही।

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं वहां मौजूद था। आप बिल्कुल झूठ कह रहे हैं।

श्री भोपालसिंह—यदि झूठ बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूं आपको बीच में कहने की जरूरत नहीं है। यदि झूट है तो जांच करनी चाहिए। यदि मैं झूठा हूँ तो मैं सजा पाऊंगा। मगर मैं कहूंगा कि एक सरकार को, अच्छी सरकार को इस तरह से लोग बदनाम कर रहे हैं। यह मैं जानता हूँ कि सरकार है लेकिन वे लोग इसको बदनाम कर रहे हैं।

डेगाना स्टेशन की जो बात कही गई है उस जगह १६०० आदमियों की आबादी है आप गिनती कर सकते हैं। खुद रामनिवासजी ने उनसे कहा था कि आप गलत बोल रहे हैं, ठीक नहीं बोल रहे हैं। तो डेगाना स्टेशन पर १६०० आदमियों की आबादी है। १०० की आबादी पर पंचायत में एक पंच लिया गया है और वहां पर एक वार्ड बनाया गया हैं। और उस पंच को दूसरे गांव के सरपंच के अन्डर में लगाया गया हैं। वहां पर हाई स्कूल की मांग की गई थी तो वहां

[श्री भोपालसिंह]

के लोगों से कहा गया कि १०,००० रु० दो तो वहां पर हाई स्कूल शुरू करा दें। वहां पर बाजार में पानी भरता हैं उसके लिये मैंने एस. डी. ओ. और तहसीलदार से कह कर रास्ते में सड़क बनवाई, उसमें १५०० रु० खर्च किये और सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि डवलपमेन्ट वर्कस में से १००० रुपये और लगवादेंगे। २ साल के बाद उस पर कुछ किया गया और वह भी रुपये उनको न देकर वाचनालय में लगा दिये गये। एक महीना पहले डैवलपमेन्ट की मीटिंग में मैंने यह बात कही थी तो एकदम जैसे हमला करते हैं वैसे मुझ पर सब लोगों ने हमला कर दिया और कहा कि उनको नहीं दिलाया जायगा क्योंकि यह पुराना काम हैं। नया हो या पुराना, सरकार की गलती से यह पुराना काम हुआ लेकिन अभी जब देने की बात आई तो उन्होंने उसे काट दिया।

दूसरी अर्ज जिससे कि सम्बन्ध है वह यह है कि पालियास गांव है वहां पर एक बेरा मौजूद है लेकिन जिला बोर्ड से एक महाशय को जिन्होंने बेरा खुदवाया था ५,००० रु० दिलवाये गये और ७५०० रु० कूए पर लगने का हिसाब लगाया गया। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस कूए पर ३००० भी नहीं लगाये गये। मैं, आप चाहें तो इतने में यह काम कराने के लिए तैयार हूँ। अगर जांच करायेंगे तो भी सरकारी कार्यकर्ता इन्हीं की बात रखेंगे। इसलिये यदि जमीन में बेरा खुदवाया जाय तो ३००० रू० से बेसी लग जायं तो मैं अपने पास से देने को तैयार हूँ और यदि इससे भी कम लगें तो सरकार को उनसे रुपये वापिस लेने चाहिए। ७५०० रु० बताए गये और ३००० कुल लगे। तीसरा गांव हैं डूंडलोत। मुख्य मंत्रीजी से कहूँगा कि दूसरे गांवों को एक एक बेरा मिला हैं तो यहां २५-३० गांवों के पीछे क्यों मिलता हैं। ये रुपये तमाम के काम के लिये हैं। तमाम पब्लिक को मिलने चाहिये, न कि एक ही को।

पुणलोता गांव के अन्दर पंचायत भवन और स्कूल बनाया गया और सड़क ले जाने की भी कार्यवाही की जा रहीं है। एक सड़क जो लांपोलाई में बनी थी उसको डोढ़ी लेजाकर पुणतोला को टाल दिया। इसी तरह से ईडना गांव को भी टाल कर लेजाई जा रही हैं। यह कोई अच्छा काम नहीं है।

आपको एक बात और बताना चाहता हूं। सिंचाई के कार्य में बहुत सा पैसा खर्च होता है और सिंचाई के काम में सरकार को काफी खर्च करना ही चाहिये। वह पैसा सभी लोगों के फायदे के लिए खर्च किया जाना चाहिये, लेकिन वैसा न करके दो आदमियों की काश्त को फायदा पहुँचाने के लिए २०,००० रु० खर्च किये जा रहे हैं और पब्लिक चार साल से कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरा कोई बांध नहीं बनाया जा रहा है। पालड़ी की स्कूल १०,००० रुपये लगा कर ठिकाने से बनाई गई लेकिन उसको मेरे सुपुर्द होने से जमीन नहीं मिली और अब जब कि एक कांग्रेसी महोदय आये और उनको जब सुनाया गया तो झट रुपये आ गये और ६ महीने से कोशिश कर रहा हूं लेकिन रुपये नहीं मिले।

मेड़ता में जाट बोर्डिंग है। उसको २५,००० रु० दिलाये गये और वहां सरकार का कब्जा नहीं माना है।

श्री मथुरादास माथुर—मेडता में जाट बोर्डिंग नहीं है।

श्री भोपालसिंह—नाम जाट बोर्डिंग न भी हो लेकिन उसमें पैसा किसका लगा है और किस ने बनाया है और किसके लड़के उस में पढ़ते हैं इस पर विचार करेंगे तो मालूम होगा कि २५,००० रुपये किस को दिये गये हैं। यों तो देखने में यह थोड़ा ही होगा। पब्लिक को दिखाकर खाना चाहेंगे तो पब्लिक थोड़े ही खाने देगी। नागौर में डेवलपमेंट रिलीफ कार्य की लिस्ट बनी थी। उसमें किसान बोर्डिंग को ३०,००० रु० देने के लिये रखे गये हैं।

पंचायतों के वार्ड बनाये गये उसमें भी बहुत गड़बड़ी की गई। कहीं पर ५१ की आबादी पर एक सदस्य लिया गया, कहीं पर १०० की आबादी पर, कहीं ५०० की आबादी पर और कहीं १५०० और १६०० की आबादी पर एक सदस्य लिया गया और इस प्रकार से वार्ड बनाये गये और अपने पार्टी के लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई। मैंने पहले भी इसके बारे में कहा और माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि वे इस व्यवस्था को ठीक करेंगे, मगर अभी तक और कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कोओपरेटिव सोसायटीज़ के बारे में मैंने पहले भी अर्ज किया था और उस समय माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि इस संबन्ध में वे कुछ कदम उठावेंगे, मगर अभी तक उन्होंने कुछ कार्यवाही नहीं की। पहले दो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ मेडता और डेगाना में खोलचुके थे और जब मैंने कहा उस समय कहा कि अभी तो हम यहां पर खोल चुके हैं, बाद में फिर विचार किया जावेगा। मगर अभी तक हमारे यहां कोई इन्सपेक्टर आदि नही आया है।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—मैं एक बात बता दूं कि अभी बजट के सिद्धान्तों पर चर्चा नही की जाकर आप डिटेल्स में जा रहे हैं। डिटेल्स में जो बातें कट पर मोशन्स की होती हैं।

श्री भोपालसिंह—मेरे पास काफी बातें कहने के लिए नोट की हुई हैं और काफ़ी कहना है मगर समय कम होने के कारण सिर्फ हैसियत बोर्ड के विभाग के सम्बन्ध में कुछ कह कर ही समाप्त कर दूंगा। हैसियत बोर्ड के महकमें को तोड़ दिया, लेकिन अभी तक जागीरदारों की जो रकम थीं वह उनको नहीं संभलाई गई है और इसमें से रकम खर्च कर दी जाती है। जब महकमा उठा दिया गया तो खर्च करने का उनको क्या अधिकार है? इसलिए इनका प्रबन्ध किया जाना चाहिये। बस इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—समय हो चुका है। कल सुबह ८-३० बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यहाही रात्रि को ८ बज कर ५ मिनट पर, दिनांक १३ मार्च, १९५६ के प्रात: ८-३० बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १२ मार्च, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

(परिशिष्ट १)

(कृपया प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर देखिये)

आई० ए० एस० का सलेक्शन करने वाली समिति के समक्ष आर० ए० एस० अधिकारियों के नामों की सूची

संख्या	नाम	सीनियोरिटी लिस्ट में संख्या
१.	श्री चन्द्रपाल सिंह	१
२.	श्री जीवराजसिंह	२
३.	श्री गुलजारी लाल माथुर	३
४.	श्री भवानीसिंह राणावत	४
५.	श्री पशुपति नाथ कौल	५
६.	श्री चन्द्रधर ईसर	६
७.	श्री महुरन सिन्हा	७
८.	श्री अजीतसिंह	८
९.	श्री समरथ राज	९
१०.	श्री रामदत्त शर्मा	१०
११.	श्री हरनाथ सिंह मेहता	११
१२.	श्री अवतार नारायण	१२
१३.	श्री मनोहरलाल मित्तल	१३
१४.	श्री भगवतदत्त ठाकुर	१४
१५.	श्री मांगीलाल महेचा	१५
१६.	श्री आर० सी० सिन्हा	१६
१७.	श्री राजेश्वरदास खन्ना	१७
१८.	श्री रामनारायण शुक्ला	१८
१९.	श्री वहीदुल्ला खां	१९
२०.	श्री मुरलीधर वाजपेई	२०
२१.	श्री सूर्य स्वरूप	२१
२२.	श्री चम्पालाल कोचर	२२
२३.	श्री अभयसिंह	२३

Page No 85

५३.	श्री रनजीतसिंह	५३
५४.	श्री ओंकारसिंह	५४
५५.	श्री मथुरानाथ पांचोली	५५
५६.	श्री हिम्मतसिंह मेहता	५६
५७.	श्री हजारीलाल मेहता	५७
५८.	श्री सौभाग्यसिंह	५८
५९.	श्री सुरेन्द्रनाथ मिश्रा	५९
६०.	श्री मगनलाल नानावती	६०
६१.	श्री धूलसिंह	६१
६२.	श्री धरनीधर महेले	६२
६३.	श्री गंगाराम पुरोहित	६३
६४.	श्री हरदयाल माथुर	६४
६५.	श्री धर्मेन्द्र हांडा	६५
६६.	श्री मूलसिंह	६६
६७.	श्री केशवपुरी	६७
६८.	श्री अब्दुल जलील काज़ी	६८
६९.	श्री रामसिंह द्वितीय	६९
७०.	श्री विनयसिंह धाबाई	७०
७१.	श्री शराफ़अली	७१
७२.	श्री जीवनसिंह चौधरी	७२
७३.	श्री सुरेन्द्रलाल कासलीवाल	७३
७४.	श्री पी० के० वी० कुरूप	७४
७५.	श्री जसवन्तसिंह माथुर	७५
७६.	श्री अमरनाथ पुरोहित	७६
७७.	श्री तेजकरन लाल जोशी	७७
७८.	श्री रामकुमार शर्मा (द्वितीय)	७८
७९.	श्री कन्हैयालाल बराया	७९
८०.	श्री मानधातासिंह	८०
८१.	श्री गजराज ओझा	८१

Page No 87

८२.	श्री अलाउद्दीन खिलज़ी	८२
८३.	श्री जोरावरमल कवेडिया	८३
८४.	श्री गंगाप्रसाद बिस्सा	८४
८५.	श्री हनुमान सहाय रावत	८५
८६.	श्री दामोदरलाल खंडेलवाल	८६
८७.	श्री जे० पी० अरोरा	८७

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ४० का उत्तर देखिये)

DEVELOPMENT WORKS 1953-54 TEHSIL MERTA.

S. No.	Name of Village.	Nature of work.	Amount sanctioned	Total expenditure			Whether work complited or not	Remarks.
				Govt. aid.	Public contribution.	Total		
I.	Unehiyarda.	Const. of well.	5000/-	4999-15-6	5000/-	9999-15-6	Completed	A/c Submitted.
2.	Bansi Netan	Const. of well.	1000/-	1000/-	2037-4-6	3037-4-6	"	"
3.	Ren	Const. of School building.	6000/-	6000/-	5150/5/6	11150/5/6.	"	"
4.	Ron	Approach road from Railway Station to village.	3188/-	3188/-	17/-	3205/-	"	"
			15,188	15187/15/6	12204/10/-	27,392/9/6		

LOCAL DEVELOPMENT WORKS SANCTIONED DURING 1954-55.
TEHSIL MERTA.

S. No.	Name of Village.	Nature of work.	Amount sanctioned	Total expenditure.			Whether work completed or not	Remarks.
				Govt. aid	Public contribution.	Total		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Merta Road Kapdiyon ki Dhani	Completion of new well.	3,500-0-0	3,500-0-0	10545-0-0	1,4045-0-0	Completed	A/c Submitted.
2.	Role Chandawatan Qujron ki Dhani	,, ,, ,,	1,000-0-0	1,000-0-0	1060-4-0	2060-4-0	,,	,,
3.	Harsolao Kadrswon ki Dhani	,, ,, ,,	1,000-0-0	1,000-0-0	1046-0-0	2046-0-0	,,	,,
4.	Gotam Dukiyon ki Dhani	,, ,, ,,	1,000-0-0	1,000-0-0	1040-0-0	2040-0-	,,	,,
5.	Jarora Kallan	,, ,, ,,	1,000-0-0	1,000-0-0	2687-5-3	3,687-5-3	,,	,,
6.	Meghdhara	,, ,, ,,	1,000-0-0	1,000-0-	1000-0-0	2,000-0-0	,,	,,
7.	Jodhras Kallan	,, ,, ,,	1,000-0-0	1,000-0-0	1000-0-0	2,000-0-0	,,	,,
8.	Dhawa	Repairs of well.	1,000-0-0	1,000-0-0	1041-0-0	2,041-0-0	,,	,,
9.	Samdolao	,, ,, ,,	1,500-0-0	1,000-0-0	1586-8-3	3,086-8-3	,,	,,
10,	Tunkliya	,, ,, ,,	1,000-0-0	1,000-0-0	1015-10-0	2,015-10-0	,,	,,
11.	Merta City	Deepening of well.	1,500-0-0	1,500-0-0	2536-12-3	4,036-12-3	,,	,,

12.	Lampalai	Constrction of new well.	1,500-0-0	1,500-0-0	1535-12-6	3,035-12-6	,,	,,
13.	That	Repairs of well.	1,000-0-0	1,000-8-0	1017-4-9	2,017-4-9	,,	,,
14.	Pundlu	Const. of new Primary School.	1,000-0-0	1,000-0-0	1791-11-0	2,791-11-0	,,	,,
15.	Badayali	,, ,, ,,	1,000-0-0	1,000-0-0	1125-1-0	2,125-1-0	,,	,,
16.	Bhanwal	,, ,, ,,	1,000-0-0	1,000-0-0	5287-2-0	6,2-872-0	,,	,,
17.	Merta City	Extension of High School.	2,000-0-0	2,000-0-0	2,000-11-0	4,000-11-0	,,	,,
18.	Jasuagar	,, ,, School Building	1,000-0-0	1,000-0-0	1224-13-0	2,224-13-0	,,	,,
19.	Mokala	Const. of School.	500-0-0	500-0-0	500-5-3	1,000-5-3	,,	,,
20.	Gotam	Completion of School Buliding	500-0-0	500-0-0	505-2-0	1,005-2-0	,,	,,
21.	Basni Sejan	,, ,, ,,	2,000-0-0	2,000-0-0	2072-11-0	4,022-11-0	,,	,,
22.	Ren	,, ,, ,,	1,000-0-0	1,000-0-0	1085-11-9	2,085-11-9	,,	,,
23.	Merta	Children Park	1,000-0-0	1.000-0-0	1479-12-3	2,479-12-3	,,	,,
24.	Jatawas	Completion Harijan well.	500-0-0	500-0-0	608-8-0	1,108-8-0	,,	,,
25.	Kumpras	Construction of Tanks	500-0-0	500-0-0	574-13-9	1,074-13-9	,,	,,
		Total	1,00,500/-	1,00,500/-	452643/-	1,45,26,713/-		

LOCAL DEVELOPMENT WORKS SANCTIONED DURING THE YEAR 1955-56

TEHSIL MERTA

S. No.	Name of Village.	Nature of work.	Amount sanctioned	Total expenditure.			Whether work completed or not	Remarks.
				Govt. aid.	Public contribution.	Total		
1.	Padukllan	Const. of School Building	2000/-	2000/-	2160-1-0	4160-1-0	Completed	A/c Submitted.
2.	Ralsolas Sangion ki Dhani	„ „ „ „	1000/-	1000/-	1179-4-0	2179-4-0	„	„
3.	Merta	Extension of H. School „	2500/-	2500/-	2522-14-0	5022-14-0	„	„
4.	Badayali	Completion of School „	750/-	750/-	766-5-0	1516-5-0	„	„
5.	Jasuagar	—do—	750/-	356-1-0	356-1-0	712-2-0	„	„
6.	Riyan	—do—	2000/-	2000/-	2020-1-9	4020-1-0	„	„
7.	Merta	Additions and Alterations in proposed Girls, School	2500/-	—	—	—	Not completed	
8.	„	Const. of Miran Liabrary	2000/-	2000/-	2000-7-6	4000-7-6	Completed	„
9.	„	Extension of Children Park	1000/-	1000/-	1000-4-3	2000-4-3	„	„
		Total	14,500/-	11,606-1-0	12005-6-6	23,611-7-6		

लोकल डवलपमेंट वर्क्स तहसील डिगाना १९५४-५५

नम्बर	काम का नाम		रकम ज. एड.	जनता	टोटल	रिमार्कस
१.	बूटाटी गांवाई	बेरा मरम्मत	५००	५००	१,०००	काम खतम हि. पेश
२.	राजोद ,,	,, नया	१,५००	१,५००	३,०००	,, ,,
३.	सांवलियावास ,,	बेरा मरम्मत	१,०००	१,०००	२,०००	,, ,,
४.	जारखेड़ा गांवाई	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	,, ,,
५.	भवरिया ,,	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	,, ,,
६.	गोनड़ना ,,	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	,, ,,
७.	राणास ,,	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	,, ,,
८.	देवलापापा	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	,, ,,
९.	केरियारावा	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	,, ,,
१०.	सथाना खुर्द	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	,, ,,
११.	त्रिखरणांपा	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	,, ,,
१२.	अलवास	,, ,,	५००	५००	१,०००	,, ,,
१३.	सुखवासनी	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	,, ,,
१४.	डेगाना गांव स्कूल	भवन नया	१,०००	१,०००	२,०००	,, ,,
१५.	बूटाटा स्कूल	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	,, ,,
१६.	साजू ,,	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	,, ,,
१७.	निम्मड़ीकला	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	,, ,,
१८.	निम्बड़ी चदावता	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	काम खतम हुआ हिसाब नहीं आया
१९.	राताहुन्डा	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	काय खतम हुआ हिसाब पेश
२०.	सिन्धलास	,, ,,	१,०००	१,०००	२,०००	काम खतम हिसाब नहीं आया
२१.	टाटरिया खुर्द	,, ,,	१,५००	१,५००	३,०००	काम खतम हि. आया
२२.	पुन्लोदा	,, ,,	२,०००	३,०००	५,०००	काम चालू है
२३.	हरसागे	,, ,,	१,५००	१,५००	३,०००	,, ,,

२४.	मैरूदा	औषधालय	१,०००	१,०००	२,०००	काम खतम हि‌ो आया
२५.	लाड़पुरा	स्कूल भवन	१,५००	१,५००	३,०००	,, ,,
			२७,०००	५५,०००	५८,०००	

लोकल डवलपमेंट वर्क्स तहसील डिगाना १९५५-५६

नम्बर	नाम गांव	कार्य	रकम सरकारी	पब्लिक	योग	
१.	चादारुण	नया स्कूल भवन	१५००	१५००	३,०००	हिसाब पेश हो चुका
२.	मेवड़ा	,, ,,	१५००	१५००	३,०००	काम चालू है
३.	डेगाना स्टेशन	,, ,,	२५००	२५००	५,०००	काम खतम हो चुका है हिसाब पेश
४.	हरसोर	औषधालय	१,०००	१०००	२,०००	काम शुरू नहीं हुआ
५.	पुनलोता	पंचायत घर	२,५००	२,५००	५,०००	काम शुरू है
६.	डेगाना स्टेशन	वाचनालय	१,०००	१,०००	२,०००	काम खत्म हो चुका हिसाब पेश नहीं हो चुका
७.	किरोदा	गावर्य बेराली मरम्मत	५००	५००	१,०००	हिसाब पेश हो चुका
८.	डेगाना स्टेशन	चिल्ड्रन पार्क	५००	५००	१,०००	,, ,,
९.	जालसुकला	स्कूल भवन	१५००	१५००	३,०००	,, ,,
		टोटल	१२,५००	१२,५००	२५,०००	

परिशिष्ट–३

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गए तथा जिन्हें प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है.)

४३. (२२. आर. एम.) श्री विशम्भरनाथ जोशी, एम.एल. ए. डिविजन नम्बर २१– क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान के अन्य हिस्सों में सरकार द्वारा कच्चे माकनों की जमीन का सालाना किराया नहीं लिया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो बांदीकुई, गंगापुर और फुलेरा में ही यह किराया क्यों लिया जाता है ?

(ग) क्या यह सही है कि इस संबंध में स्थानिय जनता व उसके प्रतिनिधियों द्वारा इस किराये की वसूली को बंद किये जाने के लिये बार २ आवेदन किये गये, किन्तु आज तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं ?

(घ) यदि हो, तो सरकार कब तक इसे समाप्त करेगी ?

उत्तर

(क) राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नियमों के अन्तर्गत कहीं कहीं कच्चे मकानों की जमीन का सालाना किराया लिया जाता है ।

(ख) बांदीकुई, गंगापुर और फुलेरा में यह किराया रियासत जयपुर के जमाने से ही लिया जाता है । और दूसरी जगह यह मालूम होता है कि यह तीनों स्थान रेलवे जंगशन वमंडियां हैं । और इन जमीनों पर अधिकांश दूकनें बनी हुई हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में कुछ आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे वे सरकारके विचाराधीन हैं। बांदीकुई में तो किराये के परिवर्तन ही की मांग है ।

(घ) अभी इस विषय का एकीकरण नहीं हुआ है । और इस सम्बन्ध में जनकारी प्राप्त की जा रही है । तत्पश्चात उचित कार्यवाई की जवेगी ।

प्रश्न

45. (46/C. M.) Shri Bishambhar Nath Joshi (Division No. 21): Will the Minister for Education Please state :

(a) What are the criteria on which a High School is selected for being converted into a Multi-Purpose School ?

(b) Has the Education Department uniformly adhered to the same

criteria in the matter of each selection of the High Schco's in the past ?

(c) Will the Govrnment consider the early conversion of any of the three High Schools in the Baswa (Bandikui) tahsil into a Multi-purpose School ?

उत्तर

(a) The following critoria was appiied :

(i) Number of stndents.

(ii) Possibility or extension of the school.

(iii) local needs of development.

(iv) District-wise distribution.

(b) Yes Sir.

(c) The question could only be considered in 1957-58 because no conversian of High Scools to Multi-Purpose High Schools is contemplated in the year 1956-57.

प्रश्न

४८. (३४। आर. एस.) महाराज केसरीसिंह एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ७५— क्या माननीय राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किसी काश्तकार के ला औलाद फौत होजाने पर क्या उसकी आराजी खाते सरकार हो जाती है ?

(ख) यह असल कौन कौन से जिले में है ?

(ग) क्या ऐसी आराजी पर नीलामी बोली जरसे आम में लगाई जाती है ?

उत्तर

(क) काश्तकार याने की खातेदार के लावारिस फोत हो जाने पर उसकी आराजी राजस्थान टेनेन्सी एक्ट सन् १६५५ की धारा ६३(१) के अनुसार खालसे हो जाती है।

(ख) राजस्थान टेनेन्सी एक्ट का अमल अब सारे राजस्थान में है।

(ग) अगर आराजी पर कोई शिकमी कास्तकार न हो तो अथवा उसे किसी अन्य भूमि हीन

कृषक को देने की आवश्यकता न हो और उस आराजी को लेने के लिये दो या उससे अधिक आदमियों की दरख्वास्तें हों तो परिस्थिति अनुसार उस आराजी को नीलाम करने की कार्यवाही की जा सकती है ।